खण्ड-265, अंक-7
शुक्रवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1888
(25 मार्च, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४५–६४९
प्रश्नोत्तर	६४९–६७७
बुलन्दशहर, एटा तथा बिजनौर जिलों की कुछ शुगर मिल्स द्वारा सुरक्षित स्थानों का गन्ना न क्रय करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६७७
अलीगढ़ जिले के बन्ना देवी थाने के नजदीक बम विस्फोट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६७८–६८१
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (जारी) ..	६८२
लोक लेखा, प्राक्कलन तथा विभिन्न स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम	६८२–६८३
जनसंघ विधायक दल से कुछ सदस्यों के अलग होने के सम्बन्ध में सूचना ..	६८३
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य—अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	६८४–७४४
नत्थियां	७४५–७५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशमान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह मदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (हबहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण द्विवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथुराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पित्तईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल , श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोलालाल, श्री
भीमप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहरसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहायत कँथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शगुनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय नव वर्ष की छुट्टी

**१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय नव वर्ष के शुभ अवसर पर राज्य में छुट्टी क्यों नहीं मनाई जाती ? क्या सरकार भविष्य में राष्ट्रीय नव वर्ष के शुभ अवसर पर छुट्टी मनाने की प्रथा पर ध्यान देगी ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

छुट्टियों के संबंध में राज्य सरकार अधिकतर भारत सरकार की नीति को अपनाती है । चूंकि भारत सरकार ने इस अवसर पर छुट्टी घोषित नहीं की है अतः राज्य सरकार ने भी छुट्टी नहीं दी । यदि भारत सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया तो राज्य सरकार भी उस पर विचार कर लेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वह पूर्णत इंगलिश त्योहारों को नहीं अपनाते हैं तो इसमें क्यों पहल नहीं करते कि भारतीय नव वर्ष मनाया जाय और इस दिन छुट्टी की जाय ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

साधारणत : हम इस नियम को मानते हैं कि छुट्टी ज्यादा नहीं होनी चाहिये। भारत सरकार यह मानती है कि २० छुट्टी ज्यादा से ज्यादा वर्ष में होनी चाहिये और २ बैंक हाली डे हैं। इस छुट्टी को अगर आप करते हैं तो एक छुट्टी आपको और काटनी होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी पहली जनवरी या बड़े दिन की जो छुट्टी होती है २५ दिसम्बर को उनमें से एक छुट्टी काटकर उसके स्थान पर इस भारतीय नववर्ष की छुट्टी रखने को तैयार हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अब पहली जनवरी की छुट्टी नहीं देते हैं। २५ दिसम्बर को क्रिसमस की छुट्टी होती है। ईसाई लोग जो इस देश में बसते हैं उनका यह सबसे बड़ा पर्व है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह इस शुभ कार्य के लिये उत्तर प्रदेश में अगुवाई क्यों नहीं करती जबकि माननीय मुख्य मंत्री कई शुभ कार्यों में अगुवाई कर चुकी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं तो यह समझती हूं कि भारतवर्ष में छुट्टी ज्यादा होती हैं। हम लोग ज्यादा काम करें तो अच्छा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस नव वर्ष की महत्ता को देखते हुये केन्द्र से इसकी संस्तुति करेंगी कि तब तक के लिये लोकल हाली डे के रूप में या रिस्ट्रिक्टेड हाली डे के रूप में इसको स्वीकार किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसा कोई इरादा नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिय गये तारांकित प्रश्न]

बिक्री-कर आयुक्त के विचाराधीन मामले

*१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि बिक्री-कर कमिश्नर कार्यालय में जून, १९६५ से पहले की कितनी आपत्तियां, पदोन्नतियां, स्थायीकरण विषय पर कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र तथा न्यायालयों द्वारा दिये गये निन्दा टिप्पणी बिना उचित कार्यवाही के पड़े हुये हैं ? और क्यों ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

बिक्री-कर आयुक्त कार्यालय में जून, १९६५ से पहले के २९ प्रार्थना-पत्र कर्मचारियों की पदोन्नतियों एवं स्थायीकरण के सम्बन्ध में विचाराधीन हैं इनका †ब्योरा संलग्न रूप पत्र (१) में दिया हुआ है

न्यायालयों द्वारा जिन ५४ निन्दा टिप्पणियों पर अभी तक अन्तिम रूप से कार्यवाही नहीं हो पाई है उनका ब्योरा †संलग्न रूप पत्र (२) में दिया है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पत्र संख्या १ से पृष्ठ २ पर संख्या १९ और २० में यह कहा गया है कि सेवा नियमावली अभी तक नहीं बन पायी है तो इस सेवा नियमावली बनाने के लिये कब से कार्यवाही की जा रही है और यह कब तक बन जायगी और अब तक उसके न बनने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—

कर्मचारियों की सेवा नियमावली, यह सही है कि वर्षो से बन रही है, लेकिन अब यह तैयार है और इसको अन्तिम रुप देना बाकी है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि रूप पत्र संख्या २ के क्रम संख्या ७, ८, १०, ११, १२ और १३ और इसी तरह से और भी हैं जिन पर अनेक अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी है। ये १९६२–६३ और सन् ६४ के हैं। विभाग को उनसे अभी तक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है तो यह रिपोर्ट विभाग की उदासीनता के कारण नहीं प्राप्त हुई है अथवा कोई और कारण है कि जिसकी वजह से यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, जब किसी अधिकारी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्टर होता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने से पहले उससे स्पष्टीकरण मांगा जाय और यह देखा जाय कि उसका स्पष्टीकरण कहां तक संतोषजनक है और वह उस स्ट्रिक्चर के लिये कहां तक उत्तरदायी हैं। इसमें विधिवत् कार्यवाही करने के लिये कुछ समय जरूर लग जाता है और इसलिये देर हो जाती है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मेरा प्रश्न यह था कि इस विभाग ने इनके संबंध में जो कार्यवाही की है उसमें १९६२ और ६३ के केस है। उनमें सेल्स टेक्स कमिश्नर के यहां से रिपोर्ट मांगी गयी है। तो उन अधिकारियों का जवाब १९६६ तक न आने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—

कभी ऐसा होता है कि कोई बात पूछी गई और वह स्पष्ट नहीं हुई। इसलिये उसे दुबारा पूछना होता है क्योंकि संविधान की धारा ३११ के अन्तर्गत अगर पूरी कार्यवाही न की जाय और पूरा अवसर न दिया जाय तो उनको कोई सजा देना अनियमित होगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

ऐसे कितने केस हैं कि जिनमें दुबारा बात साफ करने के लिये विभाग को लिखा पढ़ी करनी पड़ी है ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री जयराम वर्मा—

निश्चित संख्या इस समय नहीं है, लेकिन अगर किसी मामले में खास देर होती है तो उसमें जल्दी कराने की कोशिश की जाती है ।

"टेल्स आफ इंडिया" तथा "ओरियन्ट टेल्स" पुस्तकों पर आपत्ति

*२—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग और राज्य सरकार का ध्यान अमेरिका और ब्रिटेन की अंग्रेजी में प्रकाशित बाल साहित्य सम्बन्धी न्ययार्क से छपी "टेल्स आफ इण्डिया" और लन्दन से छपी "ओरियंट टेल्स" नामक पुस्तकों में महाभारत और रामायण सम्बन्धी कथायें और घटनायें गलत और तथ्यहीन, निराधार रूप में दिखाई गई है ? और ये पुस्तकें बाल साहित्य के नाम पर लखनऊ के मिशनरी ही नहीं अन्य अनेक बाल विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस राष्ट्रीय अपमानपूर्ण एवं तथ्यहीन झूठी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने का वह विचार कर रही है अथवा कर चुकी है ?

श्री राममूर्ति—

उपर्युक्त सूचना एकत्रित हो जाने के उपरान्त विचार किया जायेगा ।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, बरेली केन्द्र

*४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के बरेली केन्द्र पर कृपांक सरकार द्वारा नियत किये जाते हैं जबकि पिछले वर्षों जिलास्तर पर ही ये अंक निर्धारित किय जाते थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम को निरस्त करके पुरानी प्रणाली लागू करेगी ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां, जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, १९६५ से समान कृपांक के नियम विभाग द्वारा समस्त जनपदों के लिये लागू किये गये हैं । पुरानी प्रणाली दोषपूर्ण थी, उसे पुनः लागू करना ठीक नहीं होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुरानी प्रणाली में क्या दोष था जिसके कारण सरकार को नवीन प्रणाली अपनानी पड़ी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इन इम्तहानों में रजिस्ट्रार पेपर सेट करता था, लेकिन इम्तहान के लिये डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक एडवाइजरी कमेटी रहती थी और जो इम्तहान देते थे उनके लिये अलग अलग नियम थे । कहीं तीन विषयों में फेल लड़कों को पास कर दिया जाता था । किसी जिले में एक विषय में फेल हुए लड़के को पास करना मुश्किल होता था । यह भी देखा गया था कि अलग अलग जिले के इम्तहानों से स्टैंडर्ड गिर रहा है । तो यह तय किया गया कि कृपांक १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । तो उसका एक रूप बनाकर दिया गया था, वही सारे जिलों में लागू होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में अब भी जिले के स्तर पर जो कमेटी है उसका अधिक प्रभाव रहता है इसलिये बराबर स्तर में गिरावट आ रही है, क्या इसको तोड़ कर इस परीक्षा को भी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा के साथ लेने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

परीक्षा का जो संबंध है उसमें इसका कोई हाथ नहीं होगा। जो यहां से सरकार का आदेश गया है उसमें बिलकुल स्पष्ट लिख दिया गया है टेबुलेटर फार्म में किस नम्बर तक कितने कृपांक मिलेंगे। उसमें कमेटी का कोई डिसीशन मान्य नहीं होगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि जब जूनियर हाई स्कूल के स्तर की शिक्षा और हायर सेकेंड्री विद्यालयों की परीक्षा दोनों समकक्ष, दोनों को समान मान्यता प्राप्त है फिर भी दोनों के स्तर में काफी अन्तर भी हो रहा है। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोनों विद्यार्थियों की एक ही तरह की परीक्षा की जा सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह व्यवस्था इसलिये नहीं होगी कि जूनियर हाई स्कूल अलग से होते हैं जिनको जिला परिषद चलाती है और यह उनका अंतिम इम्तहान है और यह जूनियर हाई स्कूल परीक्षा जो ८वीं तक होती है वह हायर सेकेंडरी स्कूल का होम एग्जामिनेशन होता है, इसलिये दोनों को एक समान स्तर पर करना उचित नहीं होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को देखते हुए कि कक्षा ८ जो हायर सेक्रेंडरी का है वह उनके होम एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें ४०-४०, ५०-५० ६०-६० नम्बर तक उनको कृपांक देकर पास कर देते हैं और जब जूनियर हाई स्कूल के लड़के पास होकर आते हैं तो दोनों को एक ही मान्यता होती है, तो क्या वहां पर भी इस जूनियर हाई स्कूल परीक्षा को लागू कर देंगे या इसको भी बोर्ड की ही परीक्षा के समान लेना शुरू कर देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि एक तो लोकल बाडीज का अंतिम इम्तहान है, वह तो डिपार्टमेंट से होता है और दूसरी जगह उनके होम एग्जामिनेशंस हैं। अगर उनमें स्टैंडर्ड गिरा देते हैं कृपांक देकर तो उनको आगे बोर्ड के इम्तहान को फेल करना पड़ेगा और यह रुक जायेंगे आगे जाकर।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि बरेली के रजिस्ट्रार की धांधली के कारण परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ा, ऐसी धांधली अन्य जिलों में भी हो सकती तो क्या कोई ऐसी पद्धति निकालेंगे जिसमें पूरे राज्य में एक प्रकार की प्रणाली जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा की निकालेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो जवाब में ही कहा कि यह तो सारे राज्य के लिये ही कर दिया गया

ग्राम भदारी कलां में नन्दकिशोर के नाम पट्टा

*४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भदारी कलां, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़, नन्दकिशोर पंच के नाम गांव समाज की कितनी भूमि का पट्टा दर्ज है?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

६ बीघा १२ बिस्वा ।

*६—श्री भगवानदीन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त ग्राम में दिनांक १४ अप्रैल, १९५९ को गांव समाज की भूमि का पट्टा पंच नन्दकिशोर तथा उसके चचाजात भाइयों के नाम कितनी-कितनी भूमि का रजिस्टर इकरारनामा में रजिस्ट्री हुई है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस प्रकार के किसी पट्टे की रजिस्ट्री १४ अप्रैल, १९५९ को नहीं हुई।

*७—श्री भगवानदीन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पंच तथा उसके चचाजात भाइयों के नाम जो पट्टे हुये उन्हें खारिज किया जायगा?

श्री रामकुमार शास्त्री—

पट्टों की छानबीन जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है । यदि पट्टों की मंसूखी सम्भव होगी तो उसकी कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जावेगी ।

श्री भगवानदीन—

पट्टे के संबंध में जो छानबीन हो रही है वह किस अधिकारी के द्वारा हो रही है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जिस शख्स को यह जमीन पट्टे पर दी गयी है उसके पास उसके पहले कितनी जमीन थी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

गांव समाज मैनुअल के अनुसार वह जमीन भूमिहीनों को ही दी जानी चाहिये । तो क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस व्यक्ति को भूमि दी गयी है उसके अलावा भी क्या गांव में और भूमिहीन थे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह जो पट्टा है वह तीन साल से अधिक अवधि का हो गया और वह यहां खारिज करने की अवधि भी अब समाप्त हो गयी है इसके अलावा भूमिहीनों को प्रायरिटी दी ही जाती है ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी से पूछा गया कि उस व्यक्ति के पास इस पट्टे से पहले कितनी भूमि थी, उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि वह सूचना नहीं है । मंत्री जी के पास सूचना अभी अधूरी है, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिन जिन को दिया गया है वह व्योरा मेरे पास है । जिन रिश्तेदारों को दिया गया है वह व्योरा भी है । अब इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, इस संबंध में और कोई कार्यवाही अब नहीं हो सकती है ।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि उस पंच के पास इस पट्टे के पहले कितनी भूमि थी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यदि माननीय सदस्य कुछ लिख कर देंगे और कुछ जानकारी उसके विषय में देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

जब गांव समाज मैनुअल में यह दिया हुआ है कि कोई पंच अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन नहीं कर सकता तो यह कैसे हो गया और किस अधिकारी के आदेश के अनुसार हुआ, क्या उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कार्यवाही करने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी इस प्रकार के आदेश देंगे कि जैसे ही यह ज्ञात हो कि किसी ने गांव समाज मैनुअल के खिलाफ किसी पंच अथवा उसके रिश्तेदार के नाम जमीन पट्टे पर कर दी है तो उसको कैंसिल कर दिया जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

आखिरी सवाल में कहा गया है कि पट्टे के संबंध में छानबीन कराई जा रही है ।

श्री भगवानदीन—

क्या इस पट्टे की रजिस्ट्री १४ अप्रैल को हुई है और मेरी सूचना पर श्रीमन्, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१४ तारीख को तो नहीं हुई है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि पट्टा तो प्रधान और पंच मिलकर गलत कर देते हैं परन्तु उसकी तस्दीक लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार के दस्तखतों से होती है । उन्होंने यह गलती कैसे की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उत्तर में लिखा हुआ है कि छानबीन करायेंगे ।

डंगहरि गांव में चकबन्दी की जांच

*८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव डंगहरि, पोस्ट पाली, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में हो रही चकबन्दी के खिलाफ दिनांक २ मार्च, १९६५ को उन्हें १४ शिकायती प्रार्थना-पत्र एक साथ प्रश्नकर्ता ने भेजे थे उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१४ नहीं १३ शिकायती पत्र मिले थे इन पर जांच कराई गई । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और जो चकबन्दी के संबंध में गड़बड़ी हुई थी उसमें क्या सुधार हुआ ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

लेखपाल और ए० सी० ओज के खिलाफ कार्यवाही की गई और चकबन्दी के संबंध में जो कुछ भी सुधार करने की बात है, उसमें छानबीन करके ही उनको दंड दिया गया है ।

श्री ऊदल—

इसका मतलब मान्यवर, उत्तर से यह मालूम हुआ कि चकबन्दी में जो गड़बड़ी हुई है उसमें नहीं हुआ है । यह सुधार कब तक हो जायेगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ऐसा जो आरोप लगाया गया है उस पर जो माननीय सदस्य नहीं कह रहे हैं । यदि कोई खास बात उनको मालूम हो तो वे लिखें । उसकी जांच कराकर सुधारने की व्यवस्था की जायेगी ।

*९-१०—श्री ऊदल—

[स्थगित किये गये ।]

राजकीय इन्टर कालेज, रुद्रपुर का फार्म

*११—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ए० एन० झा, राजकीय इंटर कालेज, रुद्रपर (नैनीताल) के अत्यन्त उपजाऊ २०० एकड़ फार्म की भूमि गत दो वर्षों से बिना ट्रैक्टर अथवा हल-बैल के बेकार पड़ी है ? और इस संकटकाल में संबंधित २५ कर्मचारी मुफ्त का वेतन पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, परन्तु कुल भूमि बेकार नहीं पड़ी है और कर्मचारियों को मुफ्त वेतन नहीं मिल रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ट्रैक्टर कब खराब हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

डेढ़ साल पहिले खराब हो गया था ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

२०० एकड़ फार्म में से कितनी भूमि इस समय जुताई, बुवाई में है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

४६ एकड़ को छोड़कर बाकी सब है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा कहना है कि वहां खेती हो ही नहीं रही है । इसलिये कैसे खेती हो रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हल बैल से हो रही है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

गत वर्ष इस फार्म में कितनी उपज हुई, ट्रैक्टर फेल होने के बाद ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सन् ६४-६५ में ४११२ रुपये का लाभ हुआ ।

राजकीय नार्मल स्कूल, उरई का बन्द रहना

*१२—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के राजकीय नार्मल स्कूल के प्रधानाचार्य के संबंध में कोई शिकायती-पत्र सरकार को या जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन को सन् १९६५ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१३—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नार्मल स्कूल, उरई, जिला जालौन सन् १९६४ तथा १९६५ में बड़े दिन के अवसर पर १ मास या १५ दिन तक बन्द रहा ? यदि हां, तो क्यों, और अनधिकृत रूप से विद्यालय बन्द रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खेसहन ग्राम समाज की भूमि का गलत इन्दराज

*१४—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खेसहन, ब्लाक हस्वा, जिला फतेहपुर में ग्राम समाज की गैर मजरुआ भूमि पर वर्तमान लेखपाल ने गलत कब्जा लिख कर जिमन ४ का इन्दराज कर दिया है और इस संबंध में दिनांक १६ जुलाई, १९६५ तक तीन प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, परगनाधीश और तहसीलदार के यहां प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रार्थना-पत्र पर की गई जांच रिपोर्ट और लेखपाल के विरुद्ध की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

लेखपाल के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १६-७-६५ का तहसीलदार को तथा दो प्रार्थना-पत्र दिनांक १९ जुलाई, १९६५, जिलाधिकारी तथा परगनाधिकारी को प्राप्त हुये थे। जांच करने पर आरोप असत्य एवम् निराधार पाये गये, अतः लेखपाल के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

*१५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[स्थगित किये गये।]

*१६—१८—श्री सत्यवीर कुंवर (जिला विजनौर)—

[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिला परिषद् स्कूलों का निरीक्षण

*१९—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के कितने उपसहायक विद्यालय निरीक्षकों ने अपने क्षेत्र के कितने स्कूलों का दो बार निरीक्षण किया है?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२०-२१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिये गये।]

खुटार ब्लाक में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*२२—श्री विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक खुटार के प्रमुख द्वारा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के कितने तबादले १ जुलाई, १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक किये गये?

श्री बंशीधर पांडेय—

१ जुलाई, १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६५ की अवधि में विकास खण्ड खुटार में १४ स्थानान्तरण हुए।

*२३—श्री विक्रमशाह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या उपरोक्त तबादिले ५ फीसदी के अतिरिक्त किये गये और क्या कोई ऐसा तबादला भी किया गया जिसको हल्का सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर ने स्वीकार नहीं किया और उसको डिप्टी इंस्पेक्टर ने पुनः किया, उसको भी सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर ने स्वीकार नहीं किया?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस विकास खंड में ५ प्रतिशत के हिसाब से ८ स्थानान्तरण होने चाहिये। ५ स्थानान्तरण प्रमुख द्वारा और ८ अध्यक्ष द्वारा किये गये। क्षेत्रीय उप विद्यालय निरीक्षक ने केवल एक स्थानान्तरण पर लिखित असहमति प्रकट की और उसे रद्द कर दिया गया।

*२४—श्री विक्रमशाह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तबादले में जिला परिषद् एजूकेशन रूल्स की अवहेलना की गई है? यदि हां, तो क्या शासन यू० पी० क्षेत्र समिति और जिला परिषद् मैनुअल की धारा १६ के अनुसार प्रमुख पर कार्यवाही करेगो?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्राप्त सूचना से कोई अवैधानिकता नहीं प्रतीत होती।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या वैधानिक आपत्ति के कारण ही उप-विद्यालय निरीक्षक का तबादला उस जिले से कर दिया गया? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या प्रमुख द्वारा तबादले पर विद्यालय निरीक्षक की सहमति की आवश्यकता है?

श्री बंशीधर पांडेय—

सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स सूची बनाते हैं और प्रमुख की सहमति से अध्यक्ष, जिला परिषद्, के पास भेजी जाती है। अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ब्लाकों में ट्रांसफर प्रमुख के हस्ताक्षर से होते हैं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

स्थानान्तरण पर असहमति को रद्द किया गया या तबादले को?

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यापक के तबादले को रद्द किया गया।

फर्रुखाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को वेतन

*२५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री राजाज्ञा सं० डी०-१-२४२४/१५-१८-६४, दिनांक ९ जून, १९६४ को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे एवं बताने की कृपा करेंगे कि उक्त राजाज्ञा के आधार पर स्कीम नं० ९ के अनुसार खोले गये जूनियर हाई स्कूल में काम करने वाले अध्यापकों को फर्रुखाबाद जिले में वेतन तथा मंहगाई की वे सब वृद्धियां दी जा रही हैं जो फर्रुखाबाद जिला परिषद् के अन्य जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

राजाज्ञा संख्या डी १-२४२४/१५-१८-६४, दिनांक ९ जून, १९६४ का रूपान्तर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४५–७४६ पर)

उक्त राजाज्ञा के अनुसार जिला परिषद्, फर्रुखाबाद द्वारा योजना संख्या ९ के अन्तर्गत खोले गये जूनियर हाई स्कूलों तथा परिषद् के अन्य जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को समान दरों पर मंहगाई भत्ता दिया जाना था। योजना संख्या ९ के अन्तर्गत खुले उक्त स्कूलों के अध्यापकों को उपर्युक्त राजाज्ञा में स्वीकृत मंहगाई भत्ते में वृद्धि तो दे दी गई किन्तु कुछ भ्रमवश उन पर उक्त राजाज्ञा में उल्लिखित दरें नहीं लागू की जा सकीं।

उक्त दोनों प्रकार के स्कूलों के अध्यापकों को समान दरों पर महंगाई भत्ता देने के लिए स्पष्ट आदेश पुनः जारी कर दिये गये हैं।

श्री होरीलाल यादव---

क्या यह भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अध्यापकों का बकाया भी अदा किया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जिस दिन से यह लागू है उस दिन से सबको समान मिलेगा।

श्री होरीलाल यादव---

समान वेतन का राजाज्ञा में कोई जिक्र नहीं है। फर्रुखाबाद के अध्यापकों को समान वेतन नहीं मिला है। तो क्या उनका वेतन बराबर करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

भ्रमवश उल्लिखित दरें लागू नहीं की गयीं। यह मंहगाई भत्ते का था।

श्री होरीलाल यादव---

क्या माननीय मंत्री जी आदेश देने की कृपा करेंगे कि उनके वेतन का स्तर भी बराबर कर दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अगर माननीय सदस्य ब्योरा देंगे तो उनसे बात करके तय कर लेंगे।

चावली ग्राम में कन्या पाठशाला खोलने की मांग

*२६---श्री शिवचरण (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा के अन्तर्गत ग्राम चावली में कन्या पाठशाला खोलने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना चल रही है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलने वाले प्राथमिक स्कूलों का केवल जिलेवार वितरण सरकार द्वारा होता है। जिलों में जिन स्थानों पर स्कूल खुलते हैं वे स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित होते हैं।

*२७---श्री शिवचरण (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि उक्त गांव की आबादी ४,००० के करीब है और वहां के लोगों ने मंत्री जी व अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पाठशाला खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति---

जी हां, गांव की आबादी १६ मजरों सहित ४,००० के करीब है किन्तु स्कूलों के स्थान शासन द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते।

*२८---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

[स्थगित किया गया।]

बलिया जिला परिषद् को बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान

*२९—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला परिषद् को गत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग की योजना २८ के अन्तर्गत बालिका विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन-हेतु कितना-कितना धन किन-किन मदों में दिया गया ?

श्री वंशीधर पांडेय—

सूचना संलग्न तालिका में दिखाई गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४७–७४८ पर)

श्री मैनेजर सिंह—

संलग्न तालिका में जो करमानपुर विद्यालय के सम्बन्ध में अनुदान दिया गया वह किस कार्य के लिये दिया गया जब कोई स्कूल खोला ही नहीं गया ?

श्री वंशीधर पांडेय—

१–१०–१९६४ को यह स्कूल खुला। वह जिला परिषद् से चलता है। अनुपालन अनुदान ३७२ रुपये, २५ रुपये अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, भवन अनुदान १५,००० रु० और साज-सज्जा के लिये १,१२५ रुपये दिये गये।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह विद्यालय खुला ही नहीं है और आप से पैसा ले लिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय सदस्य अगर हमें लिख कर दे देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

लखनऊ जिले में अध्यापकों को बढ़ोत्तरी वेतन न मिलना

*३०—श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सरकार ने सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को जो २० रुपया बढ़ाने का आदेश दिया है वह सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स पर लागू होती है या नहीं ? यदि हां, तो लखनऊ जिले के सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स (जो लोकल बाडीज के नहीं हैं) को क्यों नहीं मिला ?

श्री राममूर्ति—

केवल उन मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों व कक्षाओं के अध्यापकों को २० रु० मासिक बढ़ोत्तरी दी जायेगी जो लोकल बाडीज द्वारा संचालित हैं अथवा शिक्षा विभाग की अनुदान सूची पर हों। लखनऊ जिले में ऐसे समस्त अध्यापकों को बढ़ोत्तरी दी जायेगी जो उक्त श्रेणी में आते हैं।

*३१—श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार जिला लखनऊ में ऐसे मैनेजमेंट्स या सरकारी कर्मचारियों के विपरीत कार्यवाही करेगी जिनकी लापरवाही से गरीब अध्यापकों को अभी तक बढ़ोत्तरी नहीं दी गई है ?

श्री राममूर्ति—

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने सूचित किया है कि उक्त अध्यापकों को बढ़ोत्तरी दी जा रही है।

विकास खण्ड दहगवां में स्कूलों की इमारतें

*३२—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से १९६४-६५ तक जिन प्राइमरी स्कूलों तथा कन्या पाठशालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी इनकी सूची क्या है और कौन-कौन भवन बन कर तैयार हो गये हैं? किनका निर्माण अधूरा है और किनका निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री राममूर्ति—

सूचना संलग्न तालिका 'अ' और 'ब' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४९-७५० पर)

*३३-३४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[स्थगित किये गये।]

दीक्षा विद्यालयों में प्रशिक्षण अवधि कम करना

*३५—सर्वश्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर) (अनुपस्थित) तथा मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि मंहगाई में राजकीय दीक्षा विद्यालय के छात्रा अध्यापकों के आर्थिक-संकट को दूर करने के लिये ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति कब से देने जा रहे हैं? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

राजकीय दीक्षा विद्यालय के छात्राध्यापकों को ३० रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*३६—सर्वश्री ज्वालाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालयों के द्विवार्षिक कार्यकाल को घटाकर एक वर्षीय करने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जुलाई, १९६६ से ट्रेनिंग अवधि कम करके सघन (इन्टेन्सिव) प्रशिक्षण देने का विचार है।

*३७-३८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[स्थगित किये गये।]

हुसेपुर ग्राम में आराजी नं० ४७

*३९—सर्वश्री रघुनाथ (जिला बलिया), झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिला गाजीपुर, तहसील मोहम्मदाबाद, ग्राम हुसेपुर में आराजी नम्बर ४७, जो श्री दशरथ, श्री गनपत व श्री शितलू के नाम थी, राजभरों की आबादी से लगी हुई है और उसी नम्बर से मिला हुआ पानी पीने का कुआं व ग्राम निवासियों का आने-जाने का रास्ता था?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४०—सर्वश्री रघुनाथ, झिलमिट, विजयपालसिंह तथा रघुवीर—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त नम्बर जो आबादी के लिये छोड़ा गया था उसे ए० सी०सी० ने चेकआउट कर दिया और काश्तकारान इस नम्बर के चारो तरफ चहार-दिवारी बना रहे हैं और उसमें बाग भी लगा रहे हैं, जिससे ग्राम निवासियों का रास्ता व पानी पीने के कुएं का रास्ता बन्द हो गया है? यदि हां, तो जनता को रास्ता देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुनाथ—

क्या इसकी सूचना जल्दी से जल्दी एकत्रित हो जाने की संभावना है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जरूर।

[२५ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले में मुल्तवी लगान की वसूली

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की मुल्तवी मालगुजारी की वसूली चालू फसली वर्ष में की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, आजमगढ़ जिले में खरीफ १३७२ फसल की बाढ़ आदि से हुई क्षति स्वरूप माल-गुजारी की, स्थगन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, नियमानुकूल वसूल हो रही है।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू फसली वर्ष में अनावृष्टि के कारण किन-किन जिलों में मालगुजारी की वसूली मुल्तवी की गई है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

संलग्न तालिका में अंकित जिलों में, खरीफ १३७३ की फसल को अनावृष्टि से क्षति के कारण, मालगुजारी तथा लगान की वसूली मुल्तवी की गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५१ पर।)

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा आदि के कई पच्छिमी जिलों में फसल की अति वृष्टि के कारण ५० प्रतिशत या अधिक की हानि हुई है? यदि हां, तो उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अतिवृष्टि के कारण खरीफ १३७३ फसली की ५० पैसे अथवा अधिक की क्षति पच्छिमी जिलों में मथुरा तथा आगरा जिले में ही पाई गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जो बतायेंगे कि १३७२ फसली में जब खरीफ को फसल बाढ़ आने के कारण खराब हो गयी और उसकी वसूली स्थगित कर दी गयी तो किन कारणों से फिर वसूली प्रारम्भ कर दी गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जब स्थगन की अवधि समाप्त हो जायगी तो नियमानुकूल वसूली तो होगी ही। खरीफ की फसल के लिये स्थगन की सुविधा ही दी जाती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जब ५० प्रतिशत या आधे से ज्यादा फसल खराब होती है तब मालगुजारी का स्थगन किया जाता है। फिर उसको माफ क्यों नहीं किया, क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मालगुजारी माफ करने के कुछ उसूल और नियम हैं। खरीफ की फसल को जब क्षति होती है तो उसकी मालगुजारी स्थगित की जाती है। जब रबी की फसल और खरीफ की फसल मुसलसल ४ बरस तक खराब हों तब छूट पर विचार किया जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जिलाधीश आजमगढ़ ने सिफारिश की और यह लिखा कि जो बकाया मालगुजारी है वह चूंकि अगली रबी की बुवाई न हो सकने के कारण ठीक नहीं है इसलिये वह मालगुजारी माफ होना चाहिये लेकिन फिर भी उसकी माफी सरकार की तरफ से नहीं हुई, उसका कारण क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

परिपाटी यह है कि जिला कलेक्टर, जो क्षति होती है उसको रिफर करते हैं राजस्व परिषद् को और जब राजस्व परिषद् की टिप्पणी आती है तब शासन उस पर विचार करता है और अभी ऐसी स्थिति शासन के समक्ष नहीं आई है।

श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में खरीफ सन् १९६४ की फसल खराब हुई जिसकी रिपोर्ट वहां के जिला अधिकारियों ने भेजी थी कि ८ आना से अधिक का नुकसान हुआ है और सरकारी नियम के अनुसार ८ आने के नुकसान पर छूट दी जाती है और वहां सन् १९६४ के कागजात पड़े रहे और आज फिर सरकार से यह आदेश गये कि डेढ़ साल के बाद कि जो लगान छोड़ा गया था वह वसूल किया जाय, तो यह इतनी देर क्यों हुई और किस के यह आदेश हुये ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

स्थगन के बाद वसूली हो रही है और आजमगढ़ में खरीफ सन् १३७२ फसली में बाढ़ और जलप्लावन में ३, ५८, ३६१.५७ रुपये की वसूली रबी तक के लिये रोकी गई थी और चूंकि यह स्थगन था इसलिये अभी तक उसमें से १,६६,३०६ रुपये ६३ पैसे की वसूली की जा चुकी है और १,९२,०६१ रुपए १४ पैसे चालू वर्ष तक वसूल हो जायेंगे।

श्री लखीसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि मथुरा और आगरा में यह मालगुजारी हमने माफ की है तो वह बतायें कि बाढ़ के कारण मथुरा जिले में उन्होंने कितनी मालगुजारी माफ की और बाढ़ से यहां कितनी हानि हुई और फसल मारी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

फसल का तो पूरा ब्योरा हमारे पास नहीं है लेकिन जल प्लावन के कारण आगरा और मथुरा में फसल की क्षति हुई है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मथुरा जिले में जो पंजाब का पानी आ गया था और जिससे गोवर्धन क्षेत्र की ४८ मील तक सारी जमीन ध्वस्त हो गई थी और उस समय माल मंत्री जी ने भी मौका देखा था और वह वहां गये थे तो उसी क्षेत्र में अब ३००–४०० काश्तकार हवालात में बन्द किये गये हैं और जबरदस्ती वसूली की जा रही है, ऐसा जिला अधिकारी वहां क्यों कर रहे हैं? क्या मंत्री जी इसकी जांच करा के उत्तर देंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मथुरा जिले में जो जलप्लावन हुआ था वह पंजाब और राजस्थान के पानी की वजह से हुआ था उस को मौके पर मैंने भी देखा था और माननीय सदस्य भी वहां थे और सरकार के लिये जितनी भी सहायता देना सम्भव था उसने वहां की स्थिति को देखकर सहायता दी।

श्री शिवचरण—

अभी प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मालगुजारी मुल्तवी की है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एतमादपुर में मालगुजारी मुल्तवी होने पर भी जबरिया वसूली की जा रही है? इसका क्या कारण है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जबरिया वसूल हो रही है, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलाधीश ने मालगुजारी माफ करने की सिफारिश कर दी है लेकिन अभी तक राजस्व परिषद् को संस्तुति सरकार के कार्यालय में न आने का क्या कारण है। और यदि उन्होंने नहीं भेजी है तो किसानों का क्या कसूर है और उनसे क्यों वसूल की जा रही है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसके जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार कार्यवाही होती है। फिर भी यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप के लिखने पर पूछने के पश्चात् आपको जानकारी करा दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उनके आदेश हैं कि कलक्टर की सिफारिश पर मालगुजारी माफ कर देते हैं। तो उन्होंने राजस्व परिषद् के पास कोई हुक्म नहीं भेजा और यकायक किसानों से ३ साल की मालगुजारी वसूल की जा रही है और इससे करोड़ों किसान गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती के अर्थात् पूरी कमिश्नरी की बुरी हालत है, तो इन सब का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप कहते हैं कि कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कर दी। परिषद् में यह मामला पेंडिंग है। वहां पर विलम्ब हो रहा है और अगर यह हुआ है और कमिश्नर ने यह बात स्वीकार कर ली है कि छूट दे दी जाय, तो अब किसानों से क्यों वसूली हो रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि बात कुछ और है। कमिश्नर ने जो कहा है उसको आप सुन नहीं पाये हैं। उन्होंने वसूल करने के लिये कह दिया है। कमिश्नर ने क्या कहा है, वह चीज यहां पर कहने की नहीं है लेकिन वसूलयाबी जो हो रही है, वह स्थगन के पश्चात् हो रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो छूट के कागजात लैंड रिकार्ड की मैनुअल के मुताबिक बनाये जाते हैं तो उसमें पूरे खाते के कुल खेतों में जो जो जिन्स बोई गयी और जिस खाते में आधे से ज्यादा फसल कम होती है तो उसमें छूट दी जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस लैंड रिकार्ड मैनुअल के मुताबिक छूट मिलती है तो फिर वहां पर मालगुजारी क्यों वसूल हो रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैनुअल के नियम १६६ की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि सामान्यतः खरीफ की फसल की क्षति में स्थगन की सुविधा ही दी जाती है। यह सुविधा उन खातों पर ही होती है जिनमें ५० पैसे या उससे अधिक की हानि हुई हो। स्थगन की मात्रा ऐसे ऐसे होती है।

एक बात और भी है कि जिन इलाकों में केवल खरीफ की फसल हो तो वहां पर फिर भी हम विचार कर लेते हैं कि इसमें छूट देनी चाहिये लेकिन जहां पर दो फसलें हैं तो दोनों पर विचार कर के निर्णय किया जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यहां पर गोरखपुर के कमिश्नर के बारे में बात कही गयी। मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के जो मौजूदा कमिश्नर हैं, उनसे ज्यादा काबिल पहले के कमिश्नर थे या नहीं जिन्होंने जब-जब बाढ़ आयी हैं, तब तब सिफारिश की है कि बाढ़ एरिया का लगान माफ किया जाय और वहां पर १०, १२ साल तक खरीफ को मालगुजारी माफ हुई है ? मैं जानना चाहता हूं कि मैनुअल की वह कौन सी धारा है जिसके कारण आज आपत्ति होती है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं किसी कमिश्नर की काबलियत और नाकाबिलियत पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे सामने कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की मालगुजारी माफ हुई हो। वर्तमान परिस्थिति मैं आप के सामने रख रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

इसमें सब गुत्थी उलझाने का श्रेय कमिश्नर को है। मंत्री जी उन को हटायें नहीं तो बाढ़ हर साल आयेगी और यह झगड़ा इसी प्रकार चलता रहेगा।

डायर मीकिन लिमिटेड, लखनऊ तथा मोहननगर, गाजियाबाद से बिक्री-कर की वसूली

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में डायर मीकिन लिमिटेड, लखनऊ तथा मोहन नगर गाजियाबाद का वार्षिक बिक्री कितने रुपये की रही है और इस अवधि के लिये कितना रुपया बिक्री-कर का इस कम्पनी ने सरकार को अदा कर कर दिया है ? ३१ दिसम्बर, १९६५ की इस कर में से कितनी रकम वसूल होने को बाकी रह गयी है ?

श्री जयराम वर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में इस कम्पनी की समस्त शाखाओं के १,५८,३१,३३५.२१ पैसे टर्नओवर पर ६,४५,२०३.७४ पैसे बिक्री-कर निर्धारित हुआ था जिसका पूरा भुगतान कम्पनी द्वारा कर दिया गया है। १९६३–६४, १९६४–६५ का कर निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

*५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कम्पनी करोड़ों रुपया का माल चोर बाजारी में बेच लेती है जिसका कोई हिसाब प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखा जाता है जिसकी वजह से सरकार को बिक्री-कर का घाटा होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा—

सरकार के पास इस विषय की सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बतायेगी कि १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ तीन वर्ष हो रहे हैं अभी तक बिक्री-कर का निर्धारण नहीं हो सका है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है और यह कब तक हो जायगा?

श्री जयराम वर्मा—

इस कम्पनी की कई शाखायें हैं और सभी शाखाओं का हिसाब देख कर तब असेसमेंट होता है। इसके अलावा जो व्यापारी त्रैमासिक अपना टर्न ओवर दाखिल करते हैं उसके साथ ही जितना वह बिक्री-कर वसूल करना स्वीकार करते हैं वह भी दाखिल करते हैं। इस कम्पनी ने ऐसा किया है और चूंकि इस कम्पनी की कई शाखायें हैं इसलिये कर निर्धारण में देर हुई है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह बताया गया है कि १९६२–६३ में बिक्री-कर १,५८,३१,३३५.२१ रु० है और इसकी आमदनी २ करोड़ की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी छानबीन का क्या तरीका सरकार ने अपनाया है?

श्री जयराम वर्मा—

कागजात देख जाते हैं, जो टर्न ओवर सही मालूम पड़ता है उस पर टैक्स लगाया जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी का बिक्री-कर लखनऊ में निर्धारित होता है या मेरठ में?

श्री जयराम वर्मा—

जगह की सूचना नहीं है।

श्री होरीलाल यादव—

मंत्री जी ने बताया कि वह अपना टर्न ओवर जो मंजूर कर के देते हैं वह भी शामिल करते हैं, तो उन्होंने कितना सेल्स टैक्स देना मंजूर किया और उस को वसूल किया गया या नहीं?

श्री जयराम वर्मा—

किस सन् का जानना चाहते हैं?

श्री होरीलाल यादव---

तीन सालों में कितना देना मंजूर किया है ?

श्री जयराम वर्मा---

१९६२-६३ में कितने पर लगाया गया यह तो बताया, अब उन्होंने अपने हिसाब से क्या दिया था सेल्स टैक्स की ऐक्ट धारा २३ के अनुसार बताना सम्भव नहीं है क्योंकि वह पोर्शन सिक्रेट होता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इस बात को देखते हुए कि तीन-तीन साल होने पर भी टैक्स का निर्धारण नहीं हो पाया और विभागीय अधिकारी इस कार्य को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि जल्दी से जल्दी असेसमेंट किया जाय ताकि टैक्स जल्दी वसूल हो सके ?

श्री जयराम वर्मा---

इस बात की कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी टैक्स तय कर दिया जाय लेकिन टर्न ओवर के ऊपर जितना कम्पनी अपने ऊपर टैक्स समझती है उतना वह देती रहती है। इस कम्पनी ने ६३-६४ में ९,३२,४६५.८३ रु० तथा ६४-६५ में १३,०१,७०१.३१ रुपए जमा किए थे।

रायबरेली जिले में लगान वसूली मुल्तवी करने की प्रार्थना

*६---श्री भगवानदीन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में पानी न बरसने के कारण खरीफ की फसल बिलकुल नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार गत खरीफ की फसल का लगान आगे वाली रबी की फसल तैयार होने पर वसूलेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जिला रायबरेली में खरीफ १३७३ फसली में अल्प-वृष्टि के कारण थोड़ी बहुत हानि पहुंची है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि फसल बिल्कुल नहीं हुई। हानि के सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार सहायता स्वीकृत कर दी जायगी।

श्री भगवानदीन---

जैसा मन्त्री जी ने उत्तर दिया क्या उनको यह पता है कि किस आधार से इस क्षति का पता लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

आधार वही है जो हुआ करता है।

श्री रियासत हुसैन---

रायबरेली में खरीफ की फसल में ज्वार तथा अन्य अन्न शामिल हैं तो रिपोर्ट में किस किस फसल में कितने-कितने प्रतिशत का नुकसान बतलाया गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

सारी फसलों का ब्योरा मेरे पास नहीं है लेकिन जो कुछ सहायता हम ने दी है लिपिबद्ध है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

उत्तर में कहा गया है कि कहीं थोड़ा कहीं बहुत नुकसान हुआ है तो इससे निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि कितना नुकसान हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि थोड़ा या बहुत जो कुछ भी नुकसान हुआ है वह नुकसान कितने आने में हुआ है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है यह कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसको आदरणीय सदस्य न समझते हों। यह तो एक मुहावरा है।

*७-८---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) --

[स्थगित किये गये]

तहसीलदार पद का चुनाव

*९---श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अंतिम बार स्थायी तहसीलदार पद का चुनाव कब हुआ और क्या यह सत्य है कि इस समय प्रदेश में स्थायी तहसीलदारों में सैकड़ों रिक्त स्थानों पर स्थानापन्न तहसीलदार कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रशासन का स्तर नीचे गिर रहा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

१९६१ में। इस समय १४८ स्थायी पद रिक्त हैं जिन पर स्थानापन्न तहसीलदार कार्य कर रहे हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि इससे प्रशासन का स्तर नीचे गिर रहा है।

श्री रामकिशोर वर्मा---

जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है नायब तहसीलदारों का अंतिम बार चुनाव ५९ में हुआ था और काफी तहसीलों में स्थान रिक्त पड़े हुये हैं तो क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि यथासंभव उन रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थायी तहसीलदारों से की जा सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति ऐसी थी कि स्तर गिर रहा था इस लिये स्थानापन्न लोगों को रखा गया और यह लोग काम जाफंसानी से करते हैं इसलिये कि उनको स्थान मिल जाय। लेकिन रिट एप्लीकेशन की वजह से विलम्ब हुआ है। अब जल्दी ही व्यवस्था की जायेगी।

श्री रामकिशोर वर्मा---

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट निवेदन किया था लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि स्थानापन्न लोग अच्छा काम करते हैं तो फिर क्या वजह है कि आप ने स्थायी तहसीलदारों का चुनाव किया ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

श्रीमन्, ऐसा निवेदन नहीं किया कि स्थानापन्न लोग स्थायी से अच्छा काम करते हैं। जब मजबूरी होती है तब स्थानापन्न लोग लगाये जाते हैं।

नोट :---तारांकित प्रश्न ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विद्यालयों में सैनिक शिक्षा

*१०—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री पी०एस० डी० के अन्तर्गत विद्यालयों में दी जाने वाली सैनिक शिक्षा के संबंध में सूचना देने की कृपा करेंगे ? क्या छात्रों को पूरे २ वर्ष तक केवल लकड़ी की नकली रायफिलों से सैनिक शिक्षा दी जाती है और छात्रों के स्वास्थ्य, आयु और शारीरिक योग्यता के आधार पर उपयुक्त योग्य लड़कों का चुनाव न करके सभी छात्रों को अनिवार्य रूप यह शिक्षा दी जाती है ?

श्री राममूर्ति—

पहले वर्ष में लकड़ी की नकली रायफिलों से सैनिक शिक्षा दी जाती है और दूसरे वर्ष में सर्विस रायफिल से रायफिल प्रशिक्षण तथा २२ बोर रायफिल से फायरिंग करायी जाती है जो छात्र स्वास्थ्य हीन (मेडिकली अनफिट) होते हैं उनको इस ट्रेनिंग में छूट दी जाती है ।

*११—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों शिक्षण कार्य-क्रम चलते समय पी०एस० डी० के चुने छात्रों को मार्च-पास्ट तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिये, जैसे १५ अगस्त, २६ जनवरी आदि के पर्वों पर जिला कार्यक्रमों में बुला लिया जाया करता है और इस प्रकार के सार्वजनिक सेवा का कोई प्रमाण-पत्र उन्हें नहीं मिलता ?

श्री राममूर्ति—

मार्च पास्ट तथा आवश्यक कार्यों के लिये जैसे १५ अगस्त, २६ जनवरी आदि के राष्ट्रीय पर्वों पर भाग लेने के लिये अलग से प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता ।

*१२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन०सी०सी० के सैनिक शिक्षण जैसी वरीयता पी०एस०डी० के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये भर्ती होने में दी जाती ?

श्री राम मूर्ति—

राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में, भर्ती के संबंध में न तो एन० सी० सी० के छात्रों को कोई वरीयता दी जाती है और न पी० एस० डी० के छात्रों को ।

*१३-१४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

*१६-१७—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८-१९—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

वाराणसी मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान

*२१—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल के किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान, वाराणसी मंडल के उप शिक्षा निदेशक द्वारा वर्तमान एवं गत वर्ष में दी गई?

श्री राममूर्ति—

अपेक्षित †सूचना संलग्न सूची (क) और (ख) में प्रस्तुत है।

*२२-२३—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

इलाहाबाद जिले में लगान वसूली स्थगित करने की मांग

*२४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, प्रयाग द्वारा दिनांक ३० अक्तूबर, १९६५ को सर्व सम्मति से पारित एक प्रस्ताव जिसमें कि जिल की फसल नष्ट होने के कारण लगान वसूली को स्थगित करने की मांग की गई थी, सरकार को नवम्बर, १९६५ म सिली? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जी हां, सरकार ने उससे पूर्व ही अगस्त, १९६५ में जिले के अतिग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी आदि के बकाया की वसूली को नवम्बर १५,१९६५ तक स्थगित किये जाने के आदेश दे दिये थे। नवम्बर,१५, १९६५ के बाद भी जिले में आवश्यकतानुसार मालगुजारी आदि सरकारी देयों की वसूली के बारे में आदेश भेजे जाते रहे हैं।

*२५-२६—श्री देवदत्त मिश्र—

[स्थगित किये गये]

बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए पुस्तकें

*२७—श्री मंगल देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५६ में एक योजना इस आशय की स्वीकृत हुई थी, जिसके अनुसार बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के पथ-प्रदर्शनार्थ पुस्तिकाओं को तैयार करना था? यदि हां, तो क्या उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—

जी हां। योजना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

[देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५२ पर।]

*२८—श्री मंगल देव—

क्या यह सही है कि उक्त योजना में ९७,००० रुपये खर्च होने के बाद भी अब तक पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई? अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

---

†छापी नहीं गई।

श्री राममूर्ति—

जी हां ; पुस्तकें राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से प्राइवेट मद्रणालयों द्वारा छपवाई जा रही हैं ।

*२९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०—श्रीमती बृजरानी मिश्रा—

[८वें बुधवार के लिये प्र०सं० ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मुहम्मदाबाद तहसीलों में चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३१—सर्वश्री रघुवीर तथा झिलमिटराम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद के बहुत से चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार वगैरह के संबंध में दिनांक २० दिसम्बर, १९६५ ई० को श्री सरजू पांडेय, एम० पी० तथा और व्यक्तियों के नाम से जिला भूमि प्रबन्धक अधिकारी के पास एक पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो पत्र में जितनी शिकायतें की गई हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । एक दरख्वास्त दिनांक २०-१-६६ को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध दी गई है जिसमें कुछ चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । इन आरोपों की जांच की जा रही है ।

*३२—श्री कन्हैया लाल(जिला मथुरा)—

[स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिले के माल विभाग में हरिजन कर्मचारी

*३३—श्री रघुवीर सहाय कैथवार(जिला फतेहपुर)—

२८ जनवरी, १९६६ के अतारांकित प्रश्न ४ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि अमीनों, लेखपालों, चपरासियों के पदों के लिये पूर्ण योग्य व शिक्षित हरिजन जिले में उपलब्ध होने पर भी उसके संरक्षण के अनुपात से न नियुक्त करके ९७ में ४ अमीन, ३४७ में ९ लेखपाल और १८० चपरासियों में से २५ ही चपरासी रखने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी सूचना है कि अनुसूचित जाति के सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

*३४—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

उक्त दिनांक २८ जनवरी, १९६६ के अतारांकित प्रश्न ५ के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जिले में २५ प्रतिशत के हिसाब से एक चौथाई उपलब्ध हरिजन लिपिक व कानूनगों और ४५ प्रतिशत के हिसाब से ४० चपरासी न रख कर ६० में ३० लिपिक, २६ में १ कानूनगो व ८६ में ४ चपरासी रखे जाने का आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सुपरवाइजर कानूनगो धोंका चुनाव राज्य स्तर पर होता है। जिले स्तर पर उनके आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता । रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का चुनाव पदोन्नति

से होता है जिसमें आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे पदों के लिये अनुसुचित जातियों के योग्य अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

*३५—श्री रघुवीर सहाय कंधवार—

उक्त दिनांक २८ जनवरी, १९६६ के अतारांकित प्रश्न ६ के उत्तर संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलेक्टरी, फतेहपुर में हरिजन संरक्षण नहीं है ? यदि संरक्षण है तो १२१ लिपिकों में ४ हरिजन लिपिक १२५, चपरासियों में १० ही हरिजन चपरासी क्यों रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टरी फतेहपुर, में हरिजन संरक्षण है लिपिकों तथा चपरासियों के पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या में उनके निर्धारित प्रतिशत से न होने का मुख्य कारण चुनाव के समय अनुसूचित जाति के सुयोग्य उम्मीदवारों का अभाव है।

*३६–३७—श्री लखी सिंह—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार कर हटा दिये गये।]

*३८—श्री लखी सिंह—

[८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

*३९—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

*४०–४१—श्री शिवचरन लाल—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

*४२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया]

हुसैनाबाद इन्टर कालेज, लखनऊ में शिया थियोलोजी की शिक्षा

*४३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजकीय, हुसैनाबाद इंटर कालेज में मुस्लिम रिलीजन को विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था क्यों है तथा यह विषय पढ़ाने वाले अध्यापक को राजकीय कोष से वेतन क्यों दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—

यह विद्यालय हुसैनाबाद ट्रस्ट से सरकार द्वारा लिया गया था। उससे पहले इस विद्यालय में शियाथियोलोजी की शिक्षा दी जाती रही है। धार्मिक शिक्षा देने वाले अध्यापक का वेतन हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है।

*४४—श्री होरीलाल यादव—

[स्थगित किया गया]

कलेक्शन आफिस, फर्रुखाबाद के क्लर्क पर आरोप

*४५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रूखाबाद जिला के कलेक्शन आफिस के एक लिपिक ने कई व्यक्तियों से २०० रुपये और २५० रुपये धोखा देकर लिये कि तुम लोगों को बोरिंग मैकेनिक की नौकरी दिला दूंगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी शिकायतें मिली हैं। असलियत का पता लगाने के लिये जांच की जा रही।

*४६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्हीं व्यक्तियों ने जिलाधीश पुलिस अधीक्षक को कई शिकायती-पत्र दिये कि हम लोगों से धोखा देकर रुपया ले लिया और नौकरी उस लिपिक ने नहीं दिलाई ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। शिकायतें मिलते ही जिलाधिकारी ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। कुछ लोगों के बयान लिए गये हैं।

*४७—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों ? क्या शीघ्र जांच करके लिपिक के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी और रुपया दिलाया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जांच अभी चल रही है। लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही जांच के परिणाम पर निर्भर है।

पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*४८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद नौकरी में ले लिए गये हैं उनका जो वेतन निर्धारित किया जाता है उस पर क्या उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो इस महंगाई के जमाने में भी उन्हें महंगाई भत्ते देने पर विचार किया जावेगा ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां, जो सरकारी कर्मचारी सेवा से निवृत्ति होने पर पुनः सरकारी नौकरी में लिये जाते हैं उन्हें भी महंगाई भत्ता दिया जाता है।

*४९—५१—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५२—श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

[८ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५३—श्री ऊदल—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५४—[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

*५५—श्री रामकिशोर वर्मा—

[७वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

तहसीलदार, जालौन को दस गुना लगान सम्बन्धी कथित पत्र

*५६—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में म्युनिसिपलबोर्ड आबादी बाहर की जमींदारी समाप्त होने पर १९६६ के जनवरी मास में कितने प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, जालौन के पास आये, जिसमें दस गुना लगान दाखिल करने की आज्ञा मांगी गई थी और उन को आज्ञा नहीं दी गई ? उनकी नामवार सूची देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जनवरी, १९६६ में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*५७—श्री विजयसिंह—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार कर हटा दिया गया ।]

आयुक्त, झांसी मण्डल के विचाराधीन नगरपालिका, जालौन के भूमि सम्बन्धी कागजात

*५८—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जालौन जिले में जालौन तहसील के म्युनिसिपल बोर्ड बाहर आबादी के कागजात झांसी कमिश्नर के यहां कई वर्षों से पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो वहां पर दस गुना लगान जमा करने की आज्ञा क्यों नहीं दी जाती ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । झांसी मंडल के आयुक्त के यहां ये कागजात फरवरी तथा मार्च, १९६६ से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ६ के अन्तर्गत सीमांकन में पाई गई कतिपय त्रुटियों के निवारणार्थ विचाराधीन हैं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

मंझनपुर तहसील में लगान वसूली का स्थगन

*५९—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष के खरीफ फसल में हुई क्षति के सम्बन्ध में जिला इलाहाबाद प्रयाग के तहसील मंझनपुर के कृषकों को कितनी-कितनी छूट दी गई ? क्या उसकी सूचना कृषकों को देकर शेष लगान वसूल किया जा रहा है अथवा सम्पूर्ण बकाया सहित ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

सहायता संबंधी प्रस्ताव जिलाधीश द्वारा राजस्व परिषद् को भेजा गया है और उनसे शासन को प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार छूट स्थगन स्वीकृत किया जावेगा । प्रस्तावित सहायता राशि की सूचना संबंधित कृषकों को दे दी गई है । शासन ने यह आदेश भी जारी कर दिये हैं कि मंझनपुर की तहसील में, जहां ५० पैसे या अधिक नुकसान हुआ है वहां लगान, सिंचाई तकावी ऐक्ट १२ की वसूली ३१ मार्च, १९६६ तक स्थगित कर दी जावे ।

शाहजहांपुर जिले में तहसीलवार गबन

*६०—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में तहसीलदार कितना गबन पिछले चार साल में किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५३–७५४ पर)

*६१—श्री मुहम्मद रफी खां—

इस गबन के जिम्मेदार कौन लोग है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार फौरी-तौर पर करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गबन के लिये जिम्मेवार कर्मचारियों में से कोई भी अब सरकारी सेवा में नहीं है। उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*६२–६३—श्री सत्यनारायण पांडेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

*६४—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री होरी लाल यादव—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

*१–२—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रधान, ग्राम सभा मझूपुर हैदरगढ़ के विरुद्ध जांच

३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम सभा मझूपुर-हैदरगढ़ के किसानों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। प्रार्थना-पत्र जांच के लिये जिलाधिकारी को भेज दिया गया है ।

संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन देने का सुझाव

४—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश में संस्कृत पाठशालाओं के काष्ठोपकरण पुस्तकालय और भवन आदि के अनुदानों के बिलों की स्वीकृति तो जिला विद्यालय निरीक्षक करते हैं किन्तु अनुपालन (वेतन) अनुदानों के बिलों की स्वीकृति उत्तर प्रदेशीय संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा होती है जिससे संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को छः-छः मास तक अनुपालन अनुदान नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा ही अनपालन अनुदानों के बिलों पर स्वीकृति दे दी जाया करे ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। विषय शासन के विचाराधीन है।

नौगढ़ ब्लाक में स्कूली इमारतें

५—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में मझगवां जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल व नौगढ़ प्राइमरी स्कूल की इमारतें बहुत खराब हैं तथा मझगवां में इमारत भी नहीं है? यदि हां, तो सरकार कोई विशेष व्यवस्था करने पर विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—

प्राइमरी स्कूल मझगवां के पास भवन नहीं है, जूनियर हाई स्कूल मझगवां के पास जनता द्वारा बनवाया हुआ तीन कमरे का एक छोटा भवन जीर्ण अवस्था में है। नौगढ़ प्राइमरी स्कूल की इमारत भी जीर्ण हो गई है।

जिला परिषदों के पुराने (प्लान से पूर्व) स्कूलों के भवन हेतु कोई प्राविधान शिक्षा बजट में नहीं है। ऐसे स्कूल भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार जिला परिषद् के शिक्षा बजट की बचत से की जाती है।

बलिया जिला परिषद् के कन्या पाठशालाओं में वेतन-वितरण

६—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग की योजना २८ के अन्तर्गत बलिया जिला परिषद् द्वारा खोले गये बालिका विद्यालयों में कौन-कौन अध्यापिकाओं ने कार्य किया और उन्हें कितना वेतन दिया गया?

श्री राममूर्ति—

जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें सामन्जस्य नहीं है। अतः स्पष्ट सूचना एकत्र की जा रही है।

बुलन्दशहर, एटा तथा बिजनौर जिलों की कुछ शुगर मिल्स द्वारा सुरक्षित स्थानों का गन्ना न क्रय करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

गन्ने के विषय में माननीय हिम्मतसिंह जी का बुलन्दशहर के संबंध में माननीय गंगा प्रसाद जी, रामसिंह जी तथा वेदराम जी का एटा के संबंध में और माननीय श्रीराम जी का धामपुर के संबंध में है। इस विषय में माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य सोमवार यानी २८ तारीख के लिये निश्चित हुआ था। मगर मेरे पास माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी का एक पत्र आया है कि वह वक्तव्य सोमवार को न देकर मंगल को देंगे। यह तीन सूचनायें भी वक्तव्य के लिये शामिल होंगी।

शेष नियम ५२ की सूचनाओं को मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, इससे पहले तो विशेषाधिकार की अवहेलना के सवाल आने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आदेश दे दिया है। मैंने सम्मति नहीं दी है।

अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाने के नजदीक बम विस्फोट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २०-३-६६ को ९-४० बजे प्रातः काल हेड कांस्टेबिल बहादुरसिंह, चौकी रसलगंज ने थाना बन्नादेवी, अलीगढ़ पर आकर सूचना दी कि जब वह खैरियत की रिपोर्ट देने चौकी से थाने आ रहा था तो लगभग ९-३० बजे गांधी आश्रम के पास वाली शेरवानी की कोठी से धमाके की आवाज आई और धुआं सा निकलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर वह कोठी के अन्दर गया और दो व्यक्तियों को जख्मी पड़ा पाया। इस इत्तला पर थानाध्यक्ष अन्य सिपाहियों के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और कोठी का पूरा कम्पाउन्ड सील कर दिया गया। एक्सप्लासिव इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया। इस घटना में दो व्यक्तियों को चोटें आईं जिनका अस्पताल में डाक्टरी मुआयना हुआ तथा चिकित्सा हुई। इन घायल व्यक्तियों में से एक स्वर्गीय नवाब मोनिस खां निवासी ग्राम दतावली के पुत्र हैं। घटनास्थल के निरीक्षण तथा जांच से यह मालूम हुआ है कि यह बिस्फोट बम अथवा क्रैकर के फटने से नहीं हुआ बल्कि रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से हुआ मालूम होता है। इन्स्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव, आगरा क्षेत्र के मौके के निरीक्षण के बाद रासायनिक पदार्थ उनके साथ पूर्ण जांच के लिए भेज दिये गये हैं।

२—इस घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा धारा ५/६ एक्सप्लासिव ऐक्ट के अन्तर्गत थाना बन्ना देवी में अपराध संख्या १११ पर २०-३-६६ का कायम किया गया है जिसकी विवेचना हो रही है। इस सम्बन्ध में दोनों घायल व्यक्ति तथा स्वर्गीय नवाब मोनिस खां के एक और पुत्र को गिरफ्तार किया जा चुका है।

३—पुलिस घटना होने के बाद तुरन्त ही मौके पर पहुंच गई थी तथा कोई व्यक्ति घटनास्थल से रासायनिक पदार्थ आदि लेकर नहीं भागे।

४—घटना के बाद पूरे शहर में पेट्रोलिंग जारी रखी गयी और स्थिति पूर्णतया सामान्य है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब धमाका बम विस्फोट या राकेट की वजह से नहीं हुआ तो यह रासायनिक तत्व इसलिये इकट्ठा किया गया कि इस तरह की चीजें बनायी जायं? क्या उनको इसकी जानकारी है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इसकी जांच की जा रही है कि वह चीजें वहां आखिर क्यों इकट्ठा थीं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कोठी गांधी आश्रम के बराबर है, जिसको मैंने काफी अच्छी तरह से देखा है। एक दो रात उसमें ठहरने का मौका भी मिला है, क्योंकि यह माननीय शेरवानी जो, यू० पी० संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिये यह घटना इतनी बड़ी कोठी के भीतर क्यों नहीं हुई, बरामदे में क्यों हुई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो जांच की बात है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या यह सही है कि माननीय अनीस उस घटना के दिन यानी २१ मार्च को यहां पर थे भी नहीं, उस दिन वह आगरा में थे? फिर भी माननीय अनीसुर्रहमान को गिरफ्तार किया गया, इसका क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह तो सूचना मेरे पास अवश्य है कि वह गिरफ्तार हुये हैं, लेकिन उस दिन वह वहां थे या कहां थे, इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है। आप को इसकी कोई सूचना हो सकती है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह धमाका किसी बम विस्फोट या क्रेकर का नहीं था बल्कि रासायनिक पदार्थ का था। तो क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जब वह लड़के सीढ़ियों से उतर कर जा रहे थे, तो उसे सीढ़ियों पर एक पैकेट पड़ा मिला और उत्सुकतावश जब उसने उसे खोलकर देखना चाहा, तो वह फट गया ? तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि यह कांड किसी पूर्व योजना का परिणाम है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इन सब चीजों की जांच हो रही है और जब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचा न जाए कि किस तरह से वहां पर रासायनिक पदार्थ इकट्ठा हुआ और किस लिये इकट्ठा हुआ था, तब तक इस प्रश्न में मेरे लिये कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ने उन्हें इस बात की सूचना भेजी है कि वहां पर देशी क्षेप्यास्त्रों का निर्माण किया जा रहा था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या मानीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि श्री शेरवानी साहब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और चूंकि उन्होंने टाइगर लाक कम्पनी में हड़ताल कराई थी, इसलिये उस कम्पनी के मालिक ने दुश्मनी के कारण षडयंत्र करके एक पैकेट उनकी सीढ़ी पर रख दिया था और एक भोले भाले लड़के ने जब उसे उठा लिया तो उसका हाथ फट गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि उस विस्फोट में घायल हुये व्यक्तियों को कितनी चोटें आयीं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इसमें बड़ा ब्योरा है, पढ़ने में देर लगेगी । लेकिन हाथ पर है, मुंह पर है और एक हथेली जल गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या बहुत लम्बी सूची है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जी हां ।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लड़का घायल हुआ है और गिरफ्तार किया गया है, उसके बयान लिये गये हैं ? और यदि लिये गये हैं तो क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यों अभी इंवेस्टीगेशन हो रहा है । जो बयान लिये गये हैं, उसकी इत्तिला यहां नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

इस घटना का जांच अधिकारी कौन है ? दूसरी चीज में यह जानना चाहता हूं कि जैसा सदस्यों की ओर से कहा गया कि दुश्मनी से यह पैकेट रखा गया, जिससे यह कांड हुआ तो क्या आप इस प्रश्न पर भी जांच के लिये आदेश देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

घटना की जांच हो रही है, अभी क्या कहूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ५२ के अन्दर यह वक्तव्य है और दो-दो तीन तीन दिन बाद तो मंत्री लोग वक्तव्य देते हैं और आज भी मंत्रीजी कह रहे हैं कि जांच हो रही है । तो आप कृपया यह व्यवस्था करें कि जब पूरी उनको जानकारी हो जाय तब यहां पर फिर से उत्तर दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजेन्द्रसिंह--

जो सामान वहां प्राप्त हुये हैं, उनमें क्या-क्या चीजें प्राप्त हुई हैं जिनका एक्जामिनेशन करने के लिये ये एक्सपर्ट के पास भेजी गयी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जितनी चीजें वहां एक्सप्लासिव्ज को मिली हैं, वह सब एक्स्प्लासिव्ज इंसपेक्टर ले गये हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

वहां बहुत कुछ प्राप्त हुआ है. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

उनके पास सूचना होती तो वे बताते ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बम विस्फोट में रासायनिक मिश्रण पाये गये क्या उसी तरह के रासायनिक पदार्थ उस मकान के अन्दर भी पाये गये थे जहां यह उस मकान के बाहर मिले थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह कोठी सील कर दी गयी है । उसमें जितनी रासायनिक मिले वह सब एक्स-प्लोसिव इंस्पेक्टर जांच के लिये ले गये हैं ।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

यह चीजें जो मिली हैं, वह क्या सीढ़ियों पर मिली हैं या किसी जगह मिली है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि वह कहां से मिलीं हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

ये अनीसुर्रहमान शेरवानी, जिनका इस कांड से सम्बन्ध बताया जाता है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रहनेवाले हैं और राष्ट्रीय विचारधारा के माननेवाले हैं और मुस्लिम लीगियों ने इन पर जबरदस्त हमला भी किया था और इनको बहुत चोटें भी आयीं थीं ? क्या यह भी सही है कि यह सब मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ की पालिटिक्स हैं जिसकी वजह से यह कांड रचा जा रहा है और क्या इसकी सूचना सरकार को है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

हमें इतनी सूचना है कि वाइस-चांसलर पर जो आक्रमण हुआ था, उसमें इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

यह जो आदमी सीढ़ियों से जा रहा था क्या यह सही है कि यह अपने घर से सामान लेकर दूसरी जगह जा रहा था और उसके गिर जाने से यह सब कुछ हुआ ? फिर मंत्री जो सामान की फेहरिस्त क्यों नहीं बता रहे हैं, उनको इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने बताया कि जितनी चीजें थीं वह सब एक्सप्लोसिव्ज इंस्पेक्टर ले गये और उसकी फेहरिस्त यहां नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जो इसकी सी० आई डी० द्वारा जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं मालूम होती ।

श्री टम्केश्वर प्रसाद--

क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस कांड का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निश्चित रूप से सम्बन्ध है, इसकी व्यापक जांच कराने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिर कहीं इस प्रकार की कोई दुर्घटना होने की सम्भावना तो नहीं है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मालूम होता है कि माननीय सदस्य को कोई गलत फहमी हो गयी है । श्री अनीसुर्रहमान खां को इस सम्बन्ध में नहीं पकड़ा गया है । मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जिन पर मुकदमा चल रहा है वे इसमें नहीं पकड़े गये हैं । वह उनके भाई हैं जो इसमें पकड़े गये हैं और अभी तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि अलीगढ़ कांड से इसका कोई सम्बन्ध है ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त ।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१--सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १८,९३,३८,४०० रुपये का मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अब हमें माननीय सदस्यों को एक सूचना देनी है । माननीय मंत्री जो कृपया बैठ जायं ।

लोक लेखा, प्राक्कलन तथा विभिन्न स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

सदन की समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जो हमें चुनाव करने हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय राम सुन्दर पांडेय ने एक पत्र लिखा है कि ६ अप्रैल को हमारे लिये सुविधाजनक नहीं है । तो अब यह तय हुआ कि लोक लेखा समिति के २१, प्राक्कलन समिति के २५ और मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ३०-३-६६ के ४ बजे तक नाम वापसी की तारीख रखी जाती है और यदि नाम वापस नहीं हुये तो १५ अप्रैल, १९६६ को नियत समय पर विधान वाचनालय में निर्वाचन सम्बन्धी मतदान होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

एक निवेदन मैं कर दूं कि अभी कुंवर श्रीपालसिंह से बात हुई है, वे कहते हैं कि ३० तारीख को रामनवमी का त्योहार है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका यह मतलब नहीं है कि ३० तारीख को ही हो । उसके पहले आप कर सकते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, यह भी बतला दिया जाय कि हाउस कब तक चलेगा, मुझे मालूम हुआ कि हाउस २९ या ३० को बन्द हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

३० तारीख तक तो हाउस नहीं उठ रहा है, ३१ तारीख को रामनवमी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

पांडेय जी ने बतलाया है ।

श्री अध्यक्ष--

पहले उन्हें हमें बतलाना चाहिये ।

श्री मैनेजर्रासिह (जिला बलिया)--

कौंसिल में इसकी घोषणा हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

कौंसिल में कोई घोषणा हो जाय तो उसकी पाबन्दी हमारे ऊपर नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, यह बतला दिया जाय कि किस किस तारीख को सदन बन्द है और कब खुलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

३० तारीख तक तो सदन है ही निश्चित रूप से ।

श्री नेकराम शर्मा--

खयाल यह है कि यह तय हो गया है कि सदन ११ तारीख को खुले । अगर हमें ठीक से मालूम हो जाय तो हम लोग भी उसी के मुताबिक अपने प्रोग्राम बना लें ।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्र पन्न शर्मा)--

कल बतला देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी और माननीय सदस्यों को बतला दिया गया, पहले मेरे पास सूचना आनी चाहिये । यह बिलकुल गलत तरीका है कि बगैर मेरे जाने हुये और बिना मुझसे पूछे हुये ही सदस्यों को बतला दिया गया ।

अब इस सम्बन्ध में मैं इस वक्त कुछ नहीं पूछूंगा ।

जन संघ विधायक दल से कुछ सदस्यों के अलग होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना माननीय गंगा प्रसाद, माननीय अवैद्यनाथ और माननीय रामसिंह शाक्य की है जो इस प्रकार है--"आपको विदित ही है कि हम तीन विधायक हिन्दू महासभा के टिकट पर चुनकर विधान सभा में आये हैं । भारतीय जनसंघ को अपनी भावना के निकट पाकर विधान सभा में जनसंघ के साथ बैठकर विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेना स्वीकार कर लिया था और सदन में उन्हीं के साथ संयुक्त रूप में बैठते थे । अभी हाल में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले राज्य सभा तथा विधान परिषद् के निर्वाचन में भारतीय जनसंघ द्वारा कम्युनिस्ट विधायक दल से जो चुनाव सम्बन्धी गठबन्धन किया गया है उससे हम लोग अत्यधिक क्षुब्ध एवं असन्तुष्ट हैं तथा इसको हम अपनी विचारधारा एवं आदर्श के विपरीत समझते हैं। अतः हम लोगों ने अपने को भारतीय जनसंघ विधायक दल से पृथक् होने का निर्णय किया है और आज से हम लोग "हिन्दू सभा विधायक दल" के नाम से पृथक् रूप में बैठेंगे ।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत)

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सिंचाई मंत्री जी अपने भाषण में पिछले १८ वर्ष में सिंचाई विभाग द्वारा पूर्वी जिलों में जो कटान रोकने की योजना चल रही है उसके लिये क्या किया है, बतायें ? वहां पर कटान से ४० हजार लोगों के लिये गायघाट के बांध से खतरा पैदा हो गया है । उस सम्बन्ध में यह बतलायें ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हम चाहते हैं कि मंत्री जी अपने भाषण में कुछ ठोस बातें हमको बतलायें कि कटान रोकने के लिये वह अपने विभाग द्वारा क्या कार्य करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप उनको सुन लीजिये । यह इस सम्बन्ध में भी प्रकाश डाल देंगे ।

श्री गिरधारीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ७,८१,३७,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २७,७२,७८,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकर की जाय ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपके घर के तो चारों तरफ चहार दीवारी है । हम लोग तो बिलकुल मैदान में रहते हैं । मर जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो बात कही है मन्त्री जी उस सम्बन्ध में अपना उल्लेख कर देंगे ।

श्री गिरधारीलाल—

श्रीमन्, सिंचाई विभाग का जहां तक सम्बन्ध है एक तरह से सूबे के अन्दर जितना सिंचाई का काम होता है, उसका लक्ष्य उपज बढ़ाने का है । वास्तव में सिंचाई विभाग का जो इतिहास है वह ऐसा इतिहास है कि जिस वक्त हमारे सूबे में या हमारे मुल्क में अनावृष्टि या सूखा पड़ता था तो उससे रक्षा करने के लिये हमारे सूबे के अन्दर कुछ नहरें बनीं और उन नहरों से जो खास खास फायदा रहा वही साधारणतः हमेशा होता रहा और ऐसे सूखे के अवसर पर ही उसका विशेष फायदा रहा । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे सिंचाई विभाग की जो पद्धति है, जो बुनियाद और सिद्धान्त है यह रक्षात्मक सिद्धान्त है और इसी खयाल से यह इर्रीगेशन या सिंचाई का

काम जितना शुरू से होता चला आया है वह एक्सटैन्सिव यानी किसानों को पानी देकर फसलों की रक्षा करना है । इसी खयाल से यह रही । आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जैसे दिन ब दिन आबादी बढ़ती जाती है वैसे ही राष्ट्र की और जनता का यह तकाजा है कि जब तक हम इन्टैन्सिव कल्टीवेशन के जरिये से सघन खेती के जरिये से अन्न नहीं उपजायेंगे तब तक हम अपनी आबादी के लिये उनकी जरूरत के मुताबिक अन्न नहीं उपजा सकेंगे और बाहर से मंगाना पड़ेगा। इन तमाम बातों को देखते हुये जहां एक ओर सरकार तमाम इर्रीगेशन को सूबे भर में फैलाना चाहती है उस के साथ ही साथ पिछले दो साल से आपने देखा होगा कि प्राइवेट इर्रीगेशन को भी काफी प्रोत्साहन दिया गया, जिस की कल या परसों सदन में काफी चर्चा भी हुई । इस तरीके से एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव इर्रीगेशन के साथ साथ हम इंटेंसिव इर्रीगेशन और कल्टीवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं । मैं इस वक्त इन तमाम बातों में ज्यादा नहीं जाऊंगा । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह खास काम था और दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम ने बाढ़ों और जल प्रवाहों को रोकने का प्रयत्न किया । इसने लोगों का काफी नुकसान किया था, लेकिन १९५३ से हमारे राष्ट्र ने और नेताओं ने इन चीजों को बरदाश्त नहीं किया और उस के लिये राष्ट्र ने आवश्यक कदम उठायें और केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकार की जितनी शक्ति थी उस के अनुसार उसने इस दिशा में काम किया । उसने तब से लेकर अब तक सूबे में करीब १२ लाख एकड़ जमीन बचाई । हमारे सूबे में ज्यादा से ज्यादा १ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस में हिस्ट्री के अंदर बाढ़ से नुकसान हुआ है और औसतन ५५ लाख एकड़ ऐसी है, कुल ४ करोड़ एकड़ जमीन में से, जिस को हर वर्ष इस सूबे में नुकसान हुआ करता है। इन तमाम बातों की तरफ भी सरकार का ध्यान गया और जैसा मैंने बतलाया कि १९५३ में इसके लिये फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना की गयी और उस में से अब तक हमारे सूबे के पहले दो प्लानों में करीब १२ करोड़ रुपया इस काम पर खर्च हुआ और अब तक कुल १८ करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है और १२ लाख एकड़ जमीन की रक्षा की गयी है।

हमारे बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन की ख्वाहिश की पूर्ति हम नहीं कर पाये और बहुत से अपने माननीय दोस्तों की भी ख्वाहिश की पूर्ति नहीं कर पाये क्योंकि कोई भी आदमी मेरे स्थान पर हो, उस को मुकाबला कर के देखना पड़ेगा कि कहां कम से कम लागत से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। बहुत से इलाकों में १००० या ५०० की आबादी है और वहां दो, तीन करोड़ रुपया लगा कर ही फ्लड को रोका जा सकता है, दूसरी जगह दो, तीन लाख की आबादी है और केवल थोड़ा पैसा खर्च कर के ही वहां की बाढ़ हम रोक सकते हैं और लोगों को ज्यादा सुविधायें दे सकते हैं। इसलिये यूटिलिटेरियन प्वाइंट आफ व्यू से इस बात को देखा गया और उस के अनुसार हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं । अगला जो चौथा प्लान है उसमें कुल मिला कर २५ करोड़ रुपया इस मसले के लिये है और मैं यहीं बतला देना चाहता हूं कि हमारा जो अगले वर्ष का बजट है यह चौथे प्लान का एक हिस्सा है । पहले भी यह बात सदन में रखी गयी होगी कि इस वर्ष जितना भी अनुदान और बजट है वह अगले प्लान का एक हिस्सा है इसलिये कि इस समय हमारा देश प्लान के जरिये से विकास की ओर बढ़ रहा है, और इस बीच पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच उलझन हुई । उसमें हमारा ध्यान बंट गया और आर्थिक र हमारे सूबे पर पड़ा और हमारी बहुत सी शक्ति उस तरफ हट गयी। उन तमाम बातों को करके यहनिर्णय लिया गया कि हमको अपना प्लान तो नहीं छोड़ना है, लेकिन इस वक्त थोड़े समय लिये हमको अगले प्लान का एक ही वर्ष लेना है और उसमें जो बहुत ही जरूरी काम जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता और पैसा खर्च करके वह काम पूरे हो सकते हैं से जल्दी पूरा करना चाहिये जिससे उसका लाभ अपने प्रदेश को तुरन्त मिलने लगे। जनायें होनी चाहिए जिन से कि साल ६ महीने में खर्च करने पर उसका फायदा के सामने आने लगे । इस दृष्टिकोण से अगले साल के अनुदान आपके सामने रखे हुये हैं ।

[श्री गिरधारीलाल]

जहां तक पलड की बात है, अगले साल सिर्फ १ करोड़ रुपया फिलहाल रखा है। वैसे तो २५ करोड़ का एक प्रस्ताव है जिसके जरिये से १७,५०,००० एकड़ जमीन अपने सूबे को बचाना चाहते हैं । अगर वह बचे और १२ लाख एकड़ जो कि अब तक बच चुकी है यह सब मिलायें तो सब मिलाकर २९–३० लाख एकड़ इस तरीके से होती है । इससे काफी हद तक हम अपनी उस मंजिल में सफल हो जायेंगे । मैं समझता हूं कोई मायूसी की बात नहीं है और हमें उम्मीद है कि आगे हम इस काम को बहुत सफलता से करेंगे और ढाई लाख एकड़ सिंचाई की क्षमता हमारे सूबे में उत्पन्न हो गयी है । अगले वर्ष के अन्दान में करीब साढ़े १४ करोड़ रुपया वह रखा गया है जो मेजर और मध्यम प्रोजेक्ट्स के लिये है और साढ़े ३ करोड़ रुपया वह है जो कि माइनर प्रोजेक्ट्स के विषय में रखा गया है । इनके जरिये हमारे सूबे के अन्दर बहुत कुछ काम होने हैं ।

इसके साथ मैं इतना और बताना चाहता हूं कि जो काम इस साल हमारे सूबे में पूरे हो जायेंगे वह हैं माताटीला डैम, शारदा सागर, नानक सागर, दोहरीघाट पम्प कैनाल, टांडा पम्प कैनाल, डुमरिया रिजरवायर, केवलारी टैंक, हिनौटी बंध, कल्लूवाला बंधी, पंचमपुर टैंक और ५०० और ट्यूबवेल हैं जिनका ड्रिलिंग वगैरह करेंगे । ये या तो पूरे हो गये या मार्च–अप्रैल में पूरे हो जायेंगे और अगले वर्ष जो काम पूरे होने जा रहे हैं उसमें हैं मेजा रिजरवायर, टुमरिया एक्सटेंशन रिजर्वायर, बरवा डैम, बौर रिजरवायर, भूसाखंड डैम, पीली रिजरवायर और ढाई सौ ट्यूबवेल्स हैं । उससे २,१२,००० एकड़ पोटेंशियल, आबपाशी की क्षमता पैदा होती है कैनालों से और इन ट्यूबवेल्स से भी १ लाख एकड़ की क्षमता पैदा होती है ।

मैंने सदन में और बाहर भी ट्यूबवेल्स के सिलसिले में बहुत सी बातें सुनी हैं । वह बातें ठीक थीं जो कही जाती थी और मैं भी सहमत था । जैसे कि एक सबकी ख्वाहिश होती है कि जहां-जहां इस प्रकार की त्रुटियां हों और कमियां हों उनको दूर किया जाय तो इस बात को देखते हुये और यह देखते हुये कि हमारे सूबे के अन्दर दूसरे प्लान के अन्दर करीब पौने सात लाख ट्यूबवेल्स थे और ८ हजार से ऊपर अब पहुंच गये हैं, चूंकि यह काम दूसरे कामों के साथ नहीं चल सकता इसलिये इसके ऊपर एक डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है । साथ ही उसमें बहुत सी शिकायतें आयीं, उन सबकी ओर हमारा और अधिकारियों का ध्यान गया है और उनको दूर करने की कोशिश की है । प्लानिंग विभाग के जो डी० पी० ओ० और ए० डी० ओ० वगैरह हैं उनको भी हमने यह हिदायतें दे दी हैं कि वे इन नलकूपों का सरप्राइज चेकिंग करें और मौके पर जाकर देखें कि नलकूप चल रहे हैं या नहीं, वहां पर आपरेटर हैं या नहीं, अगर कोई मशीन खराब है तो गह ठीक हो सकती है या नहीं । इस तरह के जो काम सूबे में हुये हैं, उससे काफी फायदा हुआ है ।

जहां तक हमारी नहरों और नदियों का संबंध है वे पानी के लिये या तो बर्फ पर निर्भर रहती हैं या बरसात पर निभर रहती हैं । बदकिस्मती इस वर्ष जहां और राजनैतिक परिस्थितियों खराब थीं, वहां प्राकृतिक प्रकोप भी था । पिछले वर्ष आपको मालूम है कि वर्षा बहुत ही कम हुई, इसके कारण नदियों का डिस्चार्ज बहुत ही कम था । फिर भी जितना पानी था उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की कोशिश की गयी, एक-एक दूंद पानी का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया गया । जहां पानी की कमी थी, उसको पूरा करने के लिये कहीं-कहीं कच्चे कुयें बना कर भी उसकी पूर्ति की गयी ।

एक बात मैं किफायतशारी के बारे में भी कहना चाहता हूं । इस वर्ष हमारे सूबे में करीब ४ करोड़ की किफायतशारी की गयी है । एक करोड़ ३० लाख की किफायतशारी हमारे इस विभाग में होगी । यह हम वर्त्तमान कर्मचारियों का वर्क लोड बढ़ा कर तथा कुछ स्टाक को कम करके करेंगे । (व्यवधान)

इन सब बातों के साथ मैं यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिला लेविल पर जो अन्य विभाग हैं उनसे काफी सहयोग लेने की कोशिश की गयी है और हमें उनसे काफी कोआर्डिनेशन मिला है । ट्यूबवेल्स की साइट वगैरह तय करने के संबंध में जो शिकायतें आती थीं, उसके लिये हमने हर जिले के अन्दर एक कमेटी बना दी है जो अपने-अपने जिले में स्थानों पर जाकर स्थिति का अध्ययन करके साइट तय किया करेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं यह अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । मैं समझता हूं कि इन अनुदानों को, जिनका संबंध कृषि से है, अन्न से है, सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा, इसमें किसी को मतभेद नहीं होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि सदन इन अनुदानों को एक मत होकर स्वीकार करेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, हम लोगों ने सवाल उठाया था । हमने मंत्री महोदय का भाषण ध्यान से सुना। पर इन्होंने गायघाट , छितौनी और हाहा नाला बांध की चर्चा नहीं की । इन्होंने उलटे चर्चा की कि करोड़ों रुपया जमीन बचाने पर खर्च नहीं होना चाहिये। शहरों को बचाया जाता है यह उपेक्षा की बात है। जहां सरकार बड़े नगरों की आबादी बचाने की बात करती है वहीं पर उसे ग्रामों की आबादी और भूमि बचाने की बात करनी चाहिये ।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---बिभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को स्वतंत्र हुये अट्ठारह वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु आज तक हम खाद्यान्न में निर्भर नहीं हो सके। हमारा जीवन आज भी पी० एल० ४८० के सहारे चल रहा है। जब हम जीवन की सर्व प्रथम आवश्यकता के लिये भी दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं तो हम किस प्रकार से अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकते हैं। वास्तव में यह बड़ा दुःखद विषय है कि हम आज तक खाद्यान्न में निर्भर नहीं हो सके और अगर इस बात का किसी पर उत्तरदायित्व है तो वह सिचाई विभाग पर है। खेती के लिये जहां पर खाद और अच्छे बीज की आवश्यकता है वहां सबसे प्रथम सिंचाई की आवश्यकता है। अच्छी खाद दी जाय, अच्छा बीज डाला जाय परन्तु अगर पानी की सुविधा प्राप्त नहीं होती तो खेती की पैदावार नहीं हो सकती, बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हम अभी तक केवल उस भूमि को जिसमें खेती की जाती है, फसलें बोई जाती हैं, राजकीय और व्यक्तिगत सब साधनों से केवल २५ प्रतिशत सींच पाते हैं और उसमें भी जिस भूमि में सिंचाई की जाती है, उसको जितना पानी अपेक्षित है उतना दे नहीं पाते और यह सिंचाई जो बताई जाती है जो कि सरकारी आंकड़े द्वारा प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि सरकारी आंकड़े फर्जी होते हैं वास्तविक सिंचाई होती नहीं और कागज में दिखा दी जाती है। यह भी सब उसमें शामिल है। वास्तव में हमारे पास बहुत से साधन हैं यहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं। यहां ऐसी जमीन है जहां सुविधा से पानी निकल सकता है और जहां

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तक भारत वर्ष का प्रश्न है, सब प्रान्तों को यदि देखा जाय तो उत्तर प्रदेश को यह सब सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन बावजूद इसके हम अपनी खेती को केवल २५ प्रतिशत से अधिक पानी नहीं दे सके। मंत्री महोदय इस बात की बहुधा चर्चा किया करते हैं कि विगत सिंचन वर्षों में हमने इतनी क्षमता बढ़ाई है जितनी ब्रिटिश शासन में एक सदी में बढ़ सकी थी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार के दिये हुये आंकड़ों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा सिंचन क्षमता बढ़ाने की जो रफ्तार है वह ब्रिटिश काल से भी धीमी है। माननीय मंत्री जी ने जो यह प्रगति पुस्तिका दी है उससे यह सिद्ध हो जाता है। सन् १९४७-६१ तक १४ वर्षों में जो सिंचन क्षमता बढ़ी है और जो बृटिश काल में एक शताब्दि में बढ़ी है अगर उसका मुकाबला किया जाय तो बृटिश काल का औसत अधिक आता है।

यह बात तो ठीक है कि सरकार ने सिंचन क्षमता को बढ़ाया विदेशों से ऋण ले कर और कर दाता का पेट काटकर, लेकिन सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा। बावजूद नहरों की लम्बाई और नलकूपों की संख्या बढ़ जाने के सिंचित भूमि और बोर्ड जाने वाली भूमि है, उसके रकबे का अनुपात बढ़ा नहीं है। १९५०-५१ और १९६०-६१ के आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि इस अवधि में सिंचित क्षेत्र और बोई जाने वाली क्षेत्र का अनुपात करीब-करीब स्थिर रहा है। रिजरवायर द्वारा सिंचित भूमि के रकबे में भी कमी हुई है। हां, ट्यूबवैल्स द्वारा सिंचित रकबा बढ़ा है और १०० प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन उतनी ही कमी मैसीनरी वैल्स से जो सिंचाई हुई है उसमें हो गयी है। इतनी नहरों के बढ़ जाने से भी जो सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा है, इसका कोई कारण है जो हमें खोज लेना होगा। हम सिंचाई विभाग पर पूरे बजट का २० प्रतिशत खर्च करते हैं लेकिन फिर भी उसमें इतनी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जो संतोषजनक कही जा सके। सन् १९५१-५२ में नहरों द्वारा जो भूमि सोची गई उसका रकबा ४९.६ लाख एकड़ था और १९६०-६१ में वह रहा ४९.१८ लाख एकड़। यानी करीब-करीब वही रहा है। तालाबों से सींचे जाने वाले क्षेत्र में भी कमी हुई है। १९५३-५४ में जो ११.६५ लाख एकड़ था और वह १९६०-६१ में १०.३५ लाख एकड़ रह गया है। नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र में १९५०-५१ में ६.८३ खाल एकड़ था वह १९६०-६१ में १३.४२ लाख एकड़ हो गया। इस प्रकार से करीब ७ लाख एकड़ भूमि ज्यादा सींची गयी लेकिन सउके साथ ही साथ मेसनरी वेल्स से १० लाख एकड़ में सिंचाई कम हो गयी। मेसनरी वेल्स से १९५०-५१ में ५५.६२ लाख एकड़ की सिंचाई की गयी जो १९६०-६१ में घटर ४५.५६ लाख एकड़ ही रह गयी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक ओर ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई नलकूपों से अधिक हुई और उससे किसानों को अधिक सुविधा मिली तो दूसरी ओर मेसनरी वेल्स के क्षेत्र में १० लाख एकड़ भूमि सिंचाई कमी हो गयी। इस स्थिति पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि स्वतंत्रता के पूर्व जितनी भूमि की सिंचाई की जाती थी उसकी अपेक्षा आज २.५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कम की जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि नलकूपों को मेसनरी वेल्स रिप्लेस कर रहे हैं।

हमारे यहां सन् १९५४-५५ में साधारण कुओं की संख्या ९ लाख थी। वह सन् १९६१-६२ में घटकर ७.८ लाख रह गई और इस हिसाब से १८,००० कुएं प्रति वर्ष हम खो रहे हैं। वास्तव में सिंचाई क्षमता में शिथिलता लाने के लिये सरकार की नीति जिम्मेदार है। सरकार ने वृहत परियोजनाओं पर अधिक व्यय किया और अन्धाधुन्ध रुपया बजट में रखा है जबकि उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुये प्रदेशों के लिये छोटी सिंचाई योजनायें अधिक फलदायक सिद्ध हो सकती थीं। यह ठीक है कि ये वृहत् परियोजनायें कई रूपों में लाभदायक होती हैं और उनके बहुउद्देशीय लाभ होते हैं, उनसे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, उन से बाढ़ के नियंत्रण में भी सहायता मिल सकती है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जो पैसा उनमें लगता है उसका फल बहुत दिनों में सामने आता है और उनके संचालन के लिये हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और कभी-कभी तो हमें विदेशी मुद्रा के अभाव में बहुत-सी ऐसी योजनाओं को स्थगित या बन्द

करना होता है। जब पुराने सिंचाई साधनों पर हम कम व्यय करके अधिक सिंचाई क्षमता पैदा कर सकते थे और जब एक एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये नहर पर लागत व्यय १,२५० रुपया, नलकूप पर २२० रु० और कुंये पर मात्र २५ रुपया आता है तो हमें इन कुंओं की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये था। लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सरकार बड़ी परियोजनाओं की तरफ चलती रही। हमारे लिये आवश्यकता इस बात की थी कि सबसे पहले हम अपनी भूमि को पानी देते और ऐसी योजना लाते जिस से फौरन पानी का प्रबन्ध हो जाता। इन बड़ी योजनाओं से १५-२० साल बाद कुछ फल सामने आता है। आरम्भ में लक्ष्य कुछ और निर्धारित होते हैं बाद में अन्धाधुन्ध रुपया खर्च किया जाता है। अनुमान से बहुत अधिक रु० इन परियोजनाओं पर खर्च कर दिया जाता है। हम लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अब मंत्री जी इसकी ओर कुछ ध्यान दे रहे हैं लेकिन पहले से ही इसको प्राथमिकता देना चाहिये थी। अगर इस तरह से योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता तो मेरा दावा है कि ५ साल के भीतर ही हम एक योजना में ही कुल बोई जाने वाली भूमि की ५० से ७५ प्रतिशत तक सिंचाई कर सकते थे परन्तु करोड़ों रुपया स्वाहा करने के बाद जब हम देखते हैं कि सिंचित भूमि पहले से भी और कम होती जाती है। परन्तु इस पर भी मंत्री जी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के कामों की डींग मारते नहीं थकते। इतनी बड़ी रकम को स्वाहा करने के बाद और हर तरह से कर दाता की कमर तोड़ने के बाद भी हम नहीं समझ सकते कि सिंचित क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ा।

एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से निकली है उसको मैंने गौर से देखा तो ज्ञात हुआ कि राज्य नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा सींची जाने वाली भूमि की पैदावार घट रही है। राज्य द्वारा सिंचाई के साधन प्रदान करने के बाद भी सन् ६०-६१ की अपेक्षा ६२ में फसल का मूल्य १५.१४ करोड़ रुपया कम रही। सरकार को अपनी नीति को बदलनी होगी। उनका मूल्यांकन करना होगा और देखना होगा कि प्राथमिकता किस चीज को देनी है जितनी हमारी वर्तमान सिंचाई क्षमता है उसका भी उचित उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री जी जहां अन्य विभाग के सहयोग की बात करें, उन विभागों के अधिकारियों को सतर्क करें, वहां यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो इस विभाग में ढिलाई है उसको भी दूर करें, फसल खराब हो रही है परन्तु पानी होते हुये भी नहीं दिया जाता। यहां से आदेश जाते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी उन पर कोई ध्यान नहीं देते। सरकार द्वारा लिखा जाता है, आर्डर हो जाते हैं लेकिन नीचे के अधिकारियों में कोई नहीं सुनता।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर श्री अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुये।)

कई बार ऐसा देखा गया है कि नदियों में पानी बराबर जा रहा है लेकिन फसलें सूख रही हैं, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वतः इसकी जांच करें और देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं माननीय मंत्री जी के ही इलाक़े का एक उदाहरण देता हूं। कौलागढ़ के पास अफजलगढ, परगना में एक कांदराबाद ट्रिब्युटरी है। वहां के किसान बराबर पानी के लिये चिल्लाते रहे लेकिन उनको पानी नहीं दिया गया। मैंने इसके बारे में सरकार को लिखा। वहां पर विभाग के एक्जक्यूटिव इंजीनियर भी गये लेकिन नीचे के अधिकारियों के कहने पर उन्होंने किसानों की बातों पर कोई गौर नहीं किया। उच्च अधिकारियों के इस रवैये का यह फल होता है कि किसानों से सम्बन्धित विभाग के जो छोटे कर्मचारी होते हैं, उनके विरुद्ध किसान शिकायत करने की भी आगे हिम्मत नहीं कर सकते हैं। अतः मैं कहूंगा कि जब तक मंत्री जी कड़ाई नहीं बरतेंगे तब तक इस प्रकार की बातें विभाग से दूर नहीं हो सकती हैं। यहां पर कोआर्डिनेशन की कितनी ही बातें क्यों न की जाय उनका फल नहीं निकल सकता।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

दूसरी बात जो मुझे यहां पर कहनी है वह यह है कि सिंचाई के रेट और प्रदेशों के मुकाबले में बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा यह होता है कि चाहते हुये भी किसान पानी नहीं ले पाते हैं। ट्यूबवेलों का पानी जानबूझ कर बन्द रखा जाता है। मैं चाहूंगा कि सिंचाई की दरें सस्ती की जायं और आबपाशी की दर जिस प्रकार से नहरों की होती है, उसी प्रकार ट्यूबवैलों की जाय। आबपाशी पानी के हिसाब से न रखकर फसल के हिसाब से ली जाय। आज सरकार को नलकूपों पर घाटा हो रहा है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य कृषि के उत्पादन का विकास करना है, उनको प्राफिट मोटिव पर चलाना नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आज ट्यूबवैलों पर घाटा हो रहा है तो यह उनके विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हो रहा है, जो कि ट्यूबवैलों को बन्द रखते हैं, उनमें पुरानी मशीनें लगा देते हैं, मशीनों की फर्जी मरम्मत दिखा देते हैं और अगले ही दिन फिर से बिगड़ जाती है और जो नयी मशीनों की खरीद की जाती है तो उनका माल घटिया होता है। अगर नलकूप बन्द रखे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी विभाग के कर्मचारियों के ऊपर है।

यहां पर पतरौल और ट्यूबवैल आपरेटर की लापरवाही की बहुत चर्चा होती है लेकिन मैं यह कहता हूं कि उनसे अधिक लापरवाही और गैर-जिम्मेदार मिस्त्री, और सुपरवाइजर और विभाग के असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं। फर्जी बिलों में उन सबका हिस्सा होता है। छोटे-छोटे कर्मचारियों के मन में यह बात घर कर गई कि चीफ इंजीनियर तक को यह हिस्सा जाता है। अगर ऐसी धारणा छोटे कर्मचारियों के मन में होती है तो वे किस प्रकार से इमानदारी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें चाहे वास्तविकता हो या न हो। जब सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर दौरे पर जाते हैं तो बन्द और खराब कुओं में मशीनें बदल दी जाती हैं। खराब मशीनों की जगह पर अच्छी मशीनें लगा दी जाती है। जो कुयें बन्द रहते हैं उन्हें चलता दिखा दिया जाता है इसकी ओर विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिये। जहां तक ट्यूबवैल आपरेटर को सुविधा देने का सवाल है उसके लिये जंगल में नहीं बल्कि गांव में एक क्वार्टर बनवा देना चाहिय। दूसरे उनका वेतन सरकार को बढ़ाना चाहिये। अगर उनका वेतन नहीं बढ़ाया जायगा तो वह बृटिश काल के समान चलते रहेंगे। अंग्रेजों की तो एक मंशा थी कि जनता का शोषण किया जाय और वे शोषण करते भी रहे लेकिन अब तो दूसरा दृष्टिकोण होना चाहिये। क्या सरकार सोच सकती है कि ६० रु० प्रतिमास पाने वाला व्यक्ति ५ या ६ सदस्यों वाले परिवार का जीवन निर्वाह कर सकता है ? इस बात को माननीय मंत्री जी जरा सोचें कि वे किस तरह से रहते हैं। परन्तु इन बातों का ध्यान न तो वेतन अभिनवीकरण समिति ने रखा है और न बाद में भी उस पर विचार किया गया है। आज सरकार की जो पद्धति है उसमें ब्रिटिश काल से हाथ तो बदले हुये हैं लेकिन दिमाग नहीं बदले हैं। विषमता बराबर बनी हुयी है। उसको कम करने के लिये हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। वृहद परियोजनाओं पर सरकार अन्धाधुन्ध व्यय कर रही है। उन पर होने वाला व्यय का केवल ५० फीसदी इन योजनाओं में काम आता है और बाकी ५० फीसदी ठेकेदारों और इंजीनियरों की जेब में जाता है। यह ठीक है कि हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं जिस पर यह प्रदेश गर्व कर सकता है, पर साथ-साथ ही यह भी सच है कि ५० फी सदी पैसा इन परियोजनाओं का ठेकेदारों और इंजीनियरों की जेबों में जाता है और जो ठेकेदार ठीक प्रकार से काम करना चाहता है उसको नहीं रखा जाता है। इंजीनियरों के रिश्तेदारों और करीब के लोगों को ही ठेका दिया जाता है और इंजीनियर्स ठेके उन्हीं आदमियों को देते हैं जो उनके साझीदार होते हैं। मंत्री जी इस चीज को दूर नहीं कर सकते है क्योंकि उनका मन इसको दूर करने का नहीं है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दिया है कि एक ठेकेदार को २ लाख रुपये का अधिक पेमेंट कर दिया गया। ४०० रुपये प्रति टन का संविदा हुआ लेकिन पेमेंट ६०० रुपये के हिसाब से किया गया जब कि उस संविदा में यह लिखा हुआ था कि मूल्य कम या अधिक होने के कारण केवल ५ प्रतिशत की कमीबेशी हो सकेगी। इसी तरह से स्रोत नदी प्रायोजना बिना प्राविधिक स्वीकृति

के चालू कर दी गई और १९६३ में ६ वर्ष बाद यह मालूम हुआ कि इस योजना से वह लाभ नहीं होगा जिसकी अपेक्षा की जाती है और केवल ११ ट्यूबवैल बनाने से काम चल जायगा । इसी प्रकार से उसरी बांध बनाया गया ८५,००० रु० की लागत से १९५६ में, और उसमें उसी साल दरार पड़ गई । लैंसडाउन में नालियां बनाई गयीं लेकिन उनकी साइट ऐसी चुनी गयी जहां वह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थीं और जब विभाग से कहा जाता है कि सिंचाई क्यों कम हुई तो कह दिया जाता है कि किसान पानी नहीं लेना चाहता । कौन ऐसा किसान है कि जो पानी नहीं लेना चाहता । मूसा बांध में ८० हजार बोरी सीमेंट पत्थर बन गया । मेरे जिले में कालागढ़ बांध बन रहा है । उसमें प्रयोग होने वाला हजारों बोरी सीमेंट धामपुर में पड़ा-पड़ा पत्थर बन गया । कालागढ़ में बहुत-सा सामान बेच दिया गया और उसकी जांच न की जा सकी इसलिये आग लगा दी गई । यह विभाग वास्तव में अत्यन्त उत्तरदायित्वहीनता का परिचय दे रहा है ।

सिंचाई निर्माण कार्यों और सज्जा के विषय में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने लखनऊ में एक व्यवस्था की थी लेकिन लगभग ३ लाख रु० व्यय करने के बाद एक भी व्यक्ति को उसमें प्रशिक्षण नहीं दिया गया और नतीजा यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने इसको सामुदायिक विभाग को उनके व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये दे दिया । रामगंगा योजना में सुरंग बनायी गयी और वह खराब हो गई । कहा जाता है कि जमीन धंस गई । लेकिन जब जमीन के भीतर की चीजों को देखने का तकनीकी ज्ञान हमारे इंजीनियर रखते हैं तो फिर कौन से ऐसे कारण से ऐसी जमीन छांटी जाती है इस सुरंग पर और उसमें ६ लाख रुपया बिलकुल नष्ट हो गया ।

यह विभाग पूंजीपतियों का पोषण कर रहा है और गरीब किसानों का शोषण कर रहा है । रिहन्द योजना में जो बिजली का उत्पादन किया गया वहां पर यदि हम देखें तो जो लागत व्यय आता है वह २.८५ प्रति यूनिट आता है । कुछ व्यय शामिल न कर विभाग इस औसत को कम दिखाता है । १.९ पैसा पर यूनिट पर इस बिजली को एक बड़े पूंजीपति को दिया गया जबकि लागत २.८५ नये पैसे प्रति यूनिट जाती है और किसान से ज्यादा वसूल किया जाता है । उसके लिये दर बढ़ता जाता है । मेरा सीधा सरकार पर चार्ज है कि यह पूंजीपतियों का पोषण है और गरीबों का शोषण है । मैं यह मानता हूं कि विभाग में ईमानदार कर्मचारी होते हैं, सभी कर्मचारी एक से नहीं होते । लिहाजा कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्रोजेक्ट्स के लिये लिया जाय तो सरप्राइज चेकिंग किया करें और जितना स्टाक है उसको किसी भी समय देख लें । जितनी प्रगति प्रोजेक्ट में होती है उसकी प्रति वर्ष डिटेल के साथ सदन में रिपोर्ट देनी चाहिये, इस रिपोर्ट से जो अब दी जाती है, कोई लाभ नहीं होता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों का रवैया सरकार की तरह से है । मजदूरों के प्रति वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं उनसे अपना काम लेते हैं और न करने पर कई तरह के उनके खिलाफ चार्जेज लगाते हैं । कालागढ़ में मजदूरों के साथ जो झगड़ा हुआ उसका उत्तरदायित्व विभाग पर है यदि संघर्ष के बाद फैसला होता है और जायज बातें मान ली जाती हैं तो इन चीजों को पहले से मान लिया जाता तो क्या नुकसान था । उनको सरकार उनके अधिकारों से क्यों वंचित रखना चाहती है ?

मैं सरकार का ध्यान इस विभाग द्वारा संचालित वर्कशाप्स की तरफ दिलाना चाहता हूं । उनमें वे चीजें तैयार की जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती । मेरठ में स्टेनर और बोरिंग सेट्स तैयार किये गये, कई लाख रुपये के जो बेकार पड़े हैं । नियोजन विभाग ने उनको बनवाया था लेकिन वह खराब होने की वजह से उनको ले नहीं रहे हैं । इसकी जिम्मेदारी वर्कशाप पर

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

आती है। मेरा निवेदन है कि वर्कशाप उन चीजों का निर्माण करे जो विदेशों से आती हैं अथवा जिन चीजों का साधारण नागरिक निर्माण नहीं कर सकता। ये चार वर्कशाप जिन स्थानों पर हैं उनके सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर वहां नहीं रहते, कानपुर में रहते हैं। जहां कोई वर्कशाप नहीं है।

छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नहरों में कुलाबे पुराने समय के लगे हुये हैं, उनसे पानी पूरे कमांड एरिया को नहीं मिलता है। फसली कुलाबे भी तब तक नहीं लग सकते जब तक कि नीचे के कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में पैसा न दिया जाय और जब तक उन पर कठोर नियंत्रण नहीं होगा तब तक किसानों को पानी की सुविधा नहीं हो सकती। नहरों की सफाई भी नहीं कराई जाती है और जब पानी के ऊपर बहने से नहर की पटरी कट जाती है तो विभाग अपनी कार्यकुशलता दिखाने के लिये किसानों पर झूठे मुकदमें चलाता है। नलकूपों की जो नालियां बनाई जाती हैं वे पक्की होनी चाहिये, कच्ची नालियां बेकार रहती हैं और रख-रखाव पर ज्यादा खर्च भी होता है और किसान को लाभ नहीं पहुंचता, नालियों में जितनी सामग्री लानी चाहिये उतनी नहीं लगती है। ओवरसियर्स और असिस्टेन्ट इंजीनियर्स के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये। यह आंखों से देखा जा सकता है कि अपेक्षित सीमेंट लगा या नहीं? इसके लिये किसी टैक्निशियन की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर देख सकता है। अगर नहीं देख सकता है तो इंजीनियर कहलाने के योग्य नहीं है। ट्रांसफार्मर्स की बहुत चोरियां होती हैं। इसको रोका जाना चाहिये और इसके लिये सख्त कदम उठाये जाने चाहिये।

छोटे कर्मचारियों के लिये मैंने पहले भी कहा है कि उनका वेतन अधिक बढ़ाया जाना चाहिये जब उनको अधिक वेतन मिलेगा तभी वे दुनियां में रह कर ईमानदारी से काम कर सकते हैं अगर उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता है तो जैसे अंग्रेजों के जमाने में बेइमानी के लिये खुली छूट थी उसी तरह से आज भी सरकार उनको बईमानी के लिये छूट दे रही है। चाहे सदन में भले ही कहा जाता रहे कि सरकार ईमानदारी से व्यवहार करना चाहती है। नलकूप से पानी न देने की सारी जिम्मेदारी पतरौल और आपरेटर के ऊपर डाल दी जाती है जब कि असिस्टेंट इंजीनियर, मिस्त्री और सुपरवाइजर की अधिक जिम्मेदारी होती है, जिनकी सांठ-गांठ से मशीन खराब रहती है और फर्जी बिल बनाने से सारा काम चला करता है, जनता से सीधा सम्बन्ध न होने के कारण ये लोग जनता की दृष्टि से बचे रहते हैं और सीधा सम्बन्ध होने के कारण आपरेटर तथा पतरौल ही जनता की दृष्टि में आते हैं। गलत तरीके से पानी देने, कुंआ बन्द करके कई दिन तक बाहर चले जाने का उत्तरदायित्व यदि आपरेटर पर है तो कुयें की मशीन खराब रखने के लिये मिस्त्री तथा ओवरसियर आदि उत्तरदायी हैं।

कालागढ़ में शिकायत है कि छोटे कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में असमानता बरती गई है। नीचे के क्लर्कों का वेतन बढ़ा दिया गया है जब कि माडल असिस्टेन्ट का नहीं बढ़ा है। पतरौल और आपरेटर पानी देने का काम करते हैं और जो पानी दिया जाता है उसके लिखने का काम करते हैं। इन्हें टैक्निकल विभाग से अलग करके रेवेन्यू विभाग के मातहत कर दिया जाय जिससे ये लोग टैक्निकल कर्मचारियों के दोष जाहिर सकें। टैक्निकल कर्मचारियों द्वारा अच्छे कुओं में पुरानी मशीन वगैरह डाली जाती है तथा और गड़बड़ी की जाती है उसको वे लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये टैक्निकल कर्मचारियों के मातहत होते हैं और इनको एन्ट्री ये ही लोग करते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, ३१ मार्च तक एस० डी० ओज० वर्क आर्डर का काम करते हैं और सारे बिल फर्जी बनाये जाते हैं और सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। इसलिये वर्क आर्डर के लिये एक निश्चित अवधि कर दें और प्रति महीने जितना काम किया जाय उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियो के पास भेजी जाया करे। आपरेटर्स फर्जी आबपाशी दिखा देते हैं क्योंकि उनको तो यूनिट पूरी करनी होती है। ये लोग कुआं बन्द करके चले जाते हैं और चाभी किसी को दे जाते

हैं। यूनिट किसी के नाम लिखकर पूरी वसूली दिखा देते हैं। प्रति दिन किस कुयें से किसी व्यक्ति को कितना पानी दिया गया उसको लिखाया जाय और अगले दिन आपरेटर उसे अपने उच्च अधिकारियों के पास भेज दे। अगर एक हफ्ते के बाद भेजेगा तब तो वही चीज होगी।

एक डायरेक्टर ट्यूबवैल्स मुकर्रर किये गये हैं। लेकिन जब तक नीति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है। एक रोग का इलाज हो भी गया तो दूसरा रोग पैदा हो जायेगा। इस से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री जी ने अर्थ विभाग द्वारा कोआर्डिनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि बी० डी० ओ० देखेंगे कि आपरेटर कुएं पर रहता है या नहीं, लेकिन उन्हें ज्ञात हो जाना चाहिये कि उनका उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये उससे काम चलने वाला नहीं है।

बलिया में बेरिया बांध को गंगा नदी के कटाव से बचाने के लिये गायघाट के सामने एक ठोकर बांधा गया था जिस पर ६ लाख रुपया व्यय हुआ था वह बह गया है। उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये, अगर इस बांध की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई और बाढ़ के समय बांध टूट गया तो लाखों आदमी तबाह हो जायेंगे। इसके पास ४० हजार व्यक्ति पक्के मकान बनाकर रहते हैं वे सब बह जायंगे। इसलिये वक्त आने से पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि खो नदी से जो नहर निकली है उस पर कोट कादर के पास एक ऐसा स्थान आता है जहां पर बरसात का पानी जमा हो जाता है क्योंकि नहर को पार करने के लिये कोई रास्ता नहीं है। यह पानी नहर को काट देता है, इसकी मरम्मत पर प्रतिवर्ष हजारों रुपया बर्बाद किया जाता है, इसलिये एक स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि समय पर पानी निकल जाया करे और नहर न टूटे। यह देखा जाता है कि इस दोष के कारण नहर अक्सर उन्हीं दिनों बन्द होती है जब किसान को मूंजी और धान की फसल के लिये अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चूंकि मेरा समय पूरा हो रहा है इसलिये समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और साथ में कुछ सुझाव देना चाहता हूं फिर से संक्षेप में जिन पर हमारी सरकार को पूरी तरह से गौर करना चाहिये। उपलब्ध पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और इसके लिये समस्त आवश्वक साधन जुटाएं जाएं।

उत्तर प्रदेश की नदियों में जो पानी है उसकी स्थिति दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है, यहां की स्थिति खेती की दृष्टि से लाभप्रद है। वहां पर वर्षा के अतिरिक्त मौसम में रिजरवायर बनाकर काम चलाना होता है, किन्तु यहां पर पानी दूसरे मौसम में फो पहाड़ों की बफ पिघलने से मिल जाता है। दूसरे सिंचाई की दरें कम को जाएं। उपलब्ध सिंचन क्षमता का पूरा पूरा प्रयोग किया जाऐ। नलकूप की आबपाशी प्रति पानी के हिसाब से न होकर नहर की भांति फसलो आबपाशो के आधार पर होनी चाहिये। करदाता के पैसे का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके, इसके लिये अधिकारियों पर नियंत्रण कड़ा किया जाए। बृहद् प्रायोजनाओं के निर्माण की जांच और स्टाक में सामग्री के निरोक्षण करने की समुचित व्यवस्था हेतु एक फलाइंग स्क्वाड बनाया जाना चाहिये, जिससे कि तुरन्त सूचना मिलने पर समय पर सारी जांच हो सके, क्योंकि देर होने में लिखा पढी होते-होते सारा मामला रफे दफे हो जाता है। प्रायोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति को वार्षिक रिपोर्ट व्योरेवार सदन को प्रति वर्ष दी जाय। किसानों के अपने व्यक्तिगत नलकूप बनाने के लिये बिजली देने के संबंध में सरकार द्वारा ४ फर्लांग का जो प्रतिबन्ध है उसे हटा लेना चाहिये, क्योंकि उससे बड़ी हानि हो रही है, सैकड़ों नलकूप ऐसे हैं, जो प्रदेश में यह प्रतिबन्ध मानकर नहीं बने हैं, इसलिये इसे बिलकुल खत्म कर दिया जाना चाहिये। यदि इरीगेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो जो नहर से फर्लांग की दूरी का प्रतिबन्ध है कुओं के

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

के निर्माण के संबंध में उसे भी हटा देना चाहिये। किसानों को राजकीय साधनों से पानी देने में समस्त सुविधाएं दी जायं और इसमें सभी किसानों के बीच समानता बरती जाय। यह प्रथा गलत है जो कि सरकार से कर्ज लेकर ट्यूबवेल बनवाये तो उसे कर्ज के अनुपात में अनुदान दे दिया जाय और यदि कोई अपने पैसे से बनाता है तो उसे अनुदान न दिया जाय है। इसका फल यह होता है कि जो व्यक्ति सरकार के अलावा अन्य स्रोत से रुपया लगाकर नलकूप बना लेते, वे नलकूप नहीं बनवा पाते हैं। सरकार सभी को रुपया देने की क्षमता नहीं रखती। किसानों का अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शोषण बन्द होना चाहिये। कटान और फ्लड से जो फसलें बर्बाद और घर तबाह हो जाते हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय। अधिष्ठता महोदय, इन शब्दों के साथ मैं कटौती की प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

*श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

जनाबेआला, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो आइटम बजट का पेश किया है उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसकी मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय मंत्री जी की तकरीर को बड़े गौर से सुना जो कि अनुदान पेश करते समय उन्होंने दी और उसके बाद अपने अजीब दोस्त के भाषण को भी जो कटौती के लिये उन्होंने अपना कट-मोशन पेश करते हुए दिया है। मेरे ताज्जुब की कोई इन्तहा नहीं रही जब कि मैंने उनकी तकरीर को सुना और यह पाया कि उसमें कहीं भी यह नहीं आया कि इस सरकार ने १८ साल के अन्दर कुछ किया है या नहीं। मैं नहीं मान सकता कि कोई आदमी कैसे इन चीजों को नजरअन्दाज कर सकता है। मैं समझता हूं कि जिस आदमी के दिमाग में अक्ल हो और अक्ल में सोच सकने का माद्दा हो तो वह ऐसा नहीं करेगा। मेरी गुजारिश है कि जहां उन्होंने इतनी आलोचना की वहां दो चार जगह यह भी बताते कि हमने आबपाशी में कितनी तरक्की की है, कितने अधिक और नये नये साधन मुहैय्या किये हैं, तो बहुत बेहतर होता और उनकी तकरीर सिर्फ मुखालफत न होकर एक मशविरा भी होता। मैं समझता कि वह सिर्फ मुखालिफ होकर नहीं कह रहे हैं एक दोस्ताना तरीके से भी कह रहे हैं। सिंचाई के तीन तरीके हो सकते हैं, तीन नहीं बल्कि ४। हम नहर के जरिये करें, ट्यूववेल से या पानी को डैम की शक्ल में जमा करके करें, इससे भी हम वक्त जरुरत पर सिंचाई कर सकते हैं। कुछ जगहों पर दरिया से भी सिंचाई होती है। तो मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि आजादी से पहले क्या वे बतला देंगे कि अपने सूबे में कितने डैम्स थे और कितना पानी जो पहले बेकार जाया हो जाया करता था, उनको अब हम रिजर्वायर में इकट्ठा करके वक्ते जरूरत आबपाशी के काम लाते हैं?

श्री बसन्तसिंह—

अंग्रेज सरकार ने उन डैम्स का नक्शा बनाया था, आपने कोई नया नक्शा नहीं बनाया था।

श्री अहमद बख्श—

अगर अच्छा नक्शा कोई बना दे और उसके मुताबिक हम काम को तकमील कर लें तो वह काबिले तारीफ बात है न कि काबिले मजम्मत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि वह बेकार जाया होने वाला पानी था उसको हमने कारामद बनाया और नहरी इलाके में जहां सिंचाई होती है उसमें दुगुना इजाफा किया, ट्यूबवेल्स का भी इन्तजाम किया गया। माननीय सदस्य जहां के रहने वाले हैं, मैं भी करीब करीब उनके आसपास का ही रहने वाला हूं, आज भी कोई वहां जाकर देख सकता है कि वहां ट्यूबवेल्स का ऐसा जाल बिछा हुआ है जैसे कि किसी के बदन पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माता या शीतला का दाग हो। अब यह कहा जाय कि सारा काम आज ही हो जाय, सारी तरक्की आज ही हो जाय, तो मैं अपने लायक दोस्त से पूछूं कि अगर आज ही आप सारा काम कर लेंगे तो कल के लिये आपको करने को क्या रह जायगा। फिर आप किस काम के लिये वहां क्या तकरीर करेंगे। घर बार बनाया हुआ है बापदादों का लेकिन फिर भी उसमें कोई न कोई नही चीज बनती रहती है जरूरियात को देखते हुए। देखना यह है कि हमारे साधन सीमित हैं तो उन जराये को कैसे इस्तेमाल करें जिससे हम उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो आपको सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहिये कि वह अपने फरायज को अन्जाम दे। तानेजनी या आलोचना को कोई भी आदमी पसन्द नहीं करता। अगर पागल को कोई पागल कहे तो वह ढेला मारेगा। तो मेरी गुजारिश है कि आपोजीशन का यह फर्ज है कि जहां वह तमाम आलोचना करें, वहां उसका यह भी फर्ज कि सरकार की जो अच्छाइयां हों उनको भी वह सबके सामने रखे ताकि तसवीर के दोनों पहलू सामने आ जांय। इसका नतीजा यह होगा कि जो फैसला करने वाला है वह एक तरफ की बात को सुनकर एक तरफा फैसला नहीं कर सकेगा। मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं हूं कि किसी की इतनी तारीफ या प्रशंसा कर दी जाय कि वह उस तारीफ में ही मस्त हो जाय और जो काम करना है उसको वह पूरा ही न करे। सही रास्ता दिखलाना आपोजीशन का फर्ज है और गम्भीरता के साथ उसे सारी पोजीशन को सदन के सामने रखना चाहिये।

अब मैं इस मसले पर बहैसियत एक किसान के नेकनीयती के साथ कुछ सुझाव उनकी खिदमत में रखना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर नहरें जब से बनी, करीब ५०–६० साल से ज्यादा हो गये, आज तक उन कुलाबों का कोई सर्वे नहीं हुआ। बहुत सी सड़कें बनायी गयीं, बहुत से पुल बनाये गये, लेकिन कुलाबों की हालत यह रही कि उनमें पानी उतना नहीं चढ़ा जितना को चढ़ना चाहिये। नये पुल बने, नये साइफन बने, कई सड़कों की रेंजिंग हुई, लेकिन कुलाबों का कोई सही सर्वे नहीं हुआ। कहीं तो १०० बीघे के ऊपर १ इंच पानी ऊपर चढ़ता है, कहीं ४ इंच ऊपर पानी चढ़ता है, तो इन कुलाबों की हालत को टेक्निकल आदमी ही जान सकता है चीफ इंजीनियर हमारे जिले में गये, और इंजीनियर जाते रहते हैं, उन्होंने भी इस बात को तसलीम किया कि कुलाबों में जितना पानी चढ़ना चाहिये उतना नहीं चढ़ा। कुलाबों के बारे में ८०० एकड़ के बाद या ९०० एकड़ के बाद कोई अलग अलग नहीं होना चाहिये, बल्कि एक ही गज मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरदोई या जालौन के लिये होना चाहिये। इसके लिये एक ही तरीका होना चाहिये और अजसरे नौ से इसका सर्वे होना चाहिये। इसके साथ ही साथ जब कि आज हमें खेती की पैदावार बढ़ाना सबसे पहला फर्ज है, ताकि हमें बाहर से अन्न न मंगाना पड़े और हिन्दुस्तान को डिफेन्ड कर सकें और अपने घर तथा बालबच्चों को पाल सकें, तो जरूरी होता है कि सबसे पहले अपनी तवज्जह हम उस तरफ दें और यहां बैठ कर हम आप सब इस बात को सोचें कि घर को कैसे बचाया जाय और क्या तरीका इस्तेमाल किया जाय। इसी लिये हमारे यहां के किसान सिंचाई पर अधिक तवज्जह देते हैं और प्राइवेट ट्यूबवेल लगाते हैं। कोई ऐसा किसान नहीं है जो १५, २० हजार रुपये बेकार में लगाये। सरकारी ट्यूबवेल जो बनाया जाता है उसमें ७०, ८० हजार रुपया लगता है लेकिन किसानों का यह कहना है कि प्राइवेट ट्यूबवेल १५ हजार रुपये में बन जाता है इस जमाने में अगर कोई किसान इस बात के लिये तैयार होता है कि वह अपने पास से १५ हजार रुपया खर्च करके ट्यूबवेल बनाने के लिये तैयार हो जाय तो उसमें आपके यहां ४ फर्लांग का रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि उसको बिजली नहीं दी जा सकती है। अगर कोई प्राइवेट डिजिल इंजन लगा लेता है तो उसको गवर्नमेन्ट रोक नहीं सकती। महज इस हालत में उसको रोका जा सकता है कि उसको बिजली का कनेक्शन न दिया जाय। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि अगर वह डीजेल इंजिन लगाता है तो रात में किसान को वहां पर सोना

[श्री अहमद बख्श]

पड़ता है। अगर वैसे उसको छोड़ देता है तो रात में उसके पुरजे चोरी हो जाते हैं। कभी कभी रात में उसको लोग मार भी देते हैं। यह दिक्कत हमारे पच्छिमी जिलों में है। पूर्वी जिलों के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि यह दिक्कत है या नहीं, लेकिन पच्छिम के जिलों में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रजवाहे जड़ में हैं लेकिन इन खेतों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं इस बन्दिश को उठा लिया जाय। अगर यह बन्दिश उठा ली जाय तो पानी का साधन किसानों को मिल सकता है। जब पानी उनको मिलेगा तो उससे उपज बढ़ सकती हैं और लोगों को शिकायत का मौका नहीं रहेगा।

इसी तरीके से मैं एक यह भी गुजारिश करूंगा कि भोपे से ऊपर रुड़की में डिवीजन है और उसके नीचे की तरफ मेरठ में डिवीजन है। अगर किसी किसान को जरूरत पड़ती है तो उसको इतनी दूर रुड़की या मेरठ दौड़ना पड़ता है। जिले के इतने किसानों को उसमें परेशानी उठानी पड़ती है। इस वजह से अगर रुड़की और मेरठ के अलावा वहां पर मुजफ्फरनगर में एक डिवीजन खोल दिया जाय तो किसानों की यह परेशानी दूर हो जायेगी और दिक्कत नहीं रहेगी। इसी तरीके से वहां पर हाइडल का आफिस खोला है लेकिन उसमें न इंजीनियर है और न फरनीचर है। इसका नतीजा यह होता है कि आज मेरठ या रुड़की ही लोगों को अपनी दरख्वास्त जमा करने के लिये दौड़ना पड़ता है। इंजीनियर साहब उनकी दरख्वास्त जमा करते हैं लेकिन जिस तरह काश्तकारों को फायदा हासिल हो उस तरह का अमल करना चाहिये। इसी के साथ यह भी अर्ज करूंगा कि जमुना नहर से बिडौली के पास बहुत-सी जमीन कट गई है। वहां पर कोई साधन बचाने का नहीं है। उनको बचाने का कोई साधन सरकार को मुहइया करना जरूरी है। इसी तरीके से चौथे से ज्यौली के पास १७ हजार एकड़ जमीन खराब हो रही है। ५ लाख सालाना की आमदनी के बागात भी बरबाद हो रहे हैं। लोगों के मकानों में भी चोये का पानी आ गया है लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है कि उनको बचाने का इन्तजाम किया जाय। हमारे इस सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की जमीन बहुत आला जमीन कही जाती है लेकिन आज वह इस तरह से बरबाद हो रही है। १३ हजार एकड़ जमीन में नहर का पानी इस कदर सीपेज पैदा कर रहा है कि उसका इन्तजाम सरकार को सोचना चाहिये। सरकार से यहां पर कहा गया था लेकिन सरकार ने यह तो मंजूर किया कि १३ हजार एकड़ जमीन पर असर है लेकिन उसका कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से बहुत से गांव जौली, कसड़ा, रुड़कली, घांसरी, खेड़ी, फिरोजाबाद, भोपा, हादखेड़ी, काटका, चितौड़ा वगैरह हैं जहां पर जमीन चोये के असर में आ गई है और जबरदस्त लोगों की जमीन का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं सरकार इस तरफ अपनी तवज्जह करे।

सिंचाई के लिये ट्यूबवेल या नहरों से मुताल्लिक जो एम० एल० एज० की मीटिंग होती हैं, उसको कम से कम तीन महीने में बुलाना चाहिये ताकि सब लोग उसमें अपनी-अपनी शिकायतें रख सकें और विभाग के अफसरों के नोटिस में या मंत्री के नोटिस में उन शिकायतों को ला सकें। फिर अगली मीटिंग में इस बात को देखा जाय कि उन शिकायतों पर कहां तक अमल हुआ है और उन शिकायतों पर कितना काम किया गया है। बजट के मौके पर पर यहां जरूर उन बातों को कहा जाता है लेकिन यहां अमल जैसा होता है वह सब जानते हैं। मंत्री जी को सुनने की आदत है और हमको कहने की आदत है लेकिन इसमें अमली कदम उठाने की जरूरत है और अमली तरीके से इस पर काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव पेश किये हैं मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी उन पर गौर फरमायेंगे और ध्यान देंगे। जो कटौती का प्रस्ताव उधर से पेश किया गया है, मैं उसकी मुखालफत करता हूं।

श्री शिव चरण (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे दोस्त ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे क्षेत्र में सैंगन नदी बढ़ रही है और उसके फैलाव से सारे क्षेत्र में २, २ मील इधर पानी

भरा रहता है और वहां की फसल हर साल गर्क में आ जाती है। इस संबंध में मैंने मंत्री महोदय के सामने वहां का प्रार्थना-पत्र दिया और अपनी तरफ से प्रार्थना की थी, सवाल भी पूछा था। सवाल के जबाब में मुझे बतलाया गया कि इन नदियों की खुदाई, नदियों से नाला निकालने का कार्य क्रम अस्थायी रूप में रखा गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको अस्थायी की जगह स्थायी बना दिया जाय ताकि वहां की जनता जिसकी सैकड़ों एकड़ भूमि गरकी में चली जाती है, जहां लोग भूखे रहते हैं, जब कि अनाज की आवश्यकता है और हमें विदेशों से भीख मांगनी पड़ती है तो वहां ज्यादा अनाज पैदा हो, उन नदियों का फैलाव रोका जाय। मैंने सरयू सेंगर नदी के संबंध में विधान सभा में ४ साल से प्रार्थनाएं की हैं। इन नदियों के बहाव से, छोंक गांव है फीरोजाबाद से कोटलापुर को जो रास्ता गया है उस नदी के पुल पर, २-३ दफा नाव उलट गयी और कई आदमी डूब गये, नदी का एक-एक मील इधर-उधर फैलाव रहता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको अस्थायी के बजाय स्थायी करके जनता को सुविधा दी जाय।

दूसरे, एटा विकास क्षेत्र जलेसर, न्याय पंचायत पटना, वहां पटना के तालमें हर वक्त इतना पानी भरा रहता है कि सैकड़ों एकड़ जमीन उस पानी में गरकी में चली जाती है। पटना के अन्तर्गत खोजापुर, बनवारीपुर गांव भी गरकी के शिकार होते रहते हैं। कल मैंने मंत्री जी से व्यक्तिगत प्रार्थना की थी कि अगर उस तालाब का पानी निकालने की कोई योजना है तो शीघ्र ही उसे कार्यान्वित किया जाय ताकि वहां की जनता पानी निकलने के बाद उस सैकड़ों एकड़ जमीन में अनाज पैदा कर सके। वहां की जनता से मालूम हुआ कि यहां एक नाला निकला था, फिर नहीं निकल पाया। तो उस तालाब से पानी शीघ्र ही निकाल दिया जाय।

आज से दो महीने पहले खोंजापुर के सरपंच ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि वहां ट्यूबवेल लगा दिया जाय आश्वासन भी मिला था कि जल्दी कार्यवाही करा रहे हैं। लेकिन जाने वह कब होगी, इसलिये उस तालाब के संबंध में मंत्री जी ध्यान रखें।

एतमादपुर क्षेत्र में एक नदी है---हर नदी। उसकी खुदाई हुई है। वहां के किसानों का एक जत्था मंत्री जी के पास आया था कुछ दिन पहले। उस खुदाई में इंजीनियर और उनके कर्मचारियों ने इतनी धांधली की है कि जिस खेत में होकर दिखला दिया कि नदी खोदी जायेगी वहां से रिश्वत लेकर किसी दूसरे का खेत लिया, पेड़ लिया। बड़ी रिश्वत चली और गरीब किसानों को बड़ी परेशानी हुई। मंत्री जी ध्यान रखें। मैं व्यवस्था उठाना चाहता हूं, मेरी बात मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप इधर को बोलिये।

श्री गिरधारीलाल---

मैं उन्हीं की प्रार्थना पर बात कर रहा था।

श्री शिवचरण---

तो मंत्री जी वहां का या तो स्वयं निरीक्षण करें या आदेश दें जो उच्च अधिकारी हों वह चलें, मैं उनको दिखला दूं। बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र ग्राम चावली की न्याय पंचायत ने प्रस्ताव पास करके शर्मा जी को भेजा था। वहां के ३-४ आदमी मेरे पास आये थे। बरहन से चार मील दूर चावली पड़ती है। बरहन तक बिजली पहुंच चुकी है और चावली की सड़

[श्री शिवचरण]

चार हजार की आबादी है, पक्के मकान हैं, चक्की लग चुकी हैं, अगर वहां बिजली लग जाय तो जनता को बड़ी सुविधा हो और सिंचाई का काम भी अच्छी तरह से हो सकता है। नहरों से कोई लाभ नहीं, बम्बे में पानी इस साल अधिक नहीं आया है मंत्री ने कहा कि पानी ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से वहां गांव में उजाला हो सकता है और साथ ही सिंचाई का भी काम हो सकता है और नहर की पटरियों पर जो बैलगाड़ियां चलती हैं उससे पटरियों का नाश हो जाता है। तो उस पर प्रतिबन्ध हो कि बैलगाड़ी न चलें बम्बे की पटरी पर।

एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि चावली ग्राम तक कम से कम लट्ठे और तार तो लगवा ही दें ताकि वहां की जनता को विश्वास हो कि एम० एल० ए० ने हमारी बात पहुंचाई है। लट्ठे और तार तो पहुंचने ही चाहिये।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रदेश की परिस्थिति को सुधारने के लिये जितने विभाग हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग पर ही किसानों का जीवन अवलंबित है। हमारे प्रदेश के किसानों की दशा सुधारने के लिये और वर्षा के अभाव में जो उनकी आंखे आकाश की ओर उठी रहती हैं उनको सांत्वना देने के लिये और खेती की पैदावारा को सुव्यवस्थित करने के लिये हमारा सिंचाई विभाग ही सक्षम है। सिंचाई विभाग द्वारा जो हमें विद्युत शक्ति मिलती है, उसकी लाइन को पकड़ करके हमारे छोटे छोटे गांवों में उद्योग प्रवेश करते हैं और किसानों की दशा का सुधार होता है। विद्युत के द्वारा नलकूप और पंपिंग सेट्स चलते हैं जो सूखी और बंजर धरती को हरे रंग में बदल देते हैं। यह सब सिंचाई विभाग की कार्यकुशलता का द्योतक है। इसमें सन्देह नहीं कि अगर सिंचाई की पूरी सुविधा किसानों को मिले तो किसानों का जीवन बन जाय और इस देश में कभी भी अन्न की कमी न रहे। हमारे प्रदेश में ८ हजार नलकूपों की व्यवस्था हुई है। प्रथम और द्वितीय योजना में एक फ्रेंच कम्पनी ने जिन नलकूपों की बोरिंग की थी, उसने अपने व्यवसायिक ढंग से चूंकि उनकी बोरिंग आदि की थी, उसने किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा था, इसलिये बहुत से नलकूप असफल हो गये। अब भी ऐसे नलकूप हैं जिनकी बोरिंग यदि ठीक तरह से कर दी जाय तो किसानों को उससे लाभ हो सकता है। हमारे क्षेत्र में बढ़नपुर तथा बीरसिंहपुर में कई ऐसे नलकूप हैं जिनकी अगर फिर से बोरिंग कर दी जाय तो उससे काफी लाभ हो सकता है और काफी सिंचाई हो सकती है।

जहां तक इनके लगाने का सम्बन्ध है, इनको लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम उनको ऐसी जगह बोर करें जहां पर यह करीब २,००० से २,५०० घंटे तक चल सकता हो और इतने घंटे किसान उसका उपयोग करें। इस बात को अगर ध्यान में रखा जाय तो किसानों का अधिक लाभ हो सकता है।

नलकूपों के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में कम से कम एक करोड़ एकड़ ऐसी भूमि है जो जलमग्न रहती है। अगर वहां से पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध कर दिया जाय तो वह भूमि कृषि योग्य बन सकती है। हमारे यहां काफी ऐसी भूमि है जो जलमग्न रहती है। वहां से पानी की निकासी का प्रबन्ध करके उसको खेती योग्य बनाया जा सकता है। हमारे यहां खरारी ड्रेन और ईसूपुर खड़बा ड्रेन की व्यवस्था हो चुकी है, पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि हर जिले में पानी की निकासी के लिये एक यूनिट होना चाहिये। पहले गाजीपुर और बलिया में अलग अलग यूनिटें थीं, अब आजमगढ़ में ही इसका कार्य होता है। यदि प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था हो तो कार्य ठीक ढंग से हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्यूबवेल के सम्बन्ध में एक कठिनाई और है। जब वह बोर हो जाता है तो उसको इनरजाइज करने में कठिनाई होती है। उसको बिजली नहीं मिलती। बिजली विभाग का कहना है कि लाइन ओवरलोड हो जाती है। ऐसी दशा में वहां पर अलग-अलग इसके सब स्टेशन बनायें जाय जिससे बिजली उपलब्ध हो सके।

एक कठिनाई और है। नलकूपों की बोरिंग करने के लिये गाजीपुर और बलिया में एक ही मशीन है। अगर हर जिले में एक-एक मशीन की व्यवस्था हो जाय तो काम शीघ्र और ठीक ढंग से हो सकता है।

इसके बाद में माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की लालगंज और ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी की ओर ले जाना चाहता हूं। ८ वर्ष हो गये, इनकी खुदाई का कार्य पूरा हो गया, पर आज तक पानी नहीं मिला। इसमें विभाग के कर्मचारियों को मैं इसके लिये दोषी नहीं ठहराता। जो रेजवयिर्स हैं उनमें पानी की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वे पानी दे सकें। मान्यवर, लालगंज की डिस्ट्रीब्यूटरी की खुदाई में ५० एकड़ भूमि लगी हुई है। यदि हम एक एकड़ का दाम ७०० रुपये रख लें तो कुल कीमत इस जमीन की लगभग ३ लाख २० हजार रुपये होती है। अगर उस भूमि में १५-२० मन प्रति एकड़ की पैदावार मान लें तो करीब १,२०० मन गल्ला पैदा हो सकता है। इस गल्ले की कीमत २ लाख ४० हजार होगी। अब आप सोच सकते हैं कि ८ वर्षों में हमारे किसानों को इससे कितनी क्षति हुई होगी। यह नहर जब जिस रूप में हमें मिली थी हम समझते थे कि यह वरदान सिद्ध होगी, मगर हुई वह अभिशाप सिद्ध। अगर वहां उस नहर से पानी नहीं मिल सकता तो आप कम से कम वहां के लिये नलकूपों की ही व्यवस्था करा दें। वहां के किसान चाहते हैं हमारे यहां ट्यूब वेल लगा दिये जायं तो जो कुछ हमारी क्षति हुई उसे हम भूल सकते हैं और जो वह नहर की खुदाई होती है उसके लिये वे तैयार हैं कि ट्यूबवेल से सर्विस रोड बना दिया जाय या किसी भी सड़क में परिणत दिया जाय तो हमें कठिनाई नहीं होगी। उन्हें पानी मिलना चाहिये और ट्यूबवेल की व्यवस्था वहां होनी चाहिये और हमारे जिले गाजीपुर में छोटी बड़ी कुल बारह नदियां हैं। उन नदियों में बराबर पानी भरा रहता है। कुछ ऐसी हैं जो सूख जाती हैं। वर्षा काल में जब बाढ़ आ जाती है तो ये अभिशाप बन जाती हैं। यदि सिंचाई विभाग इन पर पम्पिग सेट लगा दे तो हम उनका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।

हमारे यहां एक नदी तो ऐसी है, जिसके द्वारा सारे तहसील के एक भूभाग की सिंचाई हो सकती है। जहां तक जमनिया का प्रश्न है उसकी सिंचाई के लिये नहर बने। नौगढ़ बांध बना, अब मूसाखंड का निर्माण हुआ पर उससे भी पूरे पानी का प्रबन्ध नहीं हो सका। अब बनाई जा रही है गंगा पर पंपिग कैनाल। बजाय गाजीपुर के वह मुगलसराय में बनने जा रही है जिससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जहां तक गांवों के विद्युतीकरण का प्रश्न है मंत्री जी ने मुझे बतलाया था कि ७६ गांवों में यह कार्य होने वाला है। लेकिन उसके लिये उनकी यह शर्त थी कि इस समय यदि किसान गांवों में लिखकर दे दें कि हम पम्पिग सेट लगायेंगे या कुछ इन्डस्ट्रीज चलायेंगे तो उन्हें विद्युत् शासन से मिल सकती है। सैदपुर तहसील के ऐसे गांव हैं जिनकी एक हजार से पांच हजार तक की जनसंख्या है और उन गांव के प्रार्थना-पत्र आपके कार्यालय में भेजे जा चुके हैं जहां के किसानों ने पम्पिग सेट लगाने या प्राईवेट ट्यूबवेल लगाने की प्रार्थना की। लेकिन अब तक उन गांवों को विद्युत् नहीं दी जा सकी है। अगर उन गांवों को विद्युत् मिल जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यद्यपि वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तब भी गांवों की आमदनी बढ़ जावेगी वहां उद्योग धंधे खुल जायेंगे। इस स्तर पर मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके सैतवार कार्यक्रम के अन्तर्गत गाजीपुर लिया गया है। उसके अन्तर्गत ५००/७३९, जिसका कि आशय था कि कुछ प्रदेश में पांच सौ ट्यूबवेल लगाये जायंगे लेकिन जब केन्द्रीय सरकार की

[श्री राजनारायणसिंह]

ओर से २३९ ट्यूबवेलों की स्वीकृति इन चार जिलों के लिये हुई तो इस प्रदेश में ७३९ हो गये हैं। श्रीमन्, २३९ ट्यूबवेल्स में एक नहीं लगा पाये हैं। मैं यह कहूंगा कि उन्हें एक बटा आठ अंश में उन भागों में वे नहीं लगा रहे हैं जिसको शीघ्र पूर्ति करनी है। उन्हें न लगाने का कारण साधनों की कमी है।

*श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। आज के विषय का सम्बन्ध किसी राजनीति से तो है नहीं कि हमारी राजनीति है कृषि कोआपरेटिव में या मैकेनाईज्ड फार्म और हमारे जनसंघी उसका विरोध करें। आज का विषय सिर्फ पानी का है और पूरा सदन इससे सहमत है कि पानी की आवश्यकता किसानों की पूरी की जाय क्योंकि आज फौज से भी ज्यादा जरूरत देश को इस बात की है कि हम गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर हैं या हो सकते हैं या नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत है गल्ले की और आज गल्ले की पैदावार के लिये जहां जहां हमें और साधनों की आवश्यकता है, यह सब मानते हैं और मानना पड़ेगा कि आबपाशी सिंचाई पानी अगर हमारे पास काफी है तो गल्ले की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। बगैर खाद के किसान का काम चल सकता है, बगैर अच्छे औजारों के किसान का काम चल सकता है। इस प्रदेश का किसान बहुत मेहनती है और इतना मेहनती है कि आज जब पानी की कमी है, मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय, आप देख सकते हैं नहरों के किनारे किनारे पर हाथ के पम्प लगाकर चार चार, पांच पांच मन आलू की पैदावार किसान ने हाथ के पम्प से की है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश को आत्मनिर्भर होना हो तो हमें आबपाशी को बढ़ावा देना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं उनमें से नहीं हूं जो सत्यता को न मानें। माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी, उनके डिपार्टमेंट को और पावर (बी) डिपार्टमेंट को मैं मुबारकवाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने प्राईवेट सेक्टर में किसानों को जो कनेक्शन्स दिये, फराखदिली के साथ दिये, उससे काफी पैदावार बढ़ी। मैं योग साहेब को भी थोड़ी बधाई जरूर दूंगा कि जितनी उनसे आशा की थी उतना तो वे नहीं कर पाये, लेकिन जिस रफ्तार से ट्यूबवेल बन्द रहे थे उसमें बहुत बड़ी कमी आई और पश्चिमी जिलों में ट्यूबवेल पहले के मुकाबले में अच्छे चले।

मैं सबसे बड़ी बधाई, उत्तर प्रदेश के सारे किसानों की तरफ से, माननीय चौधरी साहब को, मंत्री जी को, पेश करना चाहता हूं चूंकि जब से उनके हाथ में सिंचाई का महकमा आया है उन्होंने इसे बिल्कुल चौपट कर दिया है। मैं कहता हूं, बकवास नहीं कर रहा हूं। वह मेरे बुजुर्ग हैं, देशभक्त हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की लखनऊ में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। जनता का हजारों रुपया बरबाद हुआ लेकिन माननीय मंत्री जी चन्द मिनटों या घंटों के लिये उस मीटिंग में बैठे जब कि कमेटी २, ३ दिन चली। चौधरी साहेब आराम करते रहे अपने बंगले में लखनऊ में। ऐसा भी नहीं था कि कहीं का प्रोग्राम बाहर का रहा हो। चौधरी साहेब अपने भाषण में इसका जवाब देंगे। आज पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है और सिंचाई की कमेटी की मीटिंग हो और मंत्री जी आराम करें अपने बंगले में, यह शोभायमान नहीं है। मंत्री जी बुरा न मानें। मैंने उनको एक फतेहयाबी की दरख्वास्त दी। उसने सन् ६१ में कनेक्शन हासिल करके ट्यूबवेल चलाया और सन् ६६ में उसे जाली कनेक्शन कह कर काट दिया गया। मैंने दरख्वास्त दी कि इसे जोड़ा जाय और मुझसे वायदा किया गया। सरकार साहेब से टेलीफोन करते हैं तो लताड खाते हैं। आज उनका दिमाग आसमान पर है। उन्हें किसानों की जरा भी चिन्ता नहीं है। माननीय मंत्री जी को बार-बार मैं लिख चुका और मिल चुका लेकिन फतेहयाब खां का कनेक्शन नहीं जुड़ा है। उसका १०० बीघे गेहूं सूख गया। माननीय मंत्री जी अपने ट्यूबवेल की तरफ भी जरा ध्यान दें जो सरकारी १ लाख रुपया लगा कर बनाया गया है उनके फार्म में देहरादून में,। मैं समझता हूं कि जब मंत्री जी रेडियो पर भाषण करने गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि कनेक्शन्स की फ्री छूट है, तो वह अक्ल को घर छोड़ गये थे। आज ३०० दरख्वास्तें कनेक्शन्स के लिये पड़ी हुई हैं और कनेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। आप कहते हैं कि सरकारी ट्यूबवेल के कमांड में प्राईवेट ट्यूबवेल का पानी नहीं चलने देंगे। अधिष्ठाता महोदय, जरा गौर कीजिये, रहम कीजिये मंत्री जी की अकल पर। अगर आप कमांड में पूरा पानी काश्तकारों को नहीं दे सकते हैं तो दूसरे से क्यों नहीं लेने देते हो ?

आपके सामने तो लक्ष्य खेती को बढ़ाने का होना चाहिये। या तो आप पूरा पानी दीजिये वरना कोई पाबन्दी न रखें। आज ऐसे भी बहुत से केसेज हैं कि जहां सरकार की पाबन्दी है कि १ फर्लांग के फासले पर प्राईवेट ट्यूबवेल नहीं लग सकेगा वहां ५० गज के फासले पर सरकारी ट्यूबवेल से प्राईवेट ट्यूबवेल लगे हैं। मैं १ नहीं, पचासों ऐसे ट्यूबवेल आपको बता सकता हूं। जिनके सोर्सेज थे, जिके पास दौलत थी रिश्वत देने के लिये, उनको कनेक्शन्स मिल गये। लेकिन गरीब किसान जिसके पास दौलत नहीं है, सोर्स नहीं है, केवल अपनी मेहनत है, उसके लिये पाबन्दी है। माननीय मंत्री जी जबाब दें अपने भाषण में कि पिछले ४ महीने से स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से लेकर आज तक मंत्री जी विश्वास दिलाते रहे कि ३ फर्लांग उन्होंने कर दिया है मैंने दोस्तों को खत लिख दिये कि ३ फर्लांग तक जरूर मिलेगा। चन्दौसी के क्षेत्र में जाकर देखें हजारों ट्यूबवेल ३ फर्लांग की दूरी पर बोर हुए पड़े हैं, लोहे की नलियों में करोड़ों रुपया किसानों का जमीन में दफन है, मंत्री जी पर कोई जोर नहीं पड़ता है वे देशभक्त हैं, देशभक्ती का सबूत उन्होंने दिया लेकिन यह फिर मौका है देशभक्ति का सबूत देने का कि वह इस्तीफा देकर घर चले जावें। जहां तक इस हदबन्दी का सवाल है, पंजाब में कोई पाबन्दी नहीं है। आज नहरों पर भी पाबन्दी लगती है। पहले नहरों के किनारे आपने ट्यबवेल लगवाये और उस वक्त हमसे यह कहा गया कि चूंकि चोया बढ़ रहा है, पानी उबल रहा है, इसलिये नहरों के किनारे ट्यबवेल लगाने से यह पानी खिंचेगा। अगर पश्चिमी प्रदेश के किसानों की समस्या मंत्री जी ने हल नहीं की तो मंत्री जी के दरवाजे पर तो नहीं, लेकिन मुख्य मंत्री जी के दरवाजे पर उन्हें भूखों मरना पड़ेगा।

आपने हमें पुस्तिका दी कि नहरों की लम्बाई बढ़ी, सिंचाई का रकबा बढ़ा। आबपाशी के दाम बढ़े। लेकिन आपकी नहर का पानी बढ़ा या घटा? वह घटा। तो कौन मरा? मरा किसान। मंत्री जी की तो मौज है। जमन नहर जो एक हफ्ते चलती थी और एक हफ्ते बन्द रहती थी आज वह सात हफ्ते से बन्द है और आपकी आबपाशी की वसूलयाबी उसी तरह से हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सदन में ऐलान किया कि सिंचाई विभाग का नजरिया अब रक्षात्मक के बजाय सघन खेती का होगा। स्टेन एग्रीकल्चर बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में दो फसली काश्त के ऊपर एक समिति की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े में पेश करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कृषक जिनकी सिंचाई समय पर पूरी हो गई केवल १२ फीसदी हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे कृषक जिनकी पूरी होल्डिंग की सिंचाई हुई वह केवल १५ परसेंट हैं। जिनके खेतों तक गूलें ठीक हैं वे केवल २१ परसेंट हैं सन् ५० से लेकर आज तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज सिंह]

सिंचाई का रकबा भले ही बढ़ा हो लेकिन ग्रास एरिया से परसेंटेज आफ दि टोटल क्राप एरिया, बावजूद करोड़ों रुपया खर्च करने के और तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त करने के भी नहीं बढ़ा है बल्कि घटा है इसी तरह से नेट एरिया इर्रीगेटेड के परसेंटेज आफ दी टोटल नेट एरिया क्राप्ड बिलकुल नहीं बढ़ा है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में उनके बहुत से कुवें बन्द रहे हैं।

श्रीमन्, तालाबों द्वारा आबपाशी हमारे प्रदेश में पिछले १५ वर्षों में लगातार घटी है। उर्वरक और पानी का इस प्रदेश में भारी अभाव रहा है और उनके दाम भी बराबर बढ़ते जा रहे हैं। अधिक अन्न उपार्जन के लिये वह आवश्यक है कि इन दोनों के तुलनात्मक इस्तेमाल के ऊपर खोज की जानी चाहिये लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसकी प्रदेश में कहीं खोज नहीं हो रही है। इस देश के तो नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। उर्वरक डालने के ८ रोज बाद पानी लगाने से २५ प्रतिशत पैदावार घट गयी और दूसरे खेत में अधिक पानी दे देने के कारण ७०-८० फीसदी नाइट्रोजन नीचे चला गया। भारत का सारी दुनिया में उर्वरकों की खपत के लिहाज से १०वां स्थान है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी खोज नहीं हो रही है और उसका नतीजा यह हो रहा है ऐसी खोज के अभाव में ज्यादा पानी के डालने से बहुत सा खाद बेकार हुआ जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सन् ५२ से मुझे विधान सभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं बराबर देख रहा हूं कि सिंचाई विभाग का अपने रेवेन्यू की ओर ही ध्यान है और इससे वह प्रदेश के काश्तकारों की आमदनी पर कुठाराघात कर रहा है। सन् ५० से लेकर ६४ तक एक, दो तीन, चार, पांच मर्तबा आबपाशी की दरें बढ़ाई गयी हैं। मैं सब को तो नहीं ले रहा हूं इस समय केवल अपर गंगा कैनाल की बात ही कहूंगा कि सन् ५० में गेहूं की आबपाशी का रेट साढ़े सात रु० था जो अब १२ रुपया प्रति एकड़ हो गया है। गन्ने की आबपाशी का जो सन् ५० में २२.५० रु० था वह ३२ रुपया प्रति एकड़ हो गया है। ट्यूबवेल का पानी २५३३३ गैलन प्रति रुपया दिया जाता था जो अब १३३३० गैलन प्रति रुपया दिया जाता है। आपने १ अक्तूबर, ६५ से गन्ने की काश्त पर २५ प्रतिशत सिंचाई बढ़ा दी है।

श्रीमन्, इस ४ फर्लांग वाली बात के लिये तो मुझे बहुत ही अफसोस है। सर्वे रिपोर्ट में इंजीनियरों से स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि इस प्रदेश में १०० लाख एकड़ फीट पानी की मन के अन्दर है जब कि ५० एकड़ फीट ही कुओं द्वारा सींचा जा रहा है। मेरा तो विश्वास है कि अगर यह सीमा बिलकुल हटा ली जाय तो भी पानी की कमी होने वाली नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी कांस्टीटुयेंसी में आने के लिये दावत देता हूं वहां १–१ फर्लांग पर कुएं काम कर रहे हैं और २० साल से कर रहे हैं और उनमें कोई खराबी नहीं हुई। प्राइवेट नलकूप भी एक नहीं १० बता सकता हूं जो इंजनों से पास पास चल रहे हैं और सफलता से चल रहे हैं। केवल सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिये यह ४ फर्लांग की कैद लगाये हुए है और इतने सहृदय मंत्री होते हुए भी इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये और मुझे बड़ा दुख है कि ५५ लाख एकड़ भूमि है उस पर कितनी बड़ी रकम की आवश्यकता है। आज मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इतनी योजनाओं के बाद भी क्या आप पर्याप्त मात्रा में पानी दे सके हैं। आज भी देहात का रुपया देहात में व्यय नहीं किया जाता। रुपया मिलता है, लेकिन शहरों पर अधिक व्यय हो जाता है। कितना रुपया गोमती की बाढ़ रोकने के लिये लखनऊ खास पर खर्च कर दिया गया है और गोमती नदी के किनारे पर मिट्टी का ढेर लगाया गया है पता नहीं कि वह मिट्टी का ढेर किसी बाढ़ में रुकेगा या क्या हाल होगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा। मुझे तो यह सब देखकर मोहम्मद तुगलक की बात याद आती है कि अगर यह दीवार कभी टूट गई तो उसका फिर क्या हल होगा, लखनऊ शहर कहां जायगा यह भविष्य ही बता सकता है। देहातों में ड्रेनेज के लिये एक स्कीम बनाई और इन्तजाम किया गया कि यह काम किया जाएगा

लेकिन कहीं एक मील भी नाला खुदने का कोई काम नहीं हुआ। पता नहीं कि विभाग इसके लिये क्या कर रहा है। आज हमारे प्रदेश में और हमारी कांस्टीट्यूएन्सी में भी, हजारों गांवों में ड्रेनेज की समस्या है और मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि अभी तीन चार घंटे का समय उनके पास उत्तर के लिये है वह अधिकारियों से पूछ कर यहां बतायें और आंकड़े पेश करें कि उस कैबिनेट के फैसले के अनुसार कितनी ड्रेनेज गूलें खुदवाई गईं। यह कोई मामूली बात नहीं है कि कैबिनेट का फैसला हो और उस पर आदेशों के बाद भी अमलदरामद न हो। आज उसको ३ साल का समय बीत चुका है लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। यह बहुत ही अफसोस की बात है।

आज हम देखते हैं कि सिंचाई का समय आ जाता है और नहरों में पानी नहीं रहता। आज जो लोग सरकार की कैबिनेट में पीठासीन हैं, उन की यह जिम्मेदारी है, उनका यह नैतिक फर्ज है कि वह इस प्रदेश की समस्या पर अधिक से अधिक ध्यान दें। जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हों उनके साथ सख्ती का बर्ताव किया जाय और अगर वह अपना फर्ज ठीक से अन्जाम नहीं देते तो उनको अगर निकालना भी पड़े तो निकाला जाय क्योंकि यह सिंचाई का मसला आज सब से ऊपर है। आज हम किसी से भी नाकामयाबी के कोई भी वजुहात सुनना नहीं चाहते आज तो हम हर समस्या का हल चाहते हैं। हमारे यहां अगर रेनफाल कम हो गई है और हमारी नहरें फ्लोइंग कैनाल्स हैं तो यह जरूरी है कि उनमें जरूरत के वक्त पानी रहे, वे सूखी न रहें, अगर बारिश कम हो गई है तो क्या हम यह आशा करें कि हमारी नहरें भी सूखी पड़ी रहेंगी। क्या सरकार ने रिजरवायर्स के लिये कोई स्कीम निकाली है और हमें इस तरह से सोचना होगा कि अगर भविष्य में भी बारिश और कम हुई तो हम क्या करेंगे? हमें नेचर के भरोसे बैठे तो नहीं रहना है। गत वर्ष तो हमारे यहां इतनी बारिश हुई थी कि नहरों के द्वारा २० गुना पानी दिया जा सकता था लेकिन नहरों में हमारे यहां पानी रोकने की उचित व्यवस्था नहीं है केवल पानी के डायवर्जन की ही व्यवस्था है।

नलकूपों की बात कही जाती है। उनके बारे में भी मैं क्या कहूं? मैंने देखा है कि नलकूप पर आपरेटर तो रहते हैं, लेकिन एस० डी० ओ० के ऊपर के जो कर्मचारी हैं वे बिलकुल सतर्क नहीं हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके इन कुओं की जैसी हिफाजत होनी चाहिये, जो मेनटेनेंस होनी चाहिये वह नहीं होती। आप इसके आंकड़े इकट्ठा करें कि कितने कुएं ऐसे थे कि जो तीन दिन से अधिक खराब रहने के बाद भी ठीक से नहीं चले। मेरी जानकारी है और मेरी ही कांस्टीट्यूएन्सी में बीसों पचासों कुए ऐसे हैं जो खराब होने के बाद फिर ठीक नहीं हुए और ऐसे भी दर्जनों कुए हैं कि जो फसल भर नहीं चले। ट्रांसफार्मर की पचासों कुओं पर चोरी होती है। न कहीं पर मेकेनिकल नोट बुक मौजूद है, एक कुंए के पुरजे दूसरे में डाल दिये जाते हैं और दाम वसूल कर लिये जाते हैं। सिंचाई का क्षेत्र आज भी बहुत कम है। आपरेटर्स की शिकायत है कि उनके क्वार्टर्स की मरम्मत नहीं होती और वह बहुत ही खराब हालत में हैं, कहीं पर खिड़की नहीं है, कहीं पर दरवाजे नहीं हैं और मैं अपने जिले बदायूं की जानकारी पर कह सकता हूं कि उनके ऐसे क्वार्टर्स का भी किराया लिया जा रहा है। जब ऐसी हालत है तो एक तरह से आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वह दूसरे तरीके से पैसा पैदा करें। इसलिये जहां आप उनसे काम लेते हैं वहां उनको ठीक से सुविधा भी देना होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, हम सब जानते हैं कि अगर हम एक-एक एकड़ के २ खेत बराबर-बराबर लें और उनमें एक सा खाद, एक सा बीज, एस सी जुताई करें और सभी काम एक से करें और उसके बाद एक को पानी दें और दूसरे को पानी न दें तो उसमें कोई शक नहीं कि जिस एक एकड़ खेत में हम पानी न देंगे उसमें अगर ६ मन पैदावार होगी तो उसमें जिसमें हम पानी देंगे उसमें

[श्री रियासत हुसैन]

कम से कम १२ मन जरूर पैदा होगा। इस केस को रखकर मैं आपके सामने यह बात रखूंगा कि अगर आप किसान को कुछ न दें, कोई चीज न दें और उसे केवल पानी दे दें तो केवल इतने से ही आप की खाने की प्राबलम हल हो सकती है। सारी प्लान और खाद का खर्च कम करके आप उसे पानी दे दें तो खाने की समस्या हल हो सकती है। आपने अभी तक पिछली प्लान्स में और इस प्लान में सिंचाई के लिये जो रुपया है यह पहली में ३५.४४ करोड़, दूसरी प्लान में ४०.१० करोड़, तीसरी प्लान में ५४.७२ करोड़ और प्लान १९६६-६७ में १४.५० करोड़ है। लेकिन आज नतीजा क्या हुआ? हमारा इर्रीगेशन का कितना एरिया बढ़ा है? मुझे बड़े अफसोस के साथ बतलाना पड़ेगा कि १९४५-४६ में यानी कि २० साल पहले आपके उत्तर प्रदेश में जिस जमीन पर हल चलता था वह ३.६० करोड़ एकड़ थी और जिसमें पानी लगता था उसका रकबा १ करोड़ १३ लाख एकड़ था। आज २० वर्ष के बाद, आपने १३०.२६ करोड़ रुपया खर्च भी किया और ग्रामों को भी मदद दी और वह हल चलने वाला रकबा तो ४.२७ करोड़ एकड़ हो गया है यानी कि ६१ लाख एकड़ के करीब बढ़ा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी आबपाशी का रकबा महज १ करोड़ २० लाख है जिसके माने यह हैं कि कुल ७ लाख एकड़ २० साल में, करोड़ों रुपया लगा कर, आप बढ़ा पाये हैं। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? आपकी इस पुस्तिका में दिया हुआ है कि आपने ११ बांध बनाये और कुओं की तादाद जो पहले २,३४३ थी वह अब बढ़कर ८,५०७ हो गयी है जिसके माने यह हैं कि करीब-करीब ६ हजार कुएं बढ़ गये हैं।

नहरों के बारे में इसमें जिक्र है कि आपने बहुत मील इनकी लम्बाई बढ़ायी है लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने पानी का रकबा उस हिसाब से नहीं बढ़ाया है। मैंने ६-७ कुओं को खुद देखा है। १०६ सिरसी मुरादाबाद का जो कुआं है और जो ३६,००० गैलन पानी डिस्चार्ज करता है, यह केवल ३२ बीघा प्रति दिन के हिसाब से पानी दे सकता है। उसकी कार्य क्षमता केवल ६० प्रतिशत रह गयी है। दूसरा कुआं ४२ सिरसी है उसका डिस्चार्ज २५,००० गैलन पानी है। उसकी भी क्षमता केवल ४० प्रतिशत रह गयी है, ४१ सिरसी का जो कुआं है उसकी क्षमता केवल ३० प्रतिशत रह गयी है, ६६ सिरसी का जो कुआं है, उसकी क्षमता केवल ३० प्रतिशत रह रही है, ४३ सिरसी का जो कुआं है उसकी क्षमता केवल २० प्रतिशत रह गयी है और ७९ सिरसी का जो कुआं है और जिसकी क्षमता १५,००० गैलन पानी डिस्चार्ज करने की है, उसकी पाइप लाइनें टूट गई हैं। ८-७ कुओं की जांच जब की गयी तो देखा गया कि ३०-३५ प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका कारण क्या है। मिस्त्री वहां पर २-२ महीने नहीं आते हैं मैकेनिकल फाल्ट के कारण कुएं खराब पड़े रहते हैं, पाइप लाइनें टूटी पड़ी रहती हैं। आपरेटर लोग पीछे पीछे फिरते रहते हैं लेकिन मैकेनिक और मिस्त्री उनके हाथ नहीं आते हैं। आपने यहां पर एक डायरेक्टोरेट बना कर कौन सा बड़ा काम किया है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने सूचित किया कि हमने ५० ट्यूबवेल आपरेटर को डिस्मिस कर दिया जिन लोगों को आप पहले ३५-४५ रुपये देते थे और अब वे ६०-८० कर दिए हैं उन लोगों को निकाल दिया है लेकिन मैं आपसे और डायरेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने सुपरवाइजरों को, कितने मेकैनिक्स ओवरसियरों को और इनके अलावा किन-किन इंजीनियरों को डिस्मिस किया, कितनों को आपने डी० आई० आर० में बन्द किया।

अगर पश्चिमी जिलों में मशीन खराब हो जाती है तो दिल्ली के कबाड़ी बाजार से लाई जाती है और अगर पूर्वी जिलों में खराब हो जाती है तो इलाहाबाद से लाई जाती है और फिर वे ही मशीनें ठीक करने के बाद एक-दो घंटे बाद खराब हो जाती हैं और कुएं बन्द पड़े रहते हैं। आपने २०-२० कुओं पर एक-एक मिस्त्री को रख रखा है। उसको आदेश हैं कि वह हर कुएं पर हफ्ते में एक बार जाएं और देखें लेकिन वे नहीं जाते हैं। आपके जो सुपरवाइजर हैं वे ३०-४० और ३५-२५ रुपए के बिल, कुओं से मशीनों के निकालने में और ले जाने के लिए,

बनाते हैं जबकि गांव वाले इस काम को करते हैं और अपनी गाड़ियों में रखकर ले जाते हैं। तो इस तरह से हजारों हजारों रुपया खर्च किया जाता है। आप अपने मेकैनिकल और टैक्निकल स्टाफ के विरुद्ध डी० आई० आर० में कार्यवाही कीजिए और उन्हें बन्द कीजिए। आपरेटर देवरिया से मेरठ और मेरठ से देवरिया बदल देने से काम नहीं चलने वाला है। अफसोस है कि ४ सितम्बर को जो योग साहब ने एक आर्डर जारी कर दिया कि किसी ट्यूबवेल आपरेटर को २० मील दूर या दूसरी तहसील में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इतना ही अगर होता तो भी ठीक था। अफसोस तो यह है कि तबादला किया गया बुलन्दशहर वाले का देवरिया को और आजमगढ़ वाले को पश्चिमी जिले में। अब आप बताएं कि ६० रु० पाने वाला कैसे अपने घर से इतनी दूर रह कर काम कर सकता है। इससे ट्यूबवेल आपरेटर बहुत परेशान हैं और ३,००० आपरेटरों में बेचैनी फैल गई है। मैं मांग करता हूं कि अगर कोई आपरेटर नालायक है तो उस को बरखास्त कीजिए, उस को चार्जशीट दीजिए लेकिन हैरेस न कीजिए।

अब मैं आप का ध्यान मुरादाबाद की तरफ ले जाना चाहता हूं। मुरादाबाद जिला प्रदेश को ७१ लाख रुपया रेवेन्यू का अदा करता है लेकिन अगर आप देखें कि उस में आपने कितना रकबा तीन प्लानों में सिंचाई का बढ़ाया, तो हैरानी होगी। मैं दूसरे जिलों से मुकाबला करके बताऊंगा। सहारनपुर का सिंचाई का रकबा ५५.१ परसेन्ट बढ़ गया, मुजफ्फरनगर का २५ परसेन्ट, मेरठ का ३० परसेन्ट, बुलन्दशहर का २५ परसेन्ट सिंचाई का रकबा बढ़ गया। शर्म की बात है कि मुरादाबाद का रकबा केवल १६ परसेन्ट बढ़ाया है। कहा क्या जाता है आज मुरादाबाद का रकबा आबपाशी में है, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में देखिए झांसी में ३६० परसेन्ट रकबा आबपाशी का बढ़ गया लेकिन मुरादाबाद के लिए कहा गया कि हम तुमडिया डैम बना रहे हैं। आप ने उसमें साढ़े चार करोड़ रुपया लगाया। मैं ४, ५ दफा वहां पर गया और अधिष्ठाता महोदय, आप ने भी देखा है उसे, मैंने अपनी आंखों से उस स्कीम को देखा है। लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बाद उन्होंने एक ही नतीजा बताया कि अगर बरसात नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। उस बांध की हालत यह है कि ८५७ फीट अबव सी लेविल का आपका टार्गेट है लेकिन आज तक ८३५ फीट अबव सी लेविल से ज्यादा नहीं भर पाये और इस खुश्की की मौसम में ८२१ ही रह गया और ८२० उसका बढ़ा है नतीजा यह हुआ कि १२ दिन आपकी नहर ठाकुरद्वारे में चली। १० सालों से नहरें खुद चुकी हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि साढ़े चार करोड़ रुपए आपका कामयाब हो और मुरादाबाद की मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा दोनों तहसीलों को आबपाशी हो तो आप दो करोड़ रुपया की एक स्कीम और चलायें, जो इंजीनियर्स ने आप के पास भेजी है मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। वह स्कीम यह है कि १ डैम दो मील ऊपर जहां पर कोसी नदी १२ महीने चलती है उसमें बांध बना कर तुमड़िया बांध में पानी डालिए ताकि पानी की आपको कमी न रहे। इस से आप तुमडिया बांध को भर सकेंगे और साथ ही यह भी फायदा होगा कि कोसी नदी की नहरों में, जो रामपुर में चलती है और मई और जून के महीनों में बन्द हो जाती हैं, इसी बांध से फीड कर सकते हैं नीचे की नहरों को। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुरादाबाद में इर्रीगेशन का एरिया नहीं बढ़ेगा।

अब मैं हाईडिल की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुरादाबाद में ४४९ कनेक्शन मंजूर हुए जिनमें से कुल बिजली आप दे पाए ४८ को। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पावर कन्जम्पशन जो है इर्रीगेशन और इंडस्ट्रियल परपजेज का उसमें बराबर खाई बढ़ती ही जा रही है। १९६१ में अगर बेस आप १०० मान लें तो ११२.७ इंडस्ट्रियल परपज में जो कनजम्पशन था वह १९६५ में बढ़ कर २४५ कर दिया। इर्रीगेशन में ११४ था वह बढ़ कर ११५.७ ही आप कर पाए।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो समय है। ३, ४ बजे प्रस्ताव लाइयेगा।

श्री अक्षयबरसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में जो अनुदान पेश है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सिंचाई का विषय इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और उसी पर देश के किसानों का सारा जीवन निर्भर करता है। सिंचाई पहले जमाने में कुएं से, तालाबों से या छोटी-मोटी नहरों से होती थी लेकिन कम जमीन बोई जाती थी और किसान का काम चल जाता था। लेकिन आज जितनी जमीन परती पड़ी हैं वे सब जुत जाती हैं और सिंचाई का काफी प्रबन्ध सरकार कर रही है लेकिन सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही है जिसका परिणाम यह होता है कि जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बंटवारे के समय दोनों देशों की आबादी ४० करोड़ थी लेकिन आज अकेले हिन्दुस्तान की आबादी ४७, ४८ करोड़ हो गयी है किन्तु जमीन उतनी ही है। जनसंख्या बढ़ने से खाद्य समस्या जटिल होती जा रही है। उसकी पूर्ति इसी देश को करनी है। हम दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। जब तक हम स्वालम्बी नहीं होंगे तब तक हम विकास नहीं कर पायेंगे। किसान की हालत अच्छी होती है तो उसके साथ-साथ दूसरे लोगों की हालत भी अच्छी होती है और अगर किसान की हालत खराब होती है तो सब की हालत खराब होती है। किसान की हालत अच्छा, अच्छी खेती से होती है। जिसके लिए वह अच्छा बीज, अच्छी बुताई और अच्छी खाद का इस्तेमाल करता है लेकिन सब देने के बाद भी पानी नहीं है तो वह किसान पैदावार नहीं बढ़ा सकता है। किसान अपना खेती के लिए सब कुछ करता है, प्रकृति से लड़ता है। खरीफ की फसल बोने के बाद कहीं भादों के महीने में पछुवा चल गयी तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह से रबी की फसल में सब कुछ देने के बाद अगर फाल्गुन के महीने में पछुवा कहीं आ गयी, कहीं पाला पड़ गया तो सारी मेहनत बरबाद हो जाती है। अगर उसका फसल अच्छी हो गयी तो वह खुशहाल अपने को समझता है और उसकी वजह से सभी लोग खुशहाल होते हैं।

मैं तो सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने किसान की हालत को सुधारने के लिए नहरों ट्यूबवेलों तथा कुओं की व्यवस्था की और उसके लिए उसी प्रकार के अनुदान दिए ताकि हमें दूसरे देशों के सामने अन्न के लिए हाथ न पसारने पड़ें। लेकिन सवाल यह है कि हम सरकार को फिर धन्यवाद देते हैं कि सरकार को किसानों की चिन्ता २४ घंटे रहती है उनकी खाद्य समस्या सम्भालने के लिए लगी है। साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो नीचे के कर्मचारी हैं वह सुस्ती करते हैं, गलती करते हैं और किसान को समय पर पानी नहीं देते हैं जिससे किसान का नुकसान होता है। इसलिए किसानों की तरफ विशेष खयाल रखा जाय कि बीज देर से न पहुंचे क्योंकि बीज उस समय पहुंचता है जब बोने का समय निकल जाता है। पानी भी जहां कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तीन बार खेतों को मिलने चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। होता यह है कि एक पानी नहर से या ट्यूबवेल से दे दिया गया और दूसरा व तीसरा पानी नहीं मिला तो फसल सूखने से उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। साथ ही उसके ऊपर सिंचाई का पैसा भी लग जाता है और इसके लिए मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक कमेटी बनाई जाय जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लानिंग आफिसर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिला परिषद् के अध्यक्ष हों और एक दो पब्लिक के आदमी हों। वह कमेटी फसल बोने के पहले देखे कि कौन-सा ट्यूबवेल खराब है कहां गूल जाली खराब हैं और कहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसको ठीक कराने का प्रबन्ध करे। हमारे यहां के कलेक्टर ने एक

महीने पहले कह दिया कि सारे ट्यूबवेल्स नलियां ठीक हो जायं। इसका नतीजा यह हुआ कि ट्यूबवेल्स के साथ-साथ बहुत सी नालियां भी ठीक हो गई। इस तरह से काम होना चाहिए।

खाद्य समस्या को हल करने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जमीन तीन हिस्सों में बंटी हुई है। एक तो ऐसा एरिया जिसमें हम खरीफ और रबी की दो फसल लेते हैं। एक जमीन वह है जिसमें केवल अगहनी फसल हो लेते हैं एक जमीन वह है जो कछार का एरिया कहलाता है और कुछ जमीन रिहार की है। कछार की जो जमीन है यह हमारे लिए एक बड़ी भारी समस्या है। गोरखपुर में ४ हजार गांव हैं और बाढ़ आने पर १,६०० गांव डूब जाते हैं जिससे एक फसल बर्बाद हो जाती है और दूसरी होती है। बाढ़ आने पर न चारा होता है और न अनाज ही होता है सरकार को भी मुसीबत आ जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कछार में जितनी ऊंची जमीन है वहां ब्लाकों में पम्पिंग सेट रखें जिससे नदी, नहर और तालाब का पानी लिया जाय। इससे मक्का, मिड़वा और टांगुन वगैरा की फसल बाढ़ से पहले ले सकते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे दो मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, अब दो मिनट नहीं मिल सकेंगे।

श्री अक्षयवरसिंह—

श्रीमन्, जहां चकबन्दी हो गई है वहां सरकार को नहर निकालने का विचार बिलकुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमें गरीब किसानों की बहुत जमीन निकल जाती है....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मान्यवर, मैं आपके सामने अपने विचार सिंचाई अनुदान पर रखता हूं। माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश के अन्दर दो नारे दिये थे। एक 'जय किसान' और दूसरा 'जय जवान'। 'जय जवान' का नारा तो ताशकन्द समझौते के बाद करीब-करीब समाप्त हो चुका है। और जय किसान का नारा माननीय मन्त्री जी के भ्रष्ट प्रशासन में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। मैं आपके सामने रख दूं, मैं आपके सामने इस विभाग को दो भागों में बांट कर विचार करना चाहता हूं। एक तो इर्रीगेशन का विभाग और दूसरा राजस्व का। राजस्व विभाग में तो पतरौल, आपरेटर अमीन आदि आते हैं और दूसरे राजस्व विभाग में इंजीनियर्स हैं। मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके इंजीनियर्स के अन्दर देश भर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ है। एक तो आपके सिंचाई विभाग और दूसरे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के इंजीनियर्स भ्रष्टाचार में सबसे अगुवा बने हैं। इन विभागों के भ्रष्टाचार पुलिस विभाग के बराबर ही होगा कम किसी हालत में नहीं होगा।

मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि आपका विभाग इतना खूबसूरत, सुन्दर और हसीन है कि इस प्रदेश के सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स और अधिकारी बड़े-बड़े लखपतियों और करोड़-पतियों का मुकाबला कर सकते हैं। उनकी माली हालत और रहन-सहन का स्तर इतना अधिक अच्छा है कि वह बड़े बड़े रईसों, लखपतियों से किसी भी हालत में कम नहीं है। इसका कारण है प्रदेश में निकम्मा प्रशासन और कमजोर हुकूमत। कोई भी कमजोर हुकूमत टिक नहीं सकती है, उसका अन्त अवश्यम्भावी है। जब मन्त्री जी का शासन कमजोर है तो वह बना नहीं रह सकता है वह एक दिन अवश्य खत्म होगा, चाहे सन् ६७ में हो या उसके भी आगे चलकर।

[श्री लखपतराम शर्मा]

सन् ४६ के अन्दर एक बड़ी भारी देश में स्ट्राइक हुई, जिसमें २० हजार आदमी सम्मिलित थे और कहा गया कि एम० ई० एस० विभाग से उन्हें अलग कर दिया जाय।

आज आपके पतरौल, आपरेटर और अमीन भूखे और नंगे हैं। जब वे आपके इंजीनियर की माली हालत और रहन-सहन की स्थिति देखते हैं तो लाजिमी तौर पर उसका दिमाग अपने स्थान से हट जाता है। फिर भी वह भारी मजबूरी में पड़ कर भी एक दो रुपये की ही बेईमानी कर सकता है और आप यकीन मानिए वह चार पांच रुपए की ही बेईमानी में पकड़ा जाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जबकि आपके अधिकारी लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करते हैं, इंजीनियर्स हजारों लाखों रुपये का गबन कर जाते हैं बेईमानी करते हैं और देश के साथ विश्वासघात करते हैं, फिर भी वे आपकी नजरों में ईमानदार बने रहते हैं। माताटीला सिंचाई योजना और बबीना जल योजना एवं जामिनीडेस में ५० लाख रुपये के गबन और भ्रष्टाचार का मामला आपके इंजीनियरों के विरुद्ध रखा गया है। गट्ठर का गट्ठर शिकायतों का रखा गया है, लेकिन मामला आज भी ज्यों का त्यों है। इन सबका कारण यह है कि भ्रष्ट विधायक और भ्रष्ट मन्त्री ऐसे मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे मामलों में चाहे विधायक हों या मन्त्री यदि वह गलत और भ्रष्ट काम का पक्ष ले तो उस पर ध्यान न देकर दोषी इंजीनियर और अधिकारी व सम्बन्धित मन्त्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

प्रशासन की दृष्टि से आपको मानना पड़ेगा कि आपका प्रशासन पूरी तरह से असफल हो चुका है और नौकरशाही आपके ऊपर हावी है। और इसको ठीक करने के लिए आपको स्वयं पहले अपने आपको सुधारना पड़ेगा, अपने स्वार्थों का बलिदान करना पड़ेगा। जहां तक आबपाशी का सम्बन्ध है, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से तड़प कर मर रहे हैं, मंहगाई से पिस रहे हैं और उधर माननीय गेंदासिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि वह अन्नोत्पादन के मामले में प्रदेश को बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन जबतक सिंचाई मन्त्री किसानों को समय पर और बहुतायत से सिंचाई के साधन नहीं दे सकते, उनको सुख सुविधा नहीं दे सकते, तब तक गल्ले की पैदावार बढ़ जाय, यह असम्भव है। ४ करोड़ १ लाख ६४ हजार एकड़ एरिया में मैदान में खेती होती है और १५ लाख ४९ हजार एकड़ पहाड़ी एरिया में खेती होती है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रों पर आप कितने सिंचाई के साधन देते हैं, उसे यदि देखा जाय, तो सिंचाई के साधन बहुत ही कम हैं। तो मैदानी एरिया में १ करोड़ ३२ लाख ३३ हजार एकड़ में सिंचाई के साधन हैं और पहाड़ी एरिया में २५ हजार एकड़ में ही सिंचाई के साधन हैं जब खेती के एरिया को देखते हुए इतने कम आपके साधन हैं तो खेती की पैदावार कैसे अधिक बढ़ाई जा सकती है। खेत में आप परिश्रम करें, फस डाल दें, लेकिन पानी आप न दे सकें, तो इस देश का कल्याण कैसे होगा। आपके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग है और यदि खेती की उन्नति नहीं हो सकी तो मैं नहीं समझता हूं कैसे इस प्रदेश का भाग्य चमकेगा और उज्जवल होगा। मैंने आपके विभाग की पी० डब्ल्यू० डी० से तुलना की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में मस्टररोल पर हजारों की तादाद में मजदूरों के फर्जी नाम भरे जाते हैं और उसी तरह से आपके सिंचाई विभाग में भी फर्जी मस्टररोल भरे जाते हैं और गरीबों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपके विभाग द्वारा इन फर्जी नामों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मन्त्री जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, समाजवाद लाने की बात तो बहुत कही जाती है लेकिन सही समाजवाद तो हम तब मानते जबकि लाल किले और ताज पर उन मजदूर कलाकारों का नाम लिखा होता। हिन्दुस्तान की तवारीख में आज उनका कोई नाम तक नहीं जानता कि किसने लाल किले या ताजमहल को बनाया। केवल बादशाह और शहंशाहों के नाम से उनको जाना जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि आज बड़े आदमी छोटे आदमियों के खून पर जिन्दा हैं और रहे हैं, इसलिए समाजवाद तो इस जीवन में कभी नहीं आने वाला है जब तक कि छोटे और गरीब आदमियों की पूजा करना आप न सीखें। पूजा होती है बड़ों की, पुतों

का उद्घाटन करने के लिए माननीय मन्त्री जी जाते हैं, जबकि उनको पता तक नहीं है कि वह पुल उत्तर में है या दक्षिण में है। अगर किसी मजदूर से पुल का उद्घाटन करवाया जाता तो हिन्दुस्तान की तवारीख में वह अमर होता। गरीब किसान मजदूर की सही माने में पूजा होनी चाहिए लेकिन ऐसा न हो कर के हिन्दुस्तान के लोगों ने बड़ों की पूजा करना ही सीखा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रशासन में सुधार होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि आपको जो दोषपूर्ण कार्यप्रणाली है उसमें सुधार किया जाय। इस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे इस प्रदेश का हित नहीं हो सकता है। लाखों रुपए की बेईमानी के मामले आपके सामने रखे जायं और आप उसे खामोशी के साथ देखते रहें और अपना हथियार डाल दें, अपनी कलम छोड़ कर खामोशी से उसे बर्दाश्त कर लें तो इससे आपकी पार्टी का कोई उद्देश्य भले ही पूरा हो सकता है लेकिन इस देश का भला नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान को आजादी चर्खा कातने से मिली, लेकिन आपको मालुम होना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। आजादी तो श्री सुभाषचन्द्र, सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त जैसे वीरों के बलिदान से ही मिली न कि चर्खा कातने से। इतने बलिदानों के बाद तो आजादी मिली, लेकिन आपका जो प्रशासन है वह निकम्मा है और इसे कोई मिलिटरी अधिकारी ही सुधार सकता है। मेरा खयाल है कि अगर किसी मिलिटरी अधिकारी के हाथ में आपके विभाग को सौंप दिया जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा।

श्रीमन्, झांसी बबीना योजना के सम्बन्ध में ५-६ लाख रुपये की गड़बड़ी की जानकारी मैंने माननीया मुख्य मन्त्री को दी और उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेकर उसकी जांच भी करायी, फिर मैंने उनको इस सम्बन्ध में लिखा तो एक चीफ इंजीनियर महोदय वहां गए जिन्होंने शिकायत-कर्ता को प्रलोभन दिया और उससे कहा कि तुम क्यों व्यर्थ के लिए इस झमेले में पड़े हो, इस शिकायत को तुम उठा लो, हर तरह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब यह सोचने की बात है कि माननीया मुख्य मन्त्री का एक उच्च अधिकारी जब इस तरह का प्रलोभन शिकायतकर्ता को दे कि वह अपनी शिकायत को उठा ले, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का कल्याण कैसे हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे लखपत-राम शर्मा हों, माननीय मन्त्री जी, इस तरह की शिकायत होने पर किसी की सिफारिश न सुन कर आपको मजबूत होना पड़ेगा और जितने भी कायदे कानून दिए गए हैं उनका पालन करना पड़ेगा तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। इसके अलावा जामनी डैम, मातटीला डैम आदि के बारे में भ्रष्टाचार सम्बन्धी लाखों रुपए की गड़बड़ी के सम्बन्ध में भी मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा और उनसे कहा कि सारे सम्बन्धित कागजात मेरे पास हैं, और आपसे मेरा प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और आपको मजबूत होना चाहिए तभी भ्रष्टाचार इस विभाग से दूर हो सकता है। गरीबों को कम से कम आप रोटी तो दें। अन्त में मैं आपसे चाहूंगा कि आज प्रदेश की जनता एक नाजुक दौर से गुजर रही है। ईमानदार व्यक्ति के लिए जीवित रहना दुर्लभ हो चुका है। इस प्रकार के निकम्मे प्रशासन से भ्रष्ट व्यक्तियों को छोड़ कर जनता कराह उठी है। पार्टियों से देश बड़ा होता है। सख्ती, मजबूती व निष्पक्षता से भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध मजबूत कदम उठाएं। आज देश की यही पुकार है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

*श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्षजी महोदय, सिंचाई मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग में जो नलकूप बने हुए हैं वे पिछले वर्ष से इस साल ज्यादा हो चले लेकिन नलकूपों के अन्दर जो कमी है वह इतनी बड़ी कमी है कि उसका न हमारी सरकार ने इन्तजाम किया है और न हमारे चीफ इंजीनियर ने इन्तजाम किया है और न वे समझ पाये हैं। सबसे बड़ी यह कमजोरी हो गई कि हमारे सब डिवीजन में दो-दो असिस्टेंट इंजीनियर रहते थे लेकिन अब एक मेकेनिकल और एक सिविल हर जगह रहता है। कहीं पर मेकेनिकल इंजीनियर रखा गया है सिविल की जरूरत नहीं है और कहीं पर सिविल रखा गया है मेकेनिकल की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि गूल आदि का काम सिविल इंजीनियर के द्वारा चलता है। मेकेनिकल इंजीनियर उसको नहीं जानते हैं। ओवरसियर ने एक बिल बनाकर दे दिया और मेकेनिकल इंजीनियर ने उसको पास कर दिया और पेमेन्ट हो गया। जिस दिन से यह नया इन्तजाम किया गया है मेकेनिकल सिविल और इंजीनियर के जिम्मे यह काम किया गया है उस दिन से आबपाशी के आंकड़े कम हो गए हैं। अब मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि जो मेकेनिकल इंजीनियर हैं वे मार्च के महीने में ही मशीन के सारे पुर्जे मोटर में फिट करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मार्च के महीने में २४ घंटे ट्यूबवेल चलता है लेकिन वह सब काम मार्च के महीने में ही होता है। क्या ११ महीने साल में वह काम नहीं चलता है जो उसी महीने में यह सारा पेमेन्ट होता है। मैं सरकार से कहूंगा कि इसके लिये किसी कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिए कि किस तरह से और कितनी देर चलने पर इनमें मशीन खराब होती है और उसके अन्दर पुर्जा बदलने की जरूरत होती है। मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां चन्दौसी, मुरादाबाद में गूल खराब है। मेकेनिकल इंजीनियर उसके देखने के लिए ओवरसियर को भेजते हैं। ओवरसियर अपनी रिपोर्ट देता है कि पानी नहीं जा रहा है। पीछे गूल ऊंची है तो पानी आगे कैसे जायगा। आसमान से होकर थोड़े ही जायगा। पिछले साल हमारी सरकार ने अंधाधुन्ध रुपया दिया था और ट्यूबवेल की सैकड़ों मील कच्ची गूल बना डाली। जब पुरानी गूल नहीं रह गई तो नई गूल बनाने में ५५ लाख रुपया खर्च कर देना कहां तक उचित है? मेकेनिकल इंजीनियर यह जानते नहीं हैं कि कैसे गूल डाली जाती है। जहां वे समझते हैं वहीं पर डाल देते हैं। पिछली गूल खत्म हो जाती है। उसको काश्तकार जोत लेते हैं तो नई बनाने से क्या फायदा है?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भाग्य की बात है कि सिंचाई मन्त्री और विद्युत् मन्त्री एक ही हैं। यह होता है कि नलकूप २ घंटे चलकर बन्द हो जाता है। कहीं पर ३ घंटे चलकर बन्द हो जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार के पास जितनी बिजली है उतनी ही उनको दे और अगर नहीं है तो दूसरों को क्यों दी जाय। सरकारी कुयें बन्द रहते हैं तो उनके लिये बिजली का इन्तजाम होना चाहिये। एक बात यह भी निवेदन करूंगा कि जो पुख्ता गूल सन् १९४८ में बनाई गई थी वे गूल सन् ५०-५२ तक बिलकुल बेकार हो गई थी उनमें पानी नहीं चलता है। उनमें ४, ४ इंच की घास खड़ी हुई है। हमारी सरकार ने २ साल से करोड़ों रुपया लगाकर गूल बनाई है। मैं यह कहूंगा कि आगे की गूलों में किस तरह से पानी जायगा जब पिछली गूल खराब पड़ी हुई हैं। अगर आगे गूल में पानी ले जाना चाहते हैं तो पिछली तरफ भी गूल का ठीक होना निहायत जरूरी है। अगर पीछे की खराब है तो आगे बनाने से कोई लाभ नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर की जानकारी गूल के मामले में बहुत कम है। उनको पता नहीं है कि गल किस तरह से बनाई जाती है। मैं खुद ठेकेदार हूं और ठेकेदारी करता रहा हूं। मैं तमाम इन बातों को जानता हूं कि किस तरह से ट्यूबवेल चलाये जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुरादाबाद, बदायूं, बुलन्दशहर में १९४८ से ५२ तक जो गूल बनाई गई है वह तब तक चलती रही है। जो इस तरह से बनाई जाती हैं कि आगे पानी न जा सके तो उनमें यह जनता का रुपया व्यर्थ में बरबाद होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सब डिवीजन में दो एस० डी० ओ० होने चाहिये। जिस समय हमारे ट्यूबवेल का मोटर जल जाता है तो इंजीनियर साहब के पास स्पेयर मोटर नहीं रहता। चंदौसी के ट्यूबवेल नम्बर ३७, १७, ११ और १९ में मोटर एक महीने और डेढ़ महीने के बाद बदला जा सका। करीब दो साल हुये मैंने इस संबंध में एक सवाल किया था तो इंजीनियर साहब ने धोखा दे कर यह बतला दिया कि इन में स्पेयर मोटर्स की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम १/३ स्पेयर मोटर्स आपके पास रहने चाहिये ताकि आपरेटर्स उनके जल जाने के बाद उनको फौरन बदल दें अब तक सरकार के पास कोई भी स्पेयर मोटर्स नहीं हैं। वैसे कुवें पर एक मोटर स्पेयर रहना चाहिये।

कूप चालक की बात रियासत हुसैन साहब ने बतलायी। उस की तनख्वाह क्या है यह आप सबको मालूम है लेकिन उस का रखवाला कौन-कौन है इसे आप देखिये। गांव का दरोगा, प्रधान, हमारा बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, बी० एल० डब्ल्यू०, अमीन, चौकीदार, सभी उस से चौबीसों घंटे ड्यूटी की आशा रखते हैं। कागजों पर ८ बजे से दो बजे तक उस की ड्यूटी है। आप सोचिये कि उसके बाद आपके उस ट्यूबवेल को कौन देखेगा। इसमें एक पुछल्ला सरकार ने और लगा दिया कि विकास क्षेत्र वाले भी उस आपरेटर की हाजिरी लेंगे। मैं समझता हूं कि विकास क्षेत्र की बात हट जानी चाहिये।

जहां तक ट्यूबवेल आपरेटर की शिकायतों का संबंध है १९३५ से आज तक किसी ने उन को नहीं सुना भले ही उसके खिलाफ ५०० दरख्वास्तें आ गयी हों। अभी हमारे योग साहब, जो डाइरेक्टर हैं, मुरादाबाद तशरीफ लाये थे तो कुछ लोगों को भय हुआ कि क्योंकि ईमानदार आदमी हैं इसलिये जरूर ठीक से काम करो काफी सुधार भी हुआ यदि योग साहब जैसे दस बीस आदमी भी हो जायं तो संभव है सुधार हो जाय दिक्कत यह है कि मार्च में सारा पेमेंट हो जाता है और एक पाई खर्च नहीं होता। यह बात असिस्टेंट इंजीनियर तक ही रह जाती है वह डाइरेक्टर हैं, कितना दौरा कर सकते हैं मैंने इसलिये मैकेनिकल और सिवल इंजीनियर की बात कही है। एक-एक कुवें पर ३ मील गूल लगानी है। जब चार आना मजदूरी थी तो आप का रेट ३ रुपया ८ आना था, अब मजदूरी ढ़ाई रुपये है तो आपका रेट है १३ रुपया मैं निवेदन करूंगा कि १३ रुपये में मिट्टी नहीं डाली जा सकती इंजीनियर साहब समझ ही नहीं सकते कि कितनी मिट्टी डाली गई है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त :

(श्री सुखलाल से) समय कम है इसलिये आप जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न करें ७ मिनट में आप समाप्त करें।

*श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बसंतसिंह जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं यदि प्रान्त में सिंचाई के साधन अच्छे रहें तो किसान की स्थिति बहुत सुधर सकती है। आज देश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखलाल]

अन्न संकट से गुजर रहा है और अच्छी सिंचाई होने से यह संकट शीघ्र ही टल जाय। श्रीमन्, हमेशा जब इस सिंचाई का बजट पेश किया जाता है तो बतलाया जाता है कि इस में बड़ा घाटा होता है। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि इस विभाग में जो घाटा होता है वह रेवेन्यू से नहीं है, बल्कि जो इस में इंजीनियर्स और ओवरसियर्स और एस० डी० ओ० होते हैं उनके द्वारा यह घाटा होता है इनके द्वारा इस विभाग में भ्रष्टाचार की दरार पड़ी हुई है।

मान्यवर, मैं बतलाऊं कि सिंचाई के साधन यद्यपि आप ने बहुत से जुटाये हैं लेकिन किसान को उस से कितना लाभ मिलता है यह देखने की बात है ट्यूबवेल नम्बर १८, जो लखनऊ का है तेल के बिना सिंचाई के समय २० दिन तक बंद रहा इसमें दोष किसका है यदि सवाल किया जाता है या प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आप उस आपरेटर पर हावी हो जाते हैं जिसका उस में कोई कसूर नहीं होता। एक ट्यूबवेल नम्बर १३, जो बख्शी के तालाब में है, उसमें मैंने देखा कि नाली से पानी बाहर निकल रहा है और उसमें विभाग ने आपरेटर की गलती समझ कर उसे एक महीने का नोटिस देकर बरखास्त कर दिया। आप सोचें कि नाली के बनने का भार किस पर था। योग साहब स्वयं समझ सकते हैं कि कसूर किस का था। मैं जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एस० डी० ओ०, ओवरसियर या इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। यही नहीं, एक ट्यूबवेल नम्बर २१ है, जो रबी की सिंचाई के समय से अब तक बिगड़ा पड़ा है। उसके लिये भी प्रार्थना की गयी, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां किसानों की सारी फसल नष्ट हो गयी। आप स्वयं सोचें कि जहां किसानों की ढाई तीन सौ एकड़ फसल सिंचाई के बिना नष्ट हो जाय, वहां किसानों की हालत क्या होगी।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने जिस समय आवाहन किया था कि हमारी एक इंच भूमि भी बिना बोयी नहीं रहनी चाहिये उस समय आदेश हुआ कि सारी गूलों को पक्का कर दिया जाना चाहिये। लेकिन क्या डाइरेक्टर महोदय ने देखा है कि किसी ट्यूबवेल पर भी एक फर्लांग से आगे की गूलें पक्की हैं? एक फर्लांग के बाद एक भी गूल ऐसी नहीं है कि जो पक्की हो उसका पानी इस कारण किसान के खेत तक नहीं पहुंच पाता। इस वर्ष भी गूलों के लिये प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन न कभी वहां ओवरसियर जाता है और न एस० डी० ओ० ही दौरा करते हैं लेकिन उन के बिगड़ जाने पर तुरन्त आपरेटर को बरखास्त कर दिया जाता है और उस पर दूसरी कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा लखनऊ जिले में हसनपुर व तहसील मोहनलालगंज में उससे शारदा कैनाल जाती है, लेकिन गत मार्च से वहां एक बूंद पानी नहीं गया है लोग वहां रबी की सिंचाई नहीं कर सके। टेल मुकुन्दखेरा के पास उसकी मरम्मत नहीं हुई उस नहर की सफाई पिछले तीन वर्ष से नहीं हुई है। यह सिंचाई विभाग की कार्य क्षमता है। ३, ४ साल तक नहर की सफाई न हो, उसे बनाया न जाय और अधिक अन्न उपजाओ का नारा लगाया जाय, उसकी डींग हांकी जाय, आप सोचिये कि किसान कैसे सफल हो सकते हैं? हमारे यहां एक नहर और है जिसके किनारे ४०० एकड़ भूमि उपजाऊ पड़ी हुई है और वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर काफी पैदावार हो सकती है। मैंने कई बार शिकायतें भी की मगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जो ट्यूबवेल हैं उनकी नालियां नहीं बनायी गयीं। ईंटा और सीमेन्ट आदि उनके बनाने के लिये पहुंचता है, मगर वह गायब हो जाता है और नालियां नहीं बन पाती हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल—

मैं समझता हूं बोलने का समय कम कर दिया जाय, ५ बजे तक ही यह हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह विषय बहुत महत्व का है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का समय बढ़ा है, माननीय मंत्री जी इसके लिये राजी हो जायं, काफी सदस्यों को बोलना है और दिलचस्पी है।

अनेक सदस्य—

आज समय बढ़ना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल—

जब पूरा सदन चाहता है कि समय बढ़ा दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उसका प्रश्न तो उपस्थित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, देश एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है। इसमें भी शक नहीं है कि हमारे यहां अन्न की कमी है। विदेशों से हमें अन्न मंगाना पड़ रहा है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि सरकार उसकी पूर्ति के लिये भरसक प्रयास कर रही है। आजादी के बाद सिंचाई विभाग ने भी इस ओर काफी ध्यान दिया है। आज प्रदेश में कोने-कोने में नहरों का जाल सा बिछ गया है। ट्यूब वैल लगाये हैं, कुयें बनाये हैं और रहट भी लगवाये हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जहां कहीं खामियां हों वहां अपना सुझाव दें। ऐसी हालत में मैं आपके सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि खासतौर पर अपने बलिया जिले के बारे में कि वहां पर १८ ब्लाक्स हैं। १७ ब्लाक्स में सरकार की तरफ से ट्यूबवैल और कुयें और रहट के द्वारा सिंचाई की काफी व्यवस्था हुई है इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बलिया के नवांनगर ब्लाक में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि जबकि जिले के कोने कोने में ट्यूबवैल के बंटवारे पर प्रत्येक ब्लाक में काफी ट्यूबवैल लगे हैं परन्तु नवांनगर ब्लाक में एक भी नहीं लगा है। मैं आपको बताऊं कि नवांनगर और पन्द्रह ब्लाक में एक नहर बनी है परन्तु वह भी नवांनगर ब्लाक के एक चौथाई हिस्से को सींचती है बाकी तीन चौथाई हिस्से की सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके सिलसिले में हमारा कर्त्तव्य है कि सरकार के उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और सरकार इस ओर कदम उठायें पर मुझे खेद है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार के उच्च अधिकारी इधर अपना ध्यान दें और नवांनगर ब्लाक जिसमें सिंचाई की व्यस्था नहीं हो पाई है उसको सिंचाई की सुविधा दिलवायें। मैंने लिखकर दिया है कि सिकन्दरपुरा, लिताकर, कठौड़ा, ठुकरा, मलवार, कुड़ीडीह, खड़ीपुर और डहांबिहरा बधुड़ी करसी जजौली आदि ऐसे गांव हैं जहां ट्यूबवेल लगाने की नितान्त आवश्यकता है। मैंने यह दरख्वास्त लिखकर मंत्री जी को दी थी। मंत्री जी ने आदेश जारी भी कर दिया है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग के उच्चाधिकारी

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूं इस दिशा में क्या हो रहा है जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं वे कहते हैं कि आप जिलाधीश महोदय से मिलें मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में असेम्बली में बार-बार क्वेश्चन किये हैं, कि वहां सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये मगर अभी तक वहां नहीं हो पायी तो वहां होनी चाहिये। बलिया जिले में सरकार की तरफ से कुछ कुओं की खुदाई की व्यवस्था हुई है।

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं।)

लेकिन कुएं ऐसे खुदे हैं जिनमें पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा यह सुझाव है कि सरकार किसानों को जो सहायता देती है पैसा न देकर तमाम ऐसे कुंओं की बोरिंग करा दे जिनमें पानी नहीं है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बहुत से ऐसे स्थानों पर किसानों ने प्राईवेट ट्यूब वैल लगाने की व्यवस्था की है सरकार से सहायता लेकर। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो प्राईवेट ट्यूब वैल लगाये गये हैं आज करीब डेढ़ दो वर्ष हो गये उन किसानों को आज तक बिजली प्राप्त नहीं हो सकी है। ताकि वह अपने ट्यूबवैलों को चला कर लाभ उठा सकते।

तीसरा सुझाव यह है कि बलिया जिले में हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जो तालाबों की है। उसमें रबी और खरीफ की फसल हो सकती है किन्तु उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। खरीफ की फसल पानी में डूब जाती है और रबी की फसल की बुआई पानी के कारण हो नहीं पाती। इस प्रकार से लाखों मन गल्ला बलिया जिले का बरबाद हो जाता है। मंत्री जी इन तालाबों की जांच करायें और बरसाती पानी के निकासी का प्रबंध करें तो लाखों मन गल्ला बढ़ाया जा सकता है।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि बलिया जिले में उत्तर की ओर डहा बिहरा गांव के पास नदी का कटान हो गया है। अब ऐसी हालत है कि थोड़ी सी बाढ़ आ गयी तो सारी बांसडीह तहसील बरबाद हो जायगी। यह प्रश्न छः साल से मैं सरकार के सामने रखता आ रहा हूं लेकिन खेद है कि सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार बांसडीह तहसील में एक दूसरा बांध था जो दो वर्ष हो गये टूट गया था और घाघरा का पानी बांसडीह तहसील में घुस गया और उसको बरबाद कर दिया। इसी प्रकार से अगर डहा बिहरा का बांध टूट गया तो फिर एक बार बांसडीह तहसील बरबाद हो जायगी। इसीलिये उसको दोबारा बरबाद होने से बचाने के लिये सरकार को इसे जल्दी से जल्दी बना देना चाहिये। अन्त में मैं और ज्यादा न कहकर मंत्री जी और उसके अधिकारियों से मांग करूंगा कि वे हमारे मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उनको पूरा करने की कृपा करें ताकि वहां कि जनता उनसे लाभ उठा सके।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में तीन योजनायें चली लेकिन अभी तक अन्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है और विदेशों से अन्न की भीख मांग रहा है। अगर यह काम योजनाबद्ध किया गया होता और किसानों को सिर्फ पानी ही ठीक तरह से दे दिया गया होता तो ऐसी हालत नहीं होती। न हमारे देश में लोग भूखों मरते और न दर दर विदेशों में अन्न भीख मांगने की ही आवश्यकता होती। और इसी प्रकार से हम अपने देश के मान और स्वाभिमान को भी बचा लेते। आज जो भी सिंचाई की योजना बनाई जाती है वह ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों के हाथ में चली जाती जो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करते रहते हैं।

बनारस जिले के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह क्षेत्र बड़ा उर्वरा क्षेत्र है। कभी वहां सूखा से फसल नहीं मारी जाती थी। लेकिन सन् ५२ में जब अहरौरा बांध वहां बनाया गया उस समय तब सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी थे। हमने उनसे कहा था कि अहरौरा बांध बन जाने

से पचोखर बंधी में पानी न जायगा जिसमें कि हजारों एकड़ जमीन में सूखा हो जायगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र की ठीक प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था कर दी जायगी। लेकिन आज सन् ५२ से ६६ हो गया उस क्षेत्र का बुरा हाल है और योजना के नाम पर हजारों और लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है परन्तु यहां लोग सूखा से परेशान हैं।

इसी प्रकार से आपने कड़ई नदी कटाव तथा गौरीताल आदि के पानी की निकासी की योजना बनाई। उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे समस्त क्षेत्रों में कोई योजना ठीक से कार्यान्वित नहीं हुई है। उक्त पानी का निकासी के लिये पहले प्रतापगढ़ फ्लड डिवीजन की एक योजना बनी, फिर वह योजना इर्रीगेशन डिवीजन में गई और फिर उसके बाद वह चन्द्रप्रभा डिवीजन में गई और फिर लौटकर फ्लड डिवीजन में पुनः आ गई और योजना बनी और फिर वह डिवीजन ही टूट गया और वह मूसाखंड में आ गई फिर वह पुनः चन्द्रप्रभा डिवीजन में आ गई अब यह इस योजना आर० एम० पी० में आ गई है। अब हजारों एकड़ जमीन जिसमें अन्न पैदा होता था इन भ्रष्ट इंजीनियरों के विभाग की देन है कि वह ऊसर हो रही है। उसमें से आधी जमीन तो डूब में चली गई है और आधी सूखा में चली गई है। अगर हम अपनी बात कहने के लिये इंजीनियरों का दरवाजा खटखटाते हैं तो जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब हैं उन को हमारी बात सुनने की फुरसत नहीं है। उनसे सवाल किया जाता है कि सर्वे पर इतना रुपया क्यों खर्च किया जाता है, "तो मालूम होता है कि वह उनका घर का पैसा है, उन्होंने आज तक इस बात पर नजर नहीं डाली कि जो किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है वह इस तरह से एक ही सर्वे के काम पर अलग-अलग दस डिवीजनों में क्यों खर्च किया गया। जब एक डिवीजन में सर्वे हुआ और फिर जब वह टूट गया तो फिर दूसरे डिवीजन में वह सर्वे के कागजात क्यों नहीं ट्रान्सफर किये गये और फिर नये डिवीजन में नये सिरे से सर्वे क्यों कराये गये। इस का उत्तर उनके पास नहीं है। मैंने इसकी डिप्टी मिनिस्टर शान्तिप्रपन्न शर्मा जी से इसकी लिखित और मौखिक शिकायत की एक बार नहीं दस बार लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो सिंचाई विभाग में कोई दखल नहीं दे सकता। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनका यह विभाग ऐसा लुंज पुंज है और उसमें इतना भ्रष्टाचार है। हमारे यहां बनारस जिले में एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं बजाज साहब जिनके पास सौ जोड़ी जूते हैं, वह पैसों भ्रष्ट हैं और लाखों रुपया उनके पास है। गाजीपुर में उनके जमाने में ५० गांव कागज पर ऊंचे किये गये। उसकी इन्क्वायरी की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह कहते हैं कि पूर्वी जिले वाले बेवकूफ हैं उन के ऊपर जैसे चाहो शासन करो मौज उड़ाओ। ऐसे इंजीनियर हैं कि उनकी शिकायत करो तो कोई सुनता नहीं। जो इंजीनियर इस तरह से ऐशोइशरत में फूले हैं उन से क्या प्रदेश का कल्याण हो सकता है, ऐसा मालुम होता है कि उन के ऊपर कोई कंट्रोल किसी का है ही नहीं। वह फर्जी मस्टर रोल बनाते हैं और फर्जी योजनायें बनाकर पैसा वसूल करते हैं और समझते हैं कि हमारा कोई क्या कर सकता है। इसी से क्या देश का कल्याण होगा ?

आप किसान को खाद देते हैं, अच्छा बीज देते हैं और तमाम सुविधायें देते हैं, लेकिन पानी के बिना सब चीजें बेकार हो रही हैं, जब तक आप उसे पानी की सुविधा नहीं देंगे कुछ लाभ न होगा। माननीय गेंदासिंह जी कहते हैं कि चौथी योजना में अन्न में अगर यह प्रदेश आत्म निर्भर न होगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वह लौटकर ही कब आने वाले हैं, अगर आपकी हालत यही रही तो आज तो लुटिया इनकी डूब रही है यह सारे देश को डुबो देंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अभी से ऐसे लुंजपुंज विभाग पर अपना कड़ा नियंत्रण अब तो रखना शुरू करें। आज अधिकारी सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उन को आप ठीक से काम करने के लिये मजबूर करें। नहरें खोदी जाती हैं और पुनः पाट दी जाती हैं और फिर खोदी जाती हैं। अगर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो कहा जाता है कि योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। अंग्रेजी जमाने

[श्री उमाशंकर तिवारी]

में जब अंग्रेज इंजीनियर होते थे उनसे हमारा साबका पड़ा है, हमारे क्षेत्र में पहले नहर नहीं थी बन्धियां और ताल थे लेकिन जब बाढ़ आती थी तो वह जनता से सम्पर्क रखते थे लेकिन आज कोई एस० डी० ओ० मौके पर नहीं जाता, वह दफ्तर में बैठे काम किया करते हैं। और बैठे बैठे कार्यालयों में काम करते हैं। उनका कमीशन, जो ठेके दारों से बंधा हुआ है, मिलता जाता है। मुगलसराय में गंदे पानी के निकालने के लिये कागज पर एक नाला बन गया। ३-३ एक्जीक्युटिव इंजीनियर को लिखा परन्तु जांच करने न गये, वहां के कलेक्टर ने लिखा लेकिन कोई देखने नहीं गया कि वह गंदा नाला कहां पर बना हुआ है। ठीक यह उसी प्रकार होता है कि यदि एक गांव का सांड़ एक गांव में फसल का नुकसान करने लगता है तो उसे दूसरे गांव में छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से एक गांव का पानी दूसरे गांव में छोड़ दिया जाता है। यह नहीं सोचा जाता है कि इससे दूसरे गांव में क्या नुकसान होगा, वहां की फसल बरबाद होगी। इस तरह की योजनायें अगर आपकी बनेंगी और चलेंगी तो काम नहीं चलने वाला है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेरे क्षेत्र में बड़ा मुश्किल से २ ट्यूबवैल मिल पाये। आज जिले के ब्लाक प्रस्ताव करते हैं, जिला परिषदें प्रस्ताव करती हैं लेकिन आपके भ्रष्ट अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जिनसे उनको पैसा मिलता है, वे नहीं पर ट्यूबवैल बनायेंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि पानी देगा या नहीं देगा, कितनी सिचाई होगी, वहां पर कितनी ऊंची जमीन है कितनी नीची जमीन है। उनको तो डालो मिलनी चाहिये। उन्हें किसी के प्रस्ताव से कोई ताल्लुक नहीं है चाहे जिला परिषद् करे, चाहे आपके ब्लाक्स करें। इस प्रकार से आपकी योजनायें काम कर रही हैं। मैं तो इसको भुक्तभोगी हूं। आपकी सिचाई विभाग वाले लोग ऐसा नहीं करते थे कि एक गड्ढे को पाटने के लिये दूसरी जगह एक और गड्ढा कर देते हैं। आज हजारों एकड़ हमारे क्षेत्र में ऐसी भूमि हैं कि जिसमें २० सौ मन प्रति एकड़ गेहूं पैदा होता था लेकिन आज वहां के किसान सूखे के कारण त्रस्त हैं। तवारीख है कि वहां पर कभी भी सूखा नहीं पड़ा है और कभी भी वहां पर फसल नहीं मारी गयी लेकिन आज वहां पर भी ऐसी हालत है कि वहां पर सूखे से सूखा पड़ा हुआ है। जब सरकार का ध्यान उधर की ओर आकर्षित किया जाता है तो कहते हैं पानी नहीं है। हमारे यहां का पानी दूसरी जगह दे दिया जाता है और हमारा क्षेत्र सूखे से बरबाद हो रहा है। अभी अभी हमारे दल के सदस्य ने कहा है कि मथुरा जिले में मांड एक तहसील है। जहां से पानी बराबर निकलता है। पर उस पानी को निकलवाने की कोई योजना नहीं है। पानी की वजह से वहां पर आधी फसल बरबाद होती है। वहां पर केवल एक फसल ही हो पाती है रबी की लेकिन अगर वहां से पानी निकलवाने की कोई व्यवस्था कर दी जाय तो वह इलाका भी खुशहाल हो जाय।

आपके चीफ इंजीनियर श्री जे० एस० गुप्ता साहब से बनारस जिले की स्थिति के बारे में फरवरी के महीने में मिला और मैंने उनसे कहा कि हमने एक योजना बनायी है तो उन्होंने कहा कि आप बनारस आइये। मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप अपने प्रोग्राम से हमें भी सूचित कर दीजिये लेकिन ऐसा प्रतीत होती है कि वे शायद भूल गये और उनका कोई प्रोग्राम हमें नहीं मिला। फिर मैं उनसे कल मिला तो उन्होंने कहा कि आप मुझे २८ तारीख को मिलिए मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो यह हालत है आपके विभाग की और उसके अधिकारियों की। हमारे किसानों की गाढी कमाई से उन्हें लम्बी लम्बी तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन उनकी बातों को सुनने के लिये उनके पास समय नहीं है, उन्हें फुर्सत नहीं है। हजारों रुपये के टी० ए० और डी० ए० में पैदा कर लेते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो भ्रष्ट और बेईमान इजीनियरों हैं, उनके ऊपर कड़ाई से नियंत्रण करें ताकि सही मायने में हमारा सिंचाई विभाग उन्नति करे, जिससे हमारी फसलें अच्छी हों और जो विदेशों से गल्ला की भीख मांग रहे हैं, वह समाप्त हो।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अधिष्ठाता महोदय, किस हृदय से मैं आपको धन्यवाद दूं कि मुद्दत के बाद आपने मेरे ऊपर दया करके मुझे मौका दिया। उसका मैं हजार, हजार शुक्रिया अदा करता हूं और आगे अब मौका न मिलेगा इसको भी पूरी आशा है। मुझे उत्तर प्रदेश के सम्बंध में सब बातें स्वीकार हैं माननीय मंत्री जी को, और जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हरदोई जिले को निकाल करके पूरे हृदय से समर्थन करता हूं और प्रशंसा करता हूं मन्त्री जी को कि बदकिस्मत जिला हरदोई का नाम उनकी अनुदान की सड़क पर भी न निकला। यह तीसरी योजना का आखिरी साल है। सन् १९६६-१९६७ कृषि वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया। इसके बाद चौथी योजना शुरू होगी। हालत हमारी खराब है। बदकिस्मती है अवध की, और उसमें भी हरदोई बदकिस्मत है। तीन योजनायें पूरी हो चुकी हैं हरदोई जिले के नाम पर मंत्री जी पुराना पूरा रेकार्ड देख लें कि कितना पैसा सिंचाई विभाग ने इस हरदोई बदकिस्मत जिले के ऊपर लगाया। इतना बड़ा जिला है इन १७ वर्षों में इस जिले पर नहीं के बराबर रुपया लगा है। कारण क्या है कि सारी दौलत पश्चिम में, पूर्व में ही खर्च की जाती है। और बीच के जो जिले हैं हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, उन पर कुछ नहीं। इन्होंने किसान आन्दोलन में इन जिलों ने इस प्रदेश में और देश में हाहाकार मचाया है, ताल्लुकेदारों का मुकाबला किया, किसान आन्दोलन में बड़े बड़े ताल्लुकेदारों को चूलें हिला दी हैं, कांग्रेस के तिरंगे की इज्जत बढ़ायी है और उसका अंजाम हमें यह मिल रहा है कि इन जिलों का नाम किन्हीं योजनाओं में आज तक शामिल नहीं है। अगर कहीं भी ये बदकिस्मत जिले किसी योजना में शामिल हों तो उत्तर प्रदेश सरकार हमको बता दे।

विकास और निर्माण का स्वागत है। एक मोटी मिसाल में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे यहां एक हथौड़ा ड्रेन बहती थी, अकेली ड्रेन थी। विकास हुआ ८ ड्रेनें उसमें जोड़ दी गईं। १० वर्षों से बराबर हरदोई जिले के ४० गांवों की जनता परेशान है। जब माननीय कमलापति त्रिपाठी मंत्री थे १९५६ में उनको मौके पर ले जाकर दिखाया। तब से १९६० तक १० साल हो गये, एक ड्रेन में ८ ड्रेनें जोड़ दी गईं। गंगा का सैलाब एक किनारे है, हथौड़ा ड्रेन का सैलाब हजारों परिवारों को चकनाचूर किये हुए है लेकिन उत्तर प्रदेश का नहर विभाग आज तक पानी नहीं निकाल सका। ४० गांवों की जनता भूख से कराहती है। विकास और निर्माण के नाम पर खून के आंसू बहाती है और मैं बार-बार कहते कहते सरकार से, इंजीनियर्स से आजिज आ गया हूं, मैं फेल हो गया, नाकारा, नाकामयाब और निकम्मा इनसान साबित हो गया। ४० गांवों की गरीब जनता, जो हथौड़ा ड्रेन में ८ ड्रेनों को डाल दिया गया, उसका आउट फाल न बनवा सकी। और पता नहीं कितने १० वर्ष और लगेंगे इस आउट फाल के बनने में। यह कृषि वर्ष हैं, २० हजार एकड़ जमीन जलमग्न हुई हैं एक इलाका सफल हुआ और मेरा बदकिस्मत इलाका पानी में डूब गया। दूसरी बात यह है कि पश्चिम तथा पूर्व के ट्यूबवेल्स का हिसाब ले लिया जाय। उन्नाव, हरदोई रायबरेली तथा प्रतापगढ़ में कितने ट्यूबवेल्स हैं? क्या वजह है न बनने की क्या हम लगान नहीं देते? क्या हमको सिंचाई की जरूरत नहीं है? हमारे यहां ९ फीसदी एरिया सिंचित है। क्या कारण है कि हमारे यहां सिंचाई और नहीं बढ़ाई गयी? इसलिये कि हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्री महोदय से इसलिये मेरा निवेदन है कि वह गरीबों के रक्षक हैं, हरदोई जिला बड़ा गरीब है, उसकी वह रक्षा करें। बड़ी मुश्किल से हरदोई जिले को १० ट्यूबवेल्स मिले थे। आज कल मिस्टर सरकार हैं इस सरकार के खुदा हैं। बी० बी० लाल के जाने के बाद एक ऐसे तानाशाह के पाले यह विभाग पड़ गया है कि जहां इंसान की कोई समाप्रत नहीं है उन प्रतिनिधियों को जहां पर म्युनिसिपैलिटी के मेहतर के बराबर हैसियत नहीं है।

[श्री बे० पी० मिश्र]

माननीय मुख्य मंत्री जी से जब कहा मैंने, तो १० में से ५ कट गये और ५ रह गये। ५ में गड्ढे खुदे हैं लेकिन पानी से मतलब नहीं। माननीय मंत्री जी के रहमोकरम के बिना हमारा किसी तरह से उद्धार नहीं हो सकता। माननीय शर्मा जी ने पश्चिम और पूर्व को बिजली के कनेक्शंस से मालामाल कर दिया। हमको १४ कनेक्शंस १४ अप्रैल ६४ को स्वीकृत किये गये। उन कुवों में बोरिंग हो चुकी है और आज तक २२ महीने हो गये उनको कनेक्शन नहीं मिल पाये। माधोगंज और मल्लावां ब्लाक में १५० बोरिंग हैं, सरकार कर्जा दे चुकी है और दे रही है लेकिन बिजली सड़क पर नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में हमारा इलाका शामिल हैं, तो हमको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिये। पूर्व में पटेल कमीशन और पश्चिम में पौन दर्जन मिनिस्टर्स कमीशन हैं। हमारा भी उद्धार होना चाहिये। नतीजा यह है कि हमारे यहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है हालांकि अन्न के उत्पादन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। नतीजा यह है कि उन्नाव और हरदोई जिला बदमाशों, डकैती और भुखमरी का अड्डा बन गया है। भूखे भजन न होये गोपाला, बाबा लो कंठोमाला। अच्छा है कि हरदोई जिले को मंत्री आपके देहरादून से बदल दिया जाय, हमारी गरीबी पर तरस खाया जाय, हमको बिजली दी जाय और हमारा हरदोई जिला योजना में शामिल किया जाय। मुझे आशा है कि हरदोई जिला इस कृषि वर्ष ६६-६७ में कहीं न कहीं जोड़ दिया जायगा। १०, ५ ट्यूबवेल वहां बन जायेंगे। जलमग्न एरिया की समस्या हल हो जायगी माइनर्स बढ़ाये जायेंगे और सिंचाई का पूरा प्रबन्ध किया जायेगा। तब मेरी शिकायत दूर होगी।

*श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज मैंने पूरे दिन सिंचाई विभाग की बहस सुनी। यों तो रोज ही सरकार के सारे महकमों के बारे में भ्रष्टाचार और गलत काम की शिकायत सुनते हैं। असल में इस सरकार के पुलिस, सहकारिता सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग सबसे ज्यादा बदनाम महकमे हैं। अगर सरकार इसको न माने तो मुझे हठधर्मी नहीं करनी है। मैं परसों गंगाप्रसाद मेमोरियल हाल में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के बीच में भाषण कर रहा था। मेरे साथ डाक्टर अहमद और ७-८ एम० एल० एज० थे। आपकी जो पे कमेटी की रिपोर्ट है उसमें देखें कि आपरेटर, पतरौल, मिस्त्री और एस० डी० ओ० तथा राजस्व विभाग के लेखपाल से लेकर हाकिम परगना तक को तनख्वाहों में असमानता है। बड़ा विद्रोह उनके दिमाग में है और उन्होंने फैसला किया है कि वे शायद काम बन्द करेंगे। बिजली वाले कर्मचारियों का भी जत्था होने वाला है। वे भी काम बन्द करने की बात सोच रहे हैं। अगर आपके विभाग के कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया तो आपके विभाग को बड़ी दुर्दशा होगी। मैं आपको सूचना देता हूं कि आप इससे लाभ उठाय और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये कोई कसर न उठा रखें। उनको मांग है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उनका शोषण करता है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के नाते वे कलेक्टर के अधीन रखने की बात कर रहे हैं। आप उनको तकलीफों को सुनें वरना प्रदेश में खतरे की घंटी बजने वाली है। उनका मामूली संगठन नहीं है।

अब मैं आपके जरिये प्रदेश की सिंचाई की बात कर रहा हूं। चीफ इंजीनियर से लेकर नीचे तक का ढांचा एक अजीब किस्म का है। इस विभाग की सारी नौकरशाही ऐसी है कि कोई भी चीज लिख कर दें तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मंत्री जी कुछ लिखकर दें तो उस पर तो आर्डर हो जाता है लेकिन चीफ इंजीनियर से लेकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कुछ लिखकर दें तो मामूली कुलाबे के ट्रांसफर में ६ महीने का समय लग जाता है। ऐसा मथुरा और पश्चिमी जिलों में होता है। मेरे विभाग में पूर्व, पश्चिम और मध्य जिलों की बात नहीं रहती है। हमारे क्षेत्र में मंत्री जी गये थे तो मैंने जनता के द्वारा कहलवाया और खुद भी कहा था कि १०० में से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६० परसेन्ट हम प्रदेश को देते हैं और उसका हमें केवल ४० परसेन्ट रिटर्न मिलता है। फिर भी कहा जाता है कि पश्चिमी जिलों में ही सब कुछ किया जाता है। यह ठीक नहीं है। यह बात दूसरी है कि पूर्वी जिले गरीब हैं। मैं देवरिया, गोरखपुर वगैरह सभी जगह गया हूं। दिल्ली को सरकार को मदद करनी चाहिए। लेकिन हो तो यह है कि पश्चिम और पूर्व के वितंडावाद में सिंचाई का सारा मामला खराब होता चला जा रहा है— हम आपसे कहें कि अभी हमारे जिले में १८ साल से बड़ी भारी गर्की है। जब जब हम इस हाउस में अपने जिलों में गर्की के कारण दुर्दशा का जिक्र करते थे तो लोग हंसते थे, लोग गर्की समझ ही नहीं पाते थे कि क्या चीज यह है। अब जाकर हमारे उग्रसेन जो समझे हैं गर्की क्या चीज है। इनके यहां तो बाढ़ की बात चलती है, इसलिये यह गर्की को नहीं समझ थे अब देख लिया है कि समझ पाये हैं कि इससे हमारे यहां क्या दुर्दशा खेतों की और किसानों की होती है। गर्की का कारण जहां बरसात में पानी पड़ा वहां पर नीचे से जमीन भी पानी उगलने लगती है। मथुरा जिले में आधे से भी ज्यादा फसल गर्की के कारण खराब जाती है, किन्तु वहां पर इसके लिये कोई भी प्रकार की छूट या माफी सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। कोई वसूली नहीं रुकती, उन पर जरा भी रहम नहीं किया जाता है, पूरे के पूरे टैक्स वसूल किये जाते हैं। इस गर्की को समस्या से छुटकारा पाने के लिये हमने बराबर कलेक्टर को मंत्री को और जिला परिषद् के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिये हैं, प्रार्थना की है, लेकिन कोई भी परिणाम फलदायक नहीं निकला है। अप्रैल, मई और जून तक आप बिलकुल शान्त रहिये, जुलाई अगस्त में बिल्कुल शोर मचता है पानी आ गया, पानी आ गया, जहां पानी बरसा, पंजाब से पानी आ जाता है, हजारों गांव बर्बाद हो जाते हैं, हमारा गोवर्धन क्षेत्र पानी से लहलहा उठता है, लक्खीसिंह जी को छोटा तहसील टापू मालूम पड़ने लगता है। आपके अफसरों को और चीफ इंजीनियर को कोई भी वहां की स्थिति का ज्ञान नहीं है।

पहले हमारे यहां श्री गुप्ता जी एक बड़े एक्टिव एस० ई० थे जिनका आपने मेरे यहां आने के एक दो महीने के बाद वहां से ट्रांसफर कर दिया है, उनके द्वारा मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा कराया, सर्वे कराया, और उसका यह परिणाम हुआ कि हमारे क्षेत्र में ४२ मील में ड्रेन्स कागज पर बनाई गयी थीं। किन्तु उनमें से १२ मील क्षेत्र में ही ड्रेनें बनीं और बाकी सन् ६२ से लेकर अभी तक पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके आगे ड्रेनें नहीं बनीं जब हमारे क्षेत्र में माननीय सिंचाई मंत्री जी गये तो वहां के लोगों ने जब आपसे ड्रेनों के लिये कहा, तो मंत्री जी ने कहा कर्जा दो तो हम कर सकते हैं। तो लोग सरकार को कहां से कर्ज दें आपको बजट बोर्ड ने काफी इन कार्यों के लिये खर्च दिया। इससे कुछ गोवर्धन क्षेत्र में काम भी हुआ लेकिन अब भी तीन चार खोदने को बकाया हैं। नीमगांव एरिया में १७-१८ गांव बिलकुल परेशान हैं, पम्प लगाकर पानी घटाते हैं, निकालते हैं और उसके बाद भी कोई समस्या हल नहीं होती है मैं आपको मार्च में ही बता रहा हूं कि अप्रैल, मई व जून महीने—इन तीन महिनों में यदि आप मथुरा की हालत सुधार दें, तो बड़ा अच्छा हो। मैं आपसे यह नहीं कहता हूं कि आप इन तीन महीनों के लिये कोई नई परियोजना वहां के लिये बनाएं और उसे कार्यान्वित करें। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं कि जिला परिषद्, कलेक्टर और इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जितना प्लान कागज पर इस संबंध में बनाकर रख दिए हैं, उसे ही यदि आप पूरी तरह से बनवा दें, कार्य रूप में परिणित करा दें तो काफी मथुरा जिले की समस्या हल हो जायगी। पार साल मैं चीफ इंजीनियर से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इन कामों के लये काफी रुपया है, लेकिन अब जब मिला तो कहते हैं कि अब रुपया नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब कोई काम हुआ नहीं तो रुपया कहां चला गया। जो भी हो, इस साल आप उसकी पेंक्शन करके सारी ड्रेन खुदवा दें और यदि ऐसा कर देंगे तो काफी समस्या हल हो जायगी। गोवर्धन ड्रेन आपकी अधूरी पड़ी हुई है। हम अबकी बार अपने यहां का पानी मांगे, लेकिन पंजाब को

[श्री राधेश्याम शर्मा]

पानी कहां तक भोगें, जो कि ५०–६० मील तक चला आता है। माननीय शान्ति स्वरूप शर्मा जी ने कहा कि इसके लिये ४–५ लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े शासन के लिये ४–५ लाख रुपया इतने बड़े काम के लिये कौन सी बात है। यदि आप यह कर दें तो आपको अन्न की बढ़ोत्तरी मिलेगी कमी नहीं। मेरे एक भाई ने पश्चिमी नहरों की हालत सामने रखी। मेरे यहां एक मांट ब्रांच है। उसकी शाखा और मांट ब्रांच खुद पूरे साल सूखी पड़ी रहीं। कहीं भी पानी मिल नहीं पाया तो लोगों में हाहाकार मचा। जब पलेवा का वक्त आयेगा तब फिर पानी नहीं मिलेगा। सिंचाई योजना की बड़ी डींग मारी जाती है। माननीय राममूर्ति जी ने बतलाया था कि १ करोड़ रुपये की योजना मथुरा जिले के लिये बनायी गयी है और २५० सिंचाई के कुवें बनाने की योजना है लेकिन मेरा दावा है कि वह सिर्फ सरकार के कागज पर ही है। मेरा ख्याल है कि एक करोड़ रुपये में ६० लाख रुपया मुश्किल से काश्तकारों को मिल पाया कर्जा और ४० लाख रुपया तमाम कर्मचारी वर्ग ही खा गया। इसका प्रमाण हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के एक जलसे में जनता ने दिया और उसने कहा कि ५ हजार रुपये में साढे ३ हजार रुपया मुश्किल से काश्तकारों को मिल पाती है और काश्तकार जो इंजन खरीदते हैं, उसमें भी कर्मचारियों की दूकानदार से साठगांठ रहती है और उसमें भी वे रुपया कमाते हैं। इसलिये मैं ईमानदारी के साथ आपसे कहता हूं कि आप पूरे मथुरा जिले की सर्वे करावें और फ्लड बोर्ड से मथुरा जिले को रुपया दिला कर वहां की समस्या का हल निकालें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक सिंचाई का संबंध है, इसके ऊपर जो विवाद हुए उनको मैं अच्छी तरह सुनता रहा। यदि हम तमाम देश की प्रगति को देखें तो जहां उसके अनुपात में हम और विषयों में, उद्योग धंधे में, उत्पादन में, आय में अखिल भारतीय स्तर पर पीछे हैं वहां सिंचाई के संबंध में हमारी प्रगति अखिल भारतीय स्तर पर आगे है। मैंने पिछली बार कुछ आंकड़े रखे थे, उन आंकड़ों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। श्री रियासत हुसैन साहब ने कहा कि हमारी प्रगति कम हुई है लेकिन मेरे हिसाब से सिंचाई में समूचे देश में सन १९५०–५१ से लेकर १९६०–६१ तक जहां ३६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां हमारे उत्तर प्रदेश में ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको आप इस तरह से देखें कि समूचे देश में १९५०–५१ में सिंचित क्षेत्र ५१.५ मिलियन एकड़ था जो ६०–६१ में जाकर ७० मिलियन एकड़ हो गया। इस तरह से वह ३६ प्रतिशत होता है। हमारे प्रदेश में ५०–५१ में ७३ लाख एकड़ था जो बढ़कर १ व १.३८ एकड़ हो गया और इस तरह से हमारा प्रतिशत ज्यादा है। इसके बाद भी यदि हम देखें तो बाद के ५ वर्षों में जहां समूचे देश का प्रतिशत २९ रहा वहां हमारे यहां ४३ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस तरह से मैं नहीं समझता कि समूचे देश के अनुपात में हमारे प्रदेश में कमी हुई है। इसके साथ यह बात भी है कि प्रायः ऐसा होता है कि हमारी सिंचित क्षमता जितनी होती है उसका उपयोग नहीं होता है। हमारे प्रदेश में एक यह भी बात है कि सिंचित क्षमता के उपयोग में जो अन्तर था वह पहले से कम हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह अन्तर जहां ४.३८ था वह तीसरी योजना के वर्ष ६५–६६ में २.८८ हो गया। तो यह अच्छी बात है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के संबंध में जो लक्ष्य था उसके अलावा ३ करोड़ रुपया और व्यय किया गया, तो इस माने में हमें स्वीकार करना चाहिये कि भले ही हमारा सरकार ने बहुत से मामले में, बहुत से विभागों में समूचे देश के अनुपात में उन्नति कम की है लेकिन सिंचाई के मामले में कम नहीं है।

इस समय हमारे प्रदेश में फसल क्षेत्र का कुल २५ प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है जिसमें १३ प्रतिशत सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई होती है। इस विभाग की प्रगति में थोड़ी सी रुकावट है हमारी सिंचाई के साधनों में एक विशेष विभाग ट्यूबवेल्स का है। ट्यूबवेल्स विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही पुराना विभाग है। मैंने अच्छी तरह से पढ़ने और देखने की कोशिश की। एक यह रिपोर्ट है केन्द्रीय सरकार की माइनर इर्रीगेशन टीम की जिसका नाम रिपोर्ट

आन स्टेट ट्यूबवेल्स इन उत्तर प्रदेश है। इसमें कई सिफारिशें की गई हैं। यह रिपोर्ट १९६१ की है। इसमें ट्यूबवेल के संबंध में फीगर दिये गये हैं हमारे यहां १९४७ से जो ट्यू वेल लगाये गये वे सब नुकसान में होते चले जा रहे हैं ट्यूबवेल नुकसान में जा सक.ा है। मैं यह मानता हूं। मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसा विभाग है जो कमाने का विभाग नहीं है। जो योजना हमारे विकास में सहायता करे उसमें हानि हो सकती है लेकिन जो प्रगति इसमें है वह आंकड़े में आपके सामने रखना चाहता हूं। १९४६-४७ में ट्यूबवेल पर हमारा नुकसान १५,७८,५५३ रुपये था वह १९५०-५१ में ६,८४,५२४ रुपये रह गया। यह जरूरी नहीं रहा कि वह नुकसान बढ़ता रहे। अगर वह बढ़ता हो तो मैं कह सकता हूं कि वह ठीक नहीं कर सकते थे। उसके बाद १९५५-५६ में वह १,०१,५२,५३५ रुपये हो गया और १९५८-५९ में वह २,१६,८३,१२९ रुपये हो गया। हमने इस बात को नहीं देखा कि इसका क्या कारण है लेकिन हमारी यह इत्तिला है कि यह हानि बराबर होती चली आई। श्रीमन्, बजट को देखने से ज्ञात होगा कि ट्यूबवेल कुछ उत्पादक है और कुछ अनुत्पादक। मैंने इसमें संबंधित इंजीनियरों से बात की तो पता ल.ा कि अब कम अनुत्पादक होते जा रहे हैं। कदाचित अब यह विभाग अनुत्पादक ही कर दिया गया है। यह आशा है कि आगे चलकर हमारे ट्यूववेल्स और अधिक नुकसान देने वाले हो जायेंगे। यह ऐसी परिस्थिति है जिस पर हमको विचार करना है। इसी विषय में इस रिपोर्ट में लिखा है कि:-

"A reference to this chronological list will indicate that the scheme sanctioned in later years, more particularly pertaining to the eastern districts of the State show a minus net revenue return.

जो बाद के सालों में स्कीम बनाई गई व. यह खासतौर से पूर्वी जिलों के संबंध में बनाये गये और उनमें हानि हुई है। मैं किसी प्रकार से यह नहीं कह सकता हूं कि पूर्वी जिलों का पूरा विकास न हो और पूर्वी जिलों में धन न लगाया जाय। बहरहाल प्रदेश के सभी हिस्सों में प्रगति होनी चाहिये। इसमें पूर्व और पच्छिम का सवाल नहीं होना चाहिये। इसमें कहीं पर ग.लती है इसको देखना होगा।

"I also indicate that the area of irrigation per tube-well diminishes from west to east being 427 acres in the west, 320 in the central region and 311 acres in the eastern regions."

यानी एक ट्यूबवेल पर जो सिंचित क्षेत्र है वह सिंचित क्षेत्र घटता चला जाता है। पच्छिम में वह ४२७ एकड़ है पूर्वी रीजन में वह ३११ एकड़ है और बीच के रीजन में वह ३२० एकड़ है। इसके ऊपर सोचना चाहिये कि ट्यूबवेल्स बनते हैं तो नुकसान न उठाना पड़े। पूर्व में जो ट्यूववैल बने हैं उनमें सरकार को हानि न उठ.नी पड़े यह सोचने की बात है। यह रिपोर्ट १९६१ में छपी है परन्तु आज तक सरकार ने इसके संबंध में क्या उत्तर दिया है यह देखने को मुझे नहीं मिला कि इसको ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

मैं इसी सिलसिले में एक और उद्धरण देना चाहता हूं। अभी ट्यूबवेल के विषय में जो मैंने बात कही उसका मुझे भी अनुभव है। इसमें लिखा है कि :

"Firstly water is allowed in quantities larger than necessary at one or two points in a field leading to erosion and flooding. It would seem advantageous if water is allowed into the fields at many points so as to enable uniform distribution of supplies over the entire area."

ट्यूबवेल से खेत में पानी जाता है तो वह पानी काटता चला जाता है। इसको देखना चाहिये कि पानी इस प्रकार से दें कि वह काटे नहीं, खेत में फैले।

[श्री जगदीश प्रसाद]

महोदया, मैं ने इस प्रदेश के बांध और नहरों का निरीक्षण भी किया है और मैं इन नतीजे पर पहुंचा हूं कि जहां तक बांधों और नहरों का सम्बन्ध है, उनसे हमको सन्तोष ही हुआ। यह बात नहीं है कि काम ठीक ढंग से हो रहा है कमियां हैं, मैं भी बहुत सी कमियां निकाल सकता हूं कि यह ठीक नहीं हुआ, वहां धपया खाया गया और मैं ने वहां यह बातें रखी भी हैं। परन्तु अगर औसत निकाल कर हम देखें तो काम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ट्यूबवेल का काम असन्तोषजनक है। ट्यूबवेल के सम्बन्ध में एक बात और कहूंगा। कल शिवराज जी कह रहे थे कि अगर सरकारी ट्यूबवेल के पास ही प्राइवेट ट्यूबवेल लगाये जाने की बात हो तो आप उसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर प्राइवेट ट्यूबवेल से सरकारी ट्यूबवेल को नुकसान हो तो उसे नहीं लगने देना चाहिये, लेकिन यह सोचना भी है। और ऐसा तभी होना चाहिये कि जब आप उस इलाके की आवश्यकता को पूरा कर सकें। आप कह दें कि जितने क्षेत्र के लिये हमने ट्यूबवेल लगाया है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हम करेंगे, वरना आप को दूसरा ट्यूबवेल लगाने की इजाजत देनी चाहिये।

बांधों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुमरिया बांध का एक्सटेंशन हो रहा है। इसमें २८५५ मि० घनफुट पानी बढ़ाने के लिये अब २५४.१५ लाख रुपया और व्यय करने जा रहे हैं। मैंने जाकर देखा कि उसमें जितने पानी की क्षमता पहले थी उतना भी पानी उसमें नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मैंने वहां के इंजीनियरों से बात की, ऐसा कोई इन्तजाम हो नहीं रहा है कि भविष्य में पानी वहां बढ़ जाय। मैं समझता हूं कि उसका एक्सटेंशन ज्यादा उपयोगी न होगा। एक बात हो सकती है कि आप उसे किसी योजना से मिला दें संभव है कि उसका पूरा उपयोग हो जाय।

महोदया, मैं इस अवसर का उपयोग अपने जिले की एक विशेष समस्या को सामने रखने में करना चाहता हूं। मैं १९५२ में इस विधान सभा में आया था और उसके बाद मैंने कई बार उसका जिक्र किया। उसके लिये प्रश्न भी किये, ध्यान भी दिलाया, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। हसनपुर तहसील में ४२ मील गंगा का किनारा है और उसका फायदा भाग गंगा के किनारे से नीचा है। यदि गंगा में थोड़ा पानी भी बढ़ जाता है तो तहसील में पानी आ जाता है। लगातार इस बात की कोशिश की गयी कि उस ओर बांध बना दिया जाय। उसके लिये विभाग द्वारा सर्वे भी कराया गया, उसका २४ लाख का इस्टीमेट था। मैंने कहा कि ८ लाख रुपया यहां हो सकता है कुछ मैं श्रमदान से करा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा वहां ८,००० हल हैं। यदि आप सौ रुपया फी हल कर्जा दे दें तो ८ लाख हो जायगा। मैं यह काम करा सकता हूं और यह बांध बनने के बाद वह रुपया आप वापस ले सकते हैं, लेकिन वह नहीं किया गया। हर साल वहां आपको लगान माफ करना पड़ता है, तकावी देनी पड़ती है और फसल की बर्बादी होती है।

इसके अलावा आपका नरौरा का बैराज बन रहा है। उसे भी मैंने स्टेडी किया। उसका लेबिल ६ फीट नीचा हो रहा है। संभव है बाढ़ के समय उससे कुछ सुविधा मिले। मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहले के सिंचाई मंत्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और वे संतुष्ट हो गये थे कि वहां के लिये कुछ होना जरूरी है। आपके पास का जिला है। आप वहां की परिस्थिति जानते हैं। यदि वहां बांध न बने तो गंगा चार, पांच जगह कट गयी हैं जिससे गंगा का पानी बीच में आ जाता है और तहसील डूबे में आ जाती है। अगर उन चार, पांच स्थानों को आप बन्द करा दें तो बड़ा काफी क्षेत्र बच सकता है। एक बार सरकार से आदेश हुआ था कि उसको बन्द कर दिया जाय। मैंने कहा था कि अगर उसे बन्द करा दें तो दस हजार रुपया चन्दा मैं करा सकता हूं। इंजीनियर साहब के पास जब आदेश पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आप दस हजार रुपया कब जमा कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि मानो वह रुपया मेरी जेब में रखा हो। मैंने कहा कि आप काम शुरू करा दें तो मैं रुपया जमा करके दे दूंगा।

यदि में यह रुपया इकट्ठा कर के जमा कर भी दिया होता तो वह रुपया तो पड़ जाता और कदाचित कार्य वर्षों न होता इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके एजेंडे में हमारा नाम है इस पर बोलने के लिए और पार्टी के सचेतक ने हमारा नाम भेजा है। तो आप जो नम्बर देते हैं बोलने का तो उस कागज को तो देख लिया करें।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कोई बन्धन नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लखीसिंह—

अगर समय नहीं देना है तो मैं सदन छोड़ कर चला जाऊं?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

आखिर इतना कागज और स्याही लगी है, अगर इसका कोई महत्व नहीं है तो फिर क्यों यह छापा जाता है?

श्री अधिष्ठाता—

इस पर छपने से व्यवस्था नहीं चलती है।

श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

मान्यवर, श्री बसन्तसिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज उत्तर प्रदेश में पानी की कमी होने के कारण जनता में बड़ा व्यापक असन्तोष है और इसी के साथ-साथ जब पानी की कमी उत्तर प्रदेश के अन्दर हुई तभी भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि जब किसी चीज की कमी होती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है जैसे कि हाउस में आवाज आ रही है। हरदोई जिले की तरफ से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नहरों को लम्बा-चौड़ा करना, और उनमें डबल नहरी करना मंत्री जी ने सब कुछ कर दिया है। वास्तव में पानी की कमी के कारण उत्पादन की कमी हो गयी है। नहर के पानी को वही प्रयोग में ला सकता है जिसके पास पैसे का जोर होता है। जे० पी० मिश्र ने बहुत कुछ चिल्लाया, लेकिन इनके यहां ओवरसियर और इंजीनियर हाजिरी देने जाते हैं, यहां तो वैसे ही चिल्लाते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपने यहां अहरौरी और ब्लाक की नहर है उसमें यह हाल है कि नहर में पानी आया तो जो जबरदस्त आदमी हैं वह उसको काट कर ले लेते हैं, मगर गरीब आदमी गया तो वापस आया। इसी की वजह से फौजदारी तो हो ही जाती है। अच्छी खाद, बीज बिना पानी के सब बरबाद हो जाता है। इधर गंगा की तरफ ऐसी बाढ़ आती है, उधर गोमती को बाढ़ आती है और घाघरा भी बढ़ती है और तालाब इतने हैं वह भी सब पानी से भर जाते हैं। इस योजना के चलाने के पूर्व श्रीमन् जी, १९५०–५१ में जो खर्च में है ३६.५४ करोड़ रुपया और आय हुई है सिंचाई से ६७.५१ लाख। १९५२–५३ में खर्च हुआ है ७८.८५ करोड़, और आय हुई है ७२.७०। १९५९–६० में खर्च हुआ है

[श्री परमाईलाल]

१२२.२२ करोड़, और आय हुई है सिंचाई से ९१.२० लाख। १९६३-६४ में खर्च हुआ है २०१ करोड़ और आय हुई है १००.२० लाख। इस प्रकार आप देखेंगे कि जब खर्च प्रति एकड़ बढ़ता गया। सिंचाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ गयी हैं।

मान्यवर, प्रति एकड़ सिंचाई की जो दर पड़ती है वह बहुत ज्यादा है। प्रवाह द्वारा सिंचाई की दरें इस प्रकार हैं--गन्ने की फसल के लिये ३२ रुपये प्रति एकड़, चावल, सब्जियां, बगीचे आदि के लिये १४ रुपये प्रति एकड़, छिटका चावल, ७ रुपये, तम्बाकू १६ रुपये, चाय १५ रुपये, गेहूं, जौ तथा गेहूं मिश्रित फसलें १२ रुपये, कपास ४.५० रुपये, चारे वाली फसलें ३ रुपये, हरी खाद २ रुपये, अन्य रबी की फसलें एक रुपये, अन्य खरीफ की फसलें ७ रुपये। उलच कर जो पानी दिया जाता है उसकी सिंचाई दरें इस प्रकार हैं--गन्ने की लिये १६ रुपये प्रति एकड़, चावल के लिये ७ रुपये, छिटका चावल ३.५० रुपये, तम्बाकू ८ रुपये, चाय ७.५० रुपये, गेहूं जौ तथा गेहूं मिश्रित फसलें ६ रुपये कपास २.५० रुपये, चारे वाली फसलें १.५०, हरी खाद १ रुपये अन्य रबी की फसलें ४.५०, अन्य खरीफ की फसलें ३.५० रुपये। इसको देखने से मालूम होगा कि यह रेट्स बहुत ज्यादा हैं। किसान अगर स्वयं अपने साधनों से अगर सिंचाई की व्यवस्था करें तो वह खर्च ३२ रुपये की जगह १० रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और इन रेट्स को कम करना चाहिये।

अहरौली ब्लाक में एक झील है, जिसमें १२ महीने पानी भरा रहता है। अगर उसके पानी की निकासी का प्रबन्ध हो जाय तो उससे उस क्षेत्र में काफी सिंचाई की सुविधा हो सकती है। लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। इससे लाखों मन अनाज पैदा किया जा सकता है।

इसके अलावा इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। एक ओवरसियर जो १५० रुपये माहवार पाता है, बी० एस० ए० की मोटर साइकिल, ५ हजार वाली लिये घूमता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

जब चीफ इंजीनियर वगैरह वहां जाया करें तो उसकी सूचना वे वहां के माननीय सदस्यों को दिया करें।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका संबंध सीधे किसानों से ही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कृषि के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो जायं विदेशों से हमें गल्ला न मंगाना पड़े अधिक अन्न उत्पादन के लिये यदि बीज भी मिल जाय, उर्वरक भी मिल जाय, मगर जब तक पानी नहीं मिलेगा, फसल अच्छी नहीं हो सकती। इस दृष्टि से सरकार ने भी इस आगामी वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में तय किया है और प्रचुर धनराशि कृषि उत्पादन के लिये लगाई जा रही है इसमें कोई शक नहीं है कि स्वतन्त्रता के बाद सिंचाई विभाग ने और विद्युत विभाग ने जो प्रगति की है वह प्रशंसनीय है। स्वराज्य के पहिले जहां हमारे प्रदेश में २११ गांवों में बिजली पहुंची थी वहां आज ४,५६३ गांवों में बिजली पहुंच गई है। इसी प्रकार नलकूपों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है लेकिन यह जो वृद्धि हुई है इसमें सरकार की ओर से एक सम निगाह पूरे प्रदेश पर नहीं रक्खी गई है। अभी हमारे मित्र जे० पी० मिश्र ने जैसा कि बताया था पूर्व और पश्चिम की तरफ तो सरकार की निगाह अधिक जाती है लेकिन बीच का जो हिस्सा है अवध, अवध में भी उन्नाव रायबरेली और हरदोई जिले के साथ चाहे सिंचाई हो, चाहे सामुदायिक विकास हो या चाहे उद्योग विभाग हो, हमेशा सरकार का सौतेला व्यवहार रहा है अब सिंचाई विभाग को ले लीजिये। श्री जे० पी० मिश्र ने हरदोई के विषय में बतलाया कि वहां तो सरकार ने दस

नलकूपों की स्वीकृति दी बाद में काट कर पांच कर दिये । मेरे जिले उन्नाव को ले लीजिये। वहां तो नलकूप का पता ही नहीं है । यही नहीं बिजली की दिशा में भी कोई प्रगति नहीं है अभी पिछले साल करीब बीस गांवों में बिजली पहुंचाने का निर्णय हुआ था लेकिन उसकी भी कटौती हो गई अब सरकार से मेरा यह निवेदन है कि यदि औद्योगीकरण के लिये सरकार वहां बिजली नहीं पहुंचा रही है तो उन्नाव के बाद जो ब्लाक हैं जिनमें चकबन्दी हो चुकी है और जिनके आस पास बिजली पहुंच चुकी है वहां पर नलकूपों के लिये बिजली आगे बढ़ाई जाय। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान नवाबगंज ब्लाक और हसनगंज ब्लाक की ओर दिलाना चाहता हूं। लखनऊ जिले का अन्तिम गांव बड़ी लखनऊ–कानपुर मार्ग पर है इसके बाद उन्नाव जिला हो जाता है बडी तक बिजली चली गई है और आगे नहीं बढ़ाई गई है इस क्षेत्र के तमाम किसानों ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा है इस बात का कि आगे अजगैन तक बिजली बढ़ाई जाय और उन्होंने स्थान-स्थान पर नलकूपों के लिये बिजली लेने का रिक्वेस्ट की है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे उधर बिजली की लाईन को बढ़ाने की कृपा करें ताकि वहां के किसान जो अपने खेतों में दो-दो फसल लेना चाहते हैं और कृषि की प्रगति करना चाहते हैं उनको भी निजी नलकूप स्थापित करने की सुविधा मिले। इसी प्रकार हसनगंज ब्लाक के पास अर्सावन तक बिजली गई है। उसे भी हसनगंज ब्लाक के सभी हिस्सों पर पहुंचाया जाय। हमारे यहां ड्रेनेज का भी प्राब्लम है यहां तमाम जमीन ऐसी है जिसमें वाटर लागिंग के कारण खेती नहीं हो सकती। इसके सम्बन्ध में कुछ योजनायें जिले के अधिकारियों ने बनायी हैं लेकिन रुपये के अभाव में वे कागज पर ही पड़ी हुई हैं। उनके लिये शीघ्र ही समुचित धनराशि अलाट की जानी चाहिये ताकि वे योजनायें कार्यान्वित हो सकें। नगाबगंज ब्लाक में एक चिरैया नाला है, उसके रिमार्डलिंग की योजना थी, जिसके सम्बन्ध में मैंने कई पत्र लिखे लेकिन पता नहीं कहां चले गये। इस नाले पर कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर पुलों की आवश्यकता है। एक मार्ग दिवैया के पास है जहां पर छोटे पुल की आवश्यकता है यहां एक पुरानी कच्ची सड़क है जो लखनऊ–कानपुर, लखनऊ–मौरावां, और पुरवा-उन्नाव मार्ग को मिलाती है इस नाले पर अन्य कई स्थानों पर भी पुलों की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस जिले की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे और बिजली तथा सिंचाई की दिशा में समुचित धनराशि अलाट करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट के अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

(श्री चन्दनसिंह का नाम पुकारे जाने पर) आपने मालुम होता है कुछ सदस्यों की लिस्ट बना ली है बहुत से सदस्यों को रोज बोलने का मौका दे दिया जाता है और बहुत से सदस्यों को आज तक मौका नहीं मिला। यह तरीका हाउस की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फर नगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं किसी विभाग या माननीय मंत्री जी की बुराई करना नहीं चाहता और उससे कतई कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीजें सरकार से सामने रखना चाहता हूं, आशा है मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। एस्टीमेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव यह आया कि सरकार यह फैसला करे कि गन्ना की फसल को कितने पानी और गेहूं की फसल को नहरों से कितने पानी की आवश्यकता है। सरकार ने यह उत्तर दिया कि नहरें तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री चन्दन सिंह]

पूर्ति के लिये नहीं है, वह तो अकाल को रोकने के लिये हैं इस साल सन् ६४-६५ में बड़ा अकाल पड़ा और पानी की कमी से बड़ी भारी परेशानी हुई. केनाल विभाग के एक विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे बातें कर रहा था। उन्होंने बताया कि हम ११ करोड़ की लागत से छोटी माइनरों को पक्की कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह तो आपकी बड़ी लम्बी योजना है। १०-१५ साल इसमें लग जायंगे। इस समय तो थोड़ा पानी किसान को मिल जाय तो उसका समाधान हो जाय। मैंने कहा कि टेम्परेरी तौर पर काश्तकार को स्टेट ट्यूबवेल की कमांड में से अथवा नहरी पानी से दे दिये जायं तो उसका कुछ गुजारा हो सकता है। वह विशेषज्ञ इससे सहमत हुए लेकिन एक बात उन्होंने यह कही कि इससे रेवेन्यू घट जायगा। मैं मानता हूं कि इससे रेवेन्यू घट सकता है लेकिन यह उससे प्रतिशत से नहीं घटेगा जितने प्रतिशत विभाग सोचता है। लेकिन उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो जायगा और काश्तकार नहर के पानी को ही लेना पसन्द करता है क्योंकि उसमें उसको मेहनत कम पड़ती है, खर्च कम पड़ता है। न उस पर ज्यादा लेबर लगती है और न इतना ज्यादा खर्चा ही पड़ता है।

नहर से काश्तकार अपने खेत को सींचता है और उस पर महसूल कैनाल विभाग ज्यों का त्यों लगाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार की रेवेन्यू नहीं घटेगी। मंत्री जी हमारी परेशानी को, काश्तकारों की परेशानी को सोचें आप हमें पानी का उचित इन्तजाम अवश्य करने की कृपा करें। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि आप हमें पानी भी न दें और महसूल भी ले लें। गन्ने का अब बोने का टाइम चल रहा है, पलेवा हो रहा है, आपकी नहरें कम पानी दे रही हैं। गंगा की नहर भी कम पानी दे रही है। पानी की बहुत कमी है तो सरकार को चाहिये कि पानी का इन्तजाम करे और किसानों को सहूलियतें दे। जो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं उसे वापिस लें। हममें भी कुछ लोग कड़ुवे होते हैं और कुछ लोग मीठे। हमारे सेक्रेटरी महोदय, सरकार साहेब, कुछ कड़ुवे तो नहीं हैं ३ फर्लांग की हद के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये। मैं सरकार महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर हमारी बात न मानें तो प्राइम मिनिस्टर की बात को तो मानें उनका ड्राइवर पानी के लिये तड़प रहा था। उसका मामला यहां आया। पूछा गया कि उसकी जमीन सिंचित है या असिंचित है तो रिपोर्ट आती है कि उसकी जमीन असिंचित है और इसे जरूर कनेक्शन दिया जाय। भाई ने उसे सेंक्शन कर दिया सरकार साहेब ने तो यह लिख दिया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता मौजूदा है यह सब कार्यवाही। मुख्य मंत्री ने लिखा कि इसको जरूर कनेक्शन दिया जाय लेकिन सरकार महोदय ने उस पर भी लिख दिया कि नहीं मिल सकता है फिर उसकी इनक्वायरी हुई बहुत मोटी फाइल हो गई है। ट्यूबवेल विभाग से इनक्वायरी हुई और उसमें यह दिखाया गया है कि इसकी जमीन असिंचित है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

माननीया, मैं सिंचाई विभाग के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सिंचाई का अनुदान इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश और प्रदेश के लिये कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। सिंचाई और कृषि अगर ये दोनों विभाग सरकार एक मंत्री के जिम्मे किये होती तो हमारे प्रदेश की खाने की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती। ठीक जिस समय किसान को पानी की जरूरत होती है, जब उसकी फसल सूखने लगती है, ठीक तभी सिंचाई विभाग से ट्यूबवेल प्रायः बन्द रहते हैं उस बन्द में पानी के अभाव में सारी खेती सूख जाती है। पारसाल भी मैंने कहा था, बार-बार सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दोनों विभाग किसी वरिष्ठ मंत्री को दे दिये जावें चौधरी साहब को ही दे दिये जाते, तब भी अच्छा रहता। शर्मा

जी को या गेंदा बाबू को दे दिये जायें। इससे प्रदेश का बड़ा भारी काम हो जायगा। हमारे देवरिया जिले में छितौनी बांध के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया गया, नारायणी का नियंत्रण करने में पहाड़ी नदी की धारा को ठीक करने में करोड़ों रुपया गरीब किसानों की गाढ़ी कमाई का खर्च किया गया लेकिन ठीक तरह से उसका उपयोग नहीं हो रहा है। परसाल मीलों तक सैलाब आया और बांध को काट दिया गया पकड़िछवा ग्राम सभा नदी की धारा में बह गई, सारी खेती बरबाद हो गई। बहुत नुकसान हुआ। २५००, २७०० की आबादी वाली छितौनी की ग्राम सभा, १२०० की आबादी वाली रेलवे लाइन के इधर और १२०० की आबादी वाला रेलवे लाइन के उधर, और सारी खेती नष्ट हो गई। उनकी खेती-बाड़ी का और बच्चों के आवास का क्या इन्तजाम होगा, समझ में नहीं आ रहा है यह सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है। आज वह सारा क्षेत्र खतरे में है। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त जी वहां गये गिरधारीलाल जी को भी हम लोग ले गये, और सुचेता जी को भी हम लोग वहां ले गये बार बार कहा जाता है हर साल किसानों की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया, पत्थर के रूप में, गल्ले के रूप में, मकानों के रूप में, खेती के रूप में नदी के पेट में डाल दिया जाता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहां पर देवेन्द्र प्रताप जैसे सहायक इंजीनियर भेजे गये जो वहां लाखों रुपया खा गये लाखों रुपया, बोरों भरा रुपया खा गये कोई हिसाब नहीं है, बल्लियों और पत्थर की गड़बड़ का कोई हिसाब ही नहीं है, यह सब तमाशा छितौनी बांध का है। यह बात सत्य है कि पहले मित्रा साहब से शिकायत की और उन्होंने कृपा करके वहां से ऐसे इंजीनियर को हटाया और हमें राहत भी मिली। अब वहां कुछ अच्छे कर्मचारी भेजे गये हैं लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि मित्रा साहब को वहां भेजें, वह कुशल इंजीनियर हैं वह वहां की हालत को देखें कि किस तरह से छितौनी बांध में करोड़ों रुपये का गड़बड़ है।

इस साल मैं गया तो मैंने देखा कि नारायणी को बालू के बोरों से बांधा जाता है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद इस तरह के कामों से क्या लाभ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि अभी भी २ मास का समय है बरसात से पहले काम हो सकता है अभी आजकल में ही अगर मंत्री जी मित्रा साहब को वहां भेजें और उसकी मरम्मत करा दें और पैसा बांध की मरम्मत के लिये फौरन सेंक्शन कर दें। अगर यह न हुआ तो वह रेलवे लाइन और वह सुअर भट्टी और पेड़ ा की १००० की आबादी दोनों तरफ नष्ट हो जायगी। इस देश में ब्रह्मपुत्रा और नारायणी २ नदियां हैं जिनकी बाढ़ भयंकर होती है नारायणी भी ऐसी ही नदी है जिसका संस्कृत में नाम आया है। सत्यवीराकर के, पता नहीं वह कितनी पुरानी नदी है और उसका क्या इतिहास रहा होगा भारत सरकार भी इनका प्रबन्ध करते करते हार गई इसलिये अच्छा हो अगर मित्रा साहब को और शर्मा जी को जो कुशल इंजीनियर हैं उनके प्रबन्ध और मरम्मत के लिये भेजा जाय और हमारे भाई साहब जो यहां बैठे हैं इन दोनों को वहां भेज दिया जाय ताकि बांध की और इन ग्रामों की रक्षा हो सके वर्ना सुअरभट्टी ग्राम समाप्त होने जा रहा है, गिरहारी गांव भी खत्म होने जा रहा है और कई हजार एकड़ भूमि नष्ट हो रही है उसको बचाया जाय। दूसरी समस्या यह ४ फर्लांग वाली बिजली की है। जो किसान नलकूप लगाना चाहते हैं उनके कुएं ४—८ फर्लांग या ज्यादा दूरी पर भी हों या कम हों इसका खयाल न करके सबको बिजली दी जाय।

(समय समाप्त)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीया अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कृषि उपज बढ़ाने के लिये कितनी सिंचाई व विद्युत का महत्व है इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता

[श्री ऊदल]

यदि किसान को अन्य चीजें न भी दी जाय और पानी का समुचित प्रबन्ध कर दिया जाय तब भी उपज दुगुनी हो सकती है। करोड़ों रुपया व्यय करने के बाद अब भी ७० प्रतिशत जमीन असिंचित है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब शभी माननीय जगदीशप्रसाद जी बोल रहे थे उन्होंने बताया कि हमारा सिंचाई का क्षेत्रफल काफी बढ़ा है।

माननीया, आपकी आज्ञा से मैं बताता हूं कि सरकार द्वारा दी हुई पुस्तिका में यह दिया हुआ है कि उससे सन् १९६०–६१ में सिंचित क्षेत्रफल जो बोयी गयी जमीन थी उसका वह २९.५ फीसदी था, १९६१–६२ में यह २८.१, १९६२–६३ में ३०.६, १९६३–६४ में ३१.१ और १९६४–६५ में यह ३१.७ हो गया। जिस रफ्तार से, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद हम बढ़ रहे हैं, वह रफ्तार सचमुच में बहुत ही चिन्तनीय है। माननीया, नहरों की लम्बाई बढ़ गयी और बजट का रुपया भी बढ़ गया, नहरों के पानी का रेट भी ६–७ गुना बढ़ गया लेकिन सिंचाई का क्षेत्रफल बहुत ही मामूली बढ़ा है। प्रतापगढ़ में एक मिसरौली स्टेशन है। वहां पर पूर्व की ओर एक नहर खोदी गई और पानी न जाने से पट भी गयी। पश्चिम की ओर भी मैंने देखा कि नहर खोदी गई लेकिन पानी न आने से पट भी गई तो कागज में तो दिखा दिया गया कि इतनी दूरी में नहर खोद दी गयी और उससे यह भी हिसाब लगा लिया कि इतना पानी जायगा और इतनी एकड़ भूमि सिंचित होगी। इस तरह से सरकार के आंकड़े कागजों पर इकट्ठे हो जाते ह। एक ट्यूबवेल का कमान्ड पहले ८५० एकड़ थी, जिसे अब ६५० एकड़ कर दिया गया। सरकार यह भी दावा करती है कि हमने सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया है और उसे एक ट्यूबवेल का ८०० एकड़ के हिसाब से जोड़ा जाता है लेकिन किसी भी ट्यूबवेल की क्षमता आज २५० और ३०० एकड़ से अधिक नहीं है किसी भी सूरत में।

यहां पर यह आग्रह किया गया कि कम से कम इनकी कमान्ड को ३०० एकड़ की दर कर दी जाय लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सारदा सागर की एक कैनाल जो बाराबंकी से सुलतानपुर, बनारस और जौनपुर को जाती है उसमें पिछले साल पानी नहीं गया। किसानों को कहा गया कि पानी आएगा लेकिन नहीं आया। उनकी जमीनें ले ली गयीं। जब उसमें कोई पानी नहीं आया तो वहां के किसानों को बड़ा दुःख हुआ ऐसी लम्बी नहरों को बनाने की क्या जरूरत है जब उनमें पानी देने के लिए आपके पास पानी न हो। मेरे गांव के पास में एक ट्यूबवेल है। वहां पर हजारों रुपया लगाकर नालियां का विस्तार किया गया। पर जब पानी नहीं गया तो उसे किसानों ने जोत लिया। आज वे नालियां कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार से सरकार की यह जिद नौकरशाही वाली जिद हो गयी है। उनकी जहनियत आज भी नहीं बदलती है। हमने अपने देश में प्रजातन्त्र चलाया है, यहां पर वोट देने का अधिकार है। तो ऐसे स्थिति में अगर सरकार किसान को पानी नहीं दे सकती है तो उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया है कि ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं, अपनी चीजों को नहीं बेच सकते हैं, अपनी मर्जी के माफिक। ये जो आपके पुराने कायदे कानून हैं, आपका जो नौकरशाही का रवैय्या है, इसको आपको बदलना चाहिए। यदि आप पानी नहीं देते है तो ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं है। पंजाब में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैंने देखा कि पावर कनेक्शन के बारे में तीन या चार फर्लांग का वहां कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कैरों साहब ने यही किया कि जहां जिसने ट्यूबवेल मांगा वहां मंजूरी दी। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नहर और ट्यूबवेल एरिया में प्रतिबन्ध लगा रखा है उसको खत्म होना चाहिए ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके और किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विभाग की गलतियां बतायीं बावजूद उन गलतियों के हमारा सिंचाई विभाग काफी आगे बढ़ा है और हमारे मन्त्री भी काफी इस में

इंटरेस्ट लेते हैं। मैं सिर्फ इस बात के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमारे पहाड़ों की समस्या कुछ सिंचाई के मुतल्लिक है माननीय मिश्रा ने जो यह कहा कि पूर्व और पश्चिम के अलावा बीच के हिस्से को कोई परवाह नहीं करता, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तरी भाग के बारे में भी कोई परवाह नहीं करता। पहाड़ी जिले सब से बैकवर्ड हैं और उसमें भी खास टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी की हालत बहुत खराब है। कुछ माननीय सदस्यों ने वहां की हालत को देखा और उसको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहां पर नहरें बनी हैं लेकिन समस्या यह है कि जिस समय पैडी कल्टीवेशन का समय होता है ठीक उस वक्त थोड़ी सी भी बरसात होने से यह नहरें बरबाद हो जाती हैं। नीचे से उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है, जो ऊपर तक जाते-जाते काफी समय ले लेती है जिसका नतीजा यह होता है कि उन नहरों से पैडी कल्टीवेशन के लिए कोई पानी नहीं मिलगा है। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा इससे एक और अन्याय हमारे ऊपर यह हो गया कि जब वहां सेटिलमेंट हुआ तो, जिन-जिन जमीनों के ऊपर नहरें बनी है उनको इर्रीगेटेड एरिया मान लिया गया है जिससे सिंचाई एरिया बढ़ गया है, जबकि वाकई में कोई आबपाशी उस जमीन को नहीं होती है। एक तो इर्रीगेटेड एरिया मान लेने से उस जमीन का रेवेन्यू बढ़ गया और दूसरे नहर से वक्त पर पानी नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें कि किस तरह से इस मामले को हल किया जा सकता है। जैसे ही उत्तरकाशी जिले में आप प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा भारी मैदान दिखाई पड़ता है, जिसको लोक लेखा समिति के सदस्यों ने भी देखा है, उस मैदान में सब-से ज्यादा धान पैदा होता था लेकिन आज वह सूखा पड़ा हुआ है। एक नहर २००, ३०० साल पहले गांव वालों ने पहाड़ काट कर पहाड़ के नीचे से लाई थी। उसमें एक स्लिप आ गया जिससे नहर ढक गई। हमारे इंजीनियर उस स्लिप को ठीक नहीं कर सके जिसके कारण वह मैदान खाली पड़ा हुआ है। जो अधिकारी हमारे जिलों में भेजे जाते हैं उनको सजा के बतौर न भेजा जाय बल्कि ऐसे अफसरों को भेजा जाय जो दिलचस्पी से काम करें और वहां के लोगों से मिलजुल कर रहें, उनकी सेवा करने की भावना जिनमें हो तभी वहां के लोगों को सन्तोष होगा और सन्तोष होने के कारण उस क्षेत्र की सुरक्षा का काम भी ठीक होगा। लेकिन ऐसे अफसर भेजने के बरअक्स असन्तोष बढ़ गया तो सुरक्षा को खतरा है। असली सुरक्षा तभी होगी जब आप उन जिलों में खास कर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में आप ऐसे अफसरों को भेजें। जो सेवा करने की भावना से वहां जायें और वहां की कठिन रहन-सहन को बर्दाश्त कर सकें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई के लिए धन रखा गया था वह लैप्स होता जा रहा है। दो साल से उत्तरकाशी जिले में कोई नई नहरें नहीं बनी हैं। इकोनामी सर्वे जो अफ्रीका और एशिया के लिए हुआ था ६१-६२ में उसमें कहा गया है कि १० लाख रुपया एग्रीकल्चर पर खर्च करने में १,७००—१,८०० आदमियों को एम्प्लाइमेंट मिलता है और इंडस्ट्री में उतना ही रुपया खर्च करने पर केवल करीब ढाई सौ आदमियों को इम्प्लायमेंट मिलता है। प्रोडक्शन इतना रुपया खर्च करने पर इंडस्ट्री में जितना होगा उससे कई गुना ज्यादा कीमत का एग्रीकल्चर में होगा। एग्रीकल्चर हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है और उसके लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि पहाड़ी जिलों पर माननीय मन्त्री तथा उपमन्त्री जो पहाड़ के हैं अधिक ध्यान की कृपा करें। और वहां जो आफिसर ऐसे भेजें जिनमें कूट-कूट कर सेवा भाव हो।

श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से इन्सान को खाने के साथ पानी की खूराक की जरूरत होती है, उसी तरह से खेती के लिए पानी भी जरूरी है। जहां हमारी सरकार सिंचाई पर जितना जोर देती है हमारी नौकरशाही उतना ही केवल कागजों पर अमल करती है कि इतने समय से इतने समय तक पानी छोड़ा जायगा। जिस वक्त पानी की जरूरत होती है उस वक्त रजबहे

[श्री भूपसिंह]

नहीं छोड़े जाते और समय पर पानी न मिलने से फसल खराब हो जाती है। इसके अलावा रजबहों में जो कुलाबे लगे हुए हैं उनमें ४ इंच पाइप लगे हुए हैं लेकिन आवश्यकता होने पर उनको ८ इंच पाइप नहीं किया जा सकता। हरदुआगंज में तहसील कोल में कई बार सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया कि वहां पर फसलों को छोटे पाइप होने से नुकसान पहुंचता है, सिंचाई पूरी नहीं होती है लेकिन आज तक उसका असर नहीं हो सका और उन्होंने हमारे सुझाव पर अमल नहीं किया। उनका कहना होता है कि इतने इंच का पाइप फिट रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते और इस प्रकार छोटी कमियों को भी कर्मचारी पूरा नहीं कर पाते हैं।

(इस समय ४ बज कर ४३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पुनः पीठासीन हुए।)

इसके साथ सिंचाई विभाग की पुस्तिकाओं में दिया हुआ है कि ५० प्रतिशत नाली बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जायगा। मैं अपने जिले की तरफ देखता हूं तो मैंने कहीं भी एक दो या चार फर्लांग भी पक्की नाली बनी हुई नहीं देखी। नलकूप की नालियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह एक छोटी सी चीज है। अगर पक्की नालियां बनवा दी जायं तो सिंचाई बढ़ जाएगी क्योंकि कच्ची नालियों में पानी जमीन में सूख जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। जिस तरह से ईख, धान वगैरह को सिंचाई बढ़ गई उसी तरह से पक्की नालियां भी बनवा दी जायं, जिससे पानी सूखने न पाए और सिंचाई बढ़ जाय।

इसके साथ-साथ और भी चीजें हैं जो फसल को क्षति पहुंचाती हैं। मैंने अपने जिले के अधिकारियों से कहा कि एक तरफ आपकी नहर चलती है, उधर रजबहा बनता है और माइनर भी जा रही है तो ऐसी एरिया में बरसात में पानी बहुत जमा हो जाता है, जिससे फसल को क्षति पहुंचती है। इसलिए नाली निकाल दी जाय तो वे कहने लगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। कुलाबे के लिए पैसा नहीं है, साइफन के लिए पैसा नहीं है लेकिन सिंचाई के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आजकल २ रुपए से सिंचाई के दाम ८ रुपए फी बीघा हो गए हैं जिससे किसान मरा जा रहा है।

नलकूपों को लीजिए। मेरे यहां कम तादाद में हैं। उनकी शिकायत आई है। मैंने मन्त्री जी को लिखा है कि यह समय पर नहीं चलते हैं। आपरेटर्स रिश्वत लेकर या मुंह देखकर पानी देते हैं जिससे गरीब किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। जो गांव के मुखिया या नम्बरदार होते हैं, उनको पानी दिया जाता है। आपने जो प्राइवेट नलकूपों के लिए पाबन्दी लगा रखी है उसको खत्म कीजिए। मेरे यहां बिजली मंजूर हुए तीन साल हो गए हैं। अब मैंने मन्त्री जी से अपने ट्यूबवेल के लिए कहा तो कह दिया कि तुम तो विधायक हो अगर तुम अपने लिए ऐसी बातें करोगे तो असेम्बली में सवाल आ जायगा। क्या विधायक होकर वह अपने लिए कुछ नहीं सोच सकता है? आप पाबन्दी हटाकर किसानों को सुविधा दें जिससे सिंचाई बढ़े और उपज बढ़ सके।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के अनुदान पर बोलने के लिए समय दिया। हमारे देश और प्रदेश का आर्थिक व्यवस्था में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महत्व है और उसमें वह रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। उसी तरह से एग्रीकल्चर में सिंचाई विभाग भी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बिना इसके एग्रीकल्चर में तरक्की नहीं हो सकती है। श्रीमन्, मुझे ऐसा कहने में कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकोच नहीं है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में हमारी सरकार ने इसकी ओर बड़ा ध्यान दिया है। और हमें बहुत कुछ सुविधा मिली है, उससे जाहिर है और गांवों-गांवों में भी जो हम देखते हैं कि नई-नई नहरें, नए-नए जलाशय और बहुत सारे बांध हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। परन्तु मैं, श्रीमन्, एक बात सफाई के साथ में कह देना चाहता हूं कि यह जितना भी काम हो रहा है, करोड़ों रुपया जो उस पर खर्च हुआ है, क्या इसका श्रेय इस सरकार को है, इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस अनुदान को पास करते हैं, उस रुपए को इनके हाथ में देते कि वह अच्छे और सही ढंग से खर्च करें और उन्हीं कामों में खर्च करें जिसके लिये वह दिया गया है। अगर सरकार ने उसको खर्च में ला दिया तो उसमें कोई बड़ा भारी श्रेय का काम उसने नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारे यहां को बहुत सी प्राब्लम्स हैं, आपने हमें बोलने का समय नहीं दिया है।

श्री यशपालसिंह वर्मा—

मैं सफाई से इस चीज को कह देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने अपनी सर्विसेज में सिर्फ एफिशिएन्सी की है, तो मेरे खयाल से वह श्रेय की बात उनके लिए है। परन्तु श्रीमन्, इस माननीय सदन के सभी सदस्य चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के सभी ने अपने यह खयाल जाहिर किए हैं कि सर्विसेज में इनएफिशिएन्सी पूरे शिखर पर है। कामों की पाएदारी के बारे में यह साफ जाहिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेजों के जमाने में जो काम हो चुका था, उतना मजबूत और अच्छा काम आज हमारी सरकार कर नहीं पा रही है। जो रुपया हम सरकार को देते हैं सब का सब रुपया हमारे अफसर अपने आराम और अयाश में खर्च कर देते हैं।

श्रीमन्, मैं आपके सामने एक बात और रख देना चाहता हूं, वह यह है कि सरकार श्रेय की पात्र होती यदि सरकार ने आज तक उन काश्तकारों को जो नहरी इलाके में रहते हैं, जो ट्यूबवेल कमान्ड में रहते हैं, उनको शत-प्रतिशत सिंचाई की जिम्मेदारी ली होती। यह तो मैंने माना कि उन्होंने इर्रीगेशन का एरिया बढ़ाया, नहरों की लम्बाई बढ़ाई, लेकिन उन्होंने उनको शतप्रतिशत सिंचाई की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए इसे श्रेय नहीं दिया जा सकता। जब भी हम आपके सामने इस बारे में बात कहते हैं, तो आपके रूल्स ऐंड रेगुलेशन्स हमारे सामने आ जाते हैं और साफ तरीके से कहा जाता है और माननीय मन्त्री महोदय भी बड़े फख्र के साथ कहा करते हैं कि सरकार की नीति आज तक नहर के सिलसिले में केवल इतनी रही है कि वह सुरक्षा पहुंचाने अथवा अकाल से बचाने में। अपने यहां शामली में मन्त्री जी का भाषण सुना, उसमें भी यही बात कही गयी। कहने का मतलब यह है कि अगर वही कह पड़ रहा है तो उससे बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अन्यथा नहीं है। किन्तु आज मुझे खुशी है कि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने आज अपने भाषण में कहा, उन्होंने अपनी उक्त नीति को आज बदल दिया है। उसे सुरक्षात्मक ही न रखकर आबपाशी के साधन जुटाने की ओर भी ध्यान देने को कहा है। जब तक शत-प्रतिशत आबपाशी की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर नहीं लेंगे, एग्रीकल्चर की पैदावार इस प्रदेश में नहीं बढ़ सकती। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ट्यूबवेल के कमान्ड के बारे में। जब यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो अपनी मनोपली कायम रखने के लिए यह सरकार कैसे निरंकुश बनी हुई है कि हम अपने कमान्ड एरिया में प्राइवेट लोगों के ट्यूबवेल नहीं लगने देंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।....

श्री लखोसिंह—

अधिष्ठाता जी, आपकी यह व्यवस्था अनियमित है। मेरा नाम एजेंडे पर छपा हुआ है, फिर भी आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री लखोसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ मैं भी इस सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री बांकेलाल ने सदन का परित्याग किया।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका किसानों के साथ चोली दामन का सम्बन्ध है। पानी के बगैर जिन्दा कोई नहीं रह सकता है, जैसे कि कोई बगैर हवा के जिन्दा नहीं रह सकता। बगैर पानी के न तो किसान जिन्दा रह सकता है और न उसकी पैदावार हो सकती है और न कोई कार्य हो सकता है। श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में भी यह बात कही जाती थी कि अगर किसान को कोई चीज देना है तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वह जल है और सिंचाई के लिए उसे सर्वोत्तम स्थान दिया जाता था। अभी हमने कांग्रेस पक्ष के कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि सरकार ने लघु सिंचाई योजना के लिए बहुत से कार्य किए हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट—वाल्यूम-१ के पृष्ठ ५१ में साफ दिया हुआ है....

"With the purpose of improving the irrigation facilities in areas not served by canals or tube-wells the Government in 1944-45 sanctioned a scheme for the sinking of masonary wells..... as interest-free takivi in the form of constructional materials recoverable in five years and the other half was to be invested by the cultivator himself.....Government have approved a subsidy to the cultivators at the rate of 20 per cent, of the total cost and interest free takavi to the extent of 50 per cent of the total cost in the form of materials, such as pipes, fittings, cement, bricks, etc."

"No greater gift can be conferred upon the farmer than water for his fields."

इस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में भी जहां पर कैनाल और ट्यूबवेल नहीं थे, १,५०० रुपए कुएं बनाने के लिए दिए जाते थे जो ५ साल में वसूल ही बिना ब्याज के और आज यह सरकार मुश्किल से २५ प्रतिशत छूट देती है और वह भी इन्टरेस्ट के साथ वसूल करती है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राधेश्याम जी ने तथा और लोगों ने पुलिस, सहकारिता और सिंचाई के करप्शन के बारे में कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की लाल फीताशाही की वजह से यहां की जनता परेशान थी और कागज एक जगह से दूसरी जगह चलाने में लोगों का खर्च होता था लेकिन आज लोग ब्लैक टेपिज्म की वजह से परेशान हैं। यह ब्लंन्डर विदाउट डेंजर वाला विभाग है जहां सरकारी पैसे की लूट होती है। पुलिस लूट करती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता के पैसे की लेकिन वह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करती । छित्तौनी बांध की बात बतलायी गयी और गाजीपुर के ८० गांव में ४० गांव का कहीं पता नहीं है । केवल कागज पर वे गांव हैं । जब श्री राममूर्ति जी मेरे यहां गये थे तो मैंने उनसे कहा कि एक गांव जो ऊंचा किया गया है वह कागज में है और यहां से करीब ही है, चल कर उसे देख लें लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जायं । जब मिनिस्टर इतना कमजोर हो और इंजीनियर्स उसके ऊपर हावी हों जिससे वह हिम्मत न करे कि मौके पर जाकर देख ले कि सही स्थिति क्या है, तो आप अब समझ सकते हैं कि इस विभाग से किसानों का फायदा क्या होगा, उनके फायदे का स्वप्न देखना बेकार है ।

हमारे श्री राधेश्याम जी ने पूरब और पश्चिम की बात कही । सिंचाई विभाग द्वारा जो पुस्तिका हम लोगों को दी गयी है जब मैंने उसको देखा तो उत्तर प्रदेश को ५ भागों में बांटा गया है । माननीय विजयपाल सिंह ने माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि सरकार ने पश्चिमी इलाके को सिंचाई के बहुत से साधन दिये और माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा को इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि उन्होंने वहां के लिये बिजली का इन्तजाम किया । मैं तो यह समझ नहीं पाता कि इन लोगों को किस बात के लिये धन्यवाद दूं । योग साहब हमारे यहां इंजीनियर रहे । लेकिन जबसे वह डाइरेक्टर हो गये हैं सब भूल गये तो किस बात का धन्यवाद उनको दिया जाय एक बात मैं राधेश्याम जी को बतला देना चाहता हूं कि यह जो किताब है इसमें ५ विभाग बनाये गये हैं । इनमें एक पर्वतीय क्षेत्र है और दूसरा पूर्वीय क्षेत्र है । यह दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले एक भी राजकीय सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं था लेकिन और इलाकों में उस समय भी राजकीय साधन प्राप्त थे । हमसे कहा जाता है कि वे ७ परसेन्ट रेवन्यू देते हैं । हम भी यह मांग करते हैं कि आत्म निर्भर होने के लिये हम लोगों को भी पैसा देने की जरूरत है । जहां पर सिंचाई के साधन प्राप्त नहीं हैं वहां पर साधन पहुंचाने की जरूरत है । मुझे अफसोस है कि जब उनकी यह हालत है कि वे खुद ही बेहाल हैं तो क्या करें । जब हम अपने जिले की ओर देखते हैं तो वहां पर एक नहर मनारी ड्रेन से निकाली गई है उसमें पानी नहीं रहता है । उससे लोगों को पानी नहीं मिल पाता है । तो इसको सरकार को देखना चाहिये । हमारे यहां नलकूप बनाये गये हैं लेकिन २० नलकूप ऐसे हैं जिनमें पानी बिलकुल नहीं है । चिल्लाते चिल्लाते हम लोग परेशान हो गये कोई सुनने वाला नहीं है । इस तरह से जितना रुपया लगाया जा रहा है, वह सब वेस्ट हो रहा है । बहने के लिये कोई आमदनी नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर जितने कर्मचारी हैं वही उसके जिम्मेदार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राजनारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने हमें पानी की समस्या पर बोलने के लिये आज्ञा दी । श्रीमन्, आप जानते हैं कि बिना पानी के दुनियां में कोई चीज कायम नहीं रह सकती । आप यह भी जानते हैं कि "रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी ही से ऊपजे मोती, मानस, चून ।" तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस जिले में जो नहरों का व्यापक जाल बिछा दिया गया है पिछले १० वर्षों में तो हमारी ऐसी पैदा करने वाली वह भूमि रही हो, उसको ले लिया गया लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं जा रहा है । पानी उस समय गया जब आपको एक्सपेरिमेंट करना रहा और उसी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मैं आपसे निवेदन करूं कि आज भी आपके अमीन का परताल होती है और हम हर साल उसकी लगान देते हैं । लगान के सम्बन्ध में मुझे श्रीमन्, आपसे यह निवेदन करना है कि जो जमीन गंगा में चली गई है उसकी भी

[श्री राजनारायणसिंह]

परताल इस सिंचाई विभाग के द्वारा हो रहा है। मैंने इसके सम्बन्ध में बड़ी लिखा-पढ़ी की, बहुत सी दरख्वास्त श्री शिवराजसिंह को भी और हमारे यहां जो गुप्ता जी इंजीनियर रहे उनको दी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। जब मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है तो उन्होंने यह जवाब दिया कि आप नहीं समझते। कारण यह है कि जो कुछ इन्दराज पहले के हो चुके हैं उससे कम इन्दराज तो नहीं किया जायगा। हमसे जवाब तलब होता है। श्रीमन् मैं आप से अर्ज करूं कि यह जाल बिछाने की क्या जरूरत थी? हमारी जमीनें ले ली गयीं और उनमें पानी अभी तक नहीं दिया गया। हमारे धानापुर क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा है और वहां सिंचाई की जरूरत भी है, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंचता। वहां पर जल्द से जल्द पानी पहुंचाया जाय। यदि पानी नहीं पहुंचता तो जो नहरें वहां खोदी गयी हैं वे पटवा दी जायं। खाद्य सिंचाई की समस्या को हल करने के लिये पानी वक्त से मिलना बहुत ही आवश्यक है अन्यथा हम उस समस्या को हल नहीं कर सकते। न हम को वक्त से बीज मिलता है, न खाद और न पानी इनके बीच में हम फंसे हुये हैं। इस हालत में हमारी खाद्य समस्या हल कैसे हो सकती है।

दूसरी बात मंत्री महोदय से यह निवेदन करनी है कि हमारे यहां ट्यूबवेल भी हैं लेकिन उनमें से ५० फीसदी बेकार पड़े हुये हैं। सिंचाई का वहां अभाव है। ८०० एकड़ की जगह वे ३, ४ सौ एकड़ को भी पानी नहीं दे पाते। इस स्थिति में नये ट्यूबवेल बनाने के पहले पुराने ट्यूबवेलस की मरम्मत की जानी चाहिये। जो आपरेटर्स वहां पर हैं, उन का एक गुट है और हो सकता है कि उनका संबंध उच्च अधिकारियों से भी है। वह उन्हीं को पानी देते हैं जो उन के कृपा पात्र होते हैं। मैं इस संबंध में बजाज जी से, जो वहां के इंजीनियर हैं, मिला था, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस विभाग का प्रश्न है पिछले १७, १८ सालों से उत्तर प्रदेश में ....

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा मालूम होता है कि वहां बैठकर सचमुच में अन्याय हो रहा है। किसी का चेहरा देख कर नाम पुकारा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्यों छापा गया। किस नियमावली के अन्तर्गत इस में मेरा नाम छापा गया?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नाम पुकारने का अधिकार इस आसन पर बैठे हुये व्यक्ति को है। उसके छपने से कुछ नहीं होता। मिश्र जी, आप बोलिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आखिर यह किस नियम के अन्तर्गत छापा गया और इसमें मेरा नाम क्यों छापा गया?

श्री अधिष्ठाता—

यह बतलाने की जरूरत नहीं है और यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है?

श्री चन्द्रबलीसिंह--

इसको बतलाना हो तो व्यवस्था देना है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा कर बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा नाम इसमें क्यों छापा गया ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं भी यहां किसी गरज से भेजा गया हूं, क्यों यह छापा गया ?

एक सदस्य--

किस व्यवस्था के अन्दर आप बैठने के लिये कहते हैं ?

(व्यवधान--श्री चन्द्रबलीसिंह फिर भी खड़े रहे और श्री अधिष्ठाता के बार-बार रोकने पर भी बोलते रहे । श्री अधिष्ठाता ने तब उन्हें सदन से बाहर चले जाने का आदेश दिया किन्तु श्री चन्द्रबलीसिंह ने इसका पालन नहीं किया ।)

श्री अधिष्ठाता--

मार्शल, माननीय चन्द्रबलीसिंह को सदन के बाहर कीजिये ।

(श्री अधिष्ठाता के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर श्री चन्द्रबलीसिंह सदन से बाहर चले गये ।)

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, मैं जैसा कि कह रहा था कि १७-१८ वर्ष में अगर सिंचाई की सचमुच इस प्रदेश में कोई योजना रहती तो उत्तर प्रदेश के लोगों को यह सरकार मुफ्त में पानी की व्यवस्था कर सकती थी । जब तक उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों की और सारे हिन्दुस्तान में किसानों की मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इस प्रदेश और देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ कर गये तो सारे देश के अन्दर २५ करोड़ जमीन थी जो बिना सिंचाई के पड़ी थी । ५ करोड़ एकड़ पर सिंचाई होती थी । अब ६ करोड़ एकड़ में सिंचाई होती है । इस प्रदेश में ढाई करोड़ एकड़ अब भी ऐसा है जो सचमुच बिना सींचे पड़ा है । जब तक ढाई करोड़ पर मुफ्त पानी की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती । हमने सदन में एक योजना पेश की थी, कि अगर १५००, २ हजार करोड़ की योजना ७-८ साल के लिये बनायी जाय और हर साल १००० से अधिक रुपया जितने व्यक्ति खर्च करते हैं उनके खर्च पर अगर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाय तो बिना टैक्स लगे ७-८ साल के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम कर सकते हैं । लेकिन यह सरकार नहीं करने जा रही है । यह सरकार तो पूंजीपतियों की पोषक और जनता की शोषक है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हमारे जिले में ६०–७० ट्यूबवेल कंटूर देकर ऐसी जगहों पर लगाये गये हैं जो फसल के मौके पर पानी नहीं देते । कहीं पर नाली नहीं है, कहीं पर आपरेटर नहीं है और अगर दोनों हैं तो बिजली नहीं है । तो कहीं न कहीं कोई न कोई बदइंतजामी जरूर है । बलिया-बेरिया बांध पर चले जाइये, वहां कोई ट्यूबवेल काम नहीं करता है । बाढ़ विभाग का काम बाढ़ को रोकना है, मगर यह विभाग अपने काम में असफल रहा है । हमारे जिले में गायघाट पर जो बलिया–बेरिया बांध है, उसकी मरम्मत यह सरकार नहीं कर पा रही है । एक दूसरा बांध चांदपुर गांव के सामने श्रीनगर तुर्तीपार बांध है, वहां सरकार ने ६ लाख रुपया खर्च करके बल्लियों को ठोकरें लगायीं, वह सब बह गयीं और वह सारा रुपया बेकार चला गया । इसमें से ३ लाख रुपया तो इनके ठेकेदार लोग खा गये । मान्यवर, जब यह बांध बना तो लोगों को यह तसल्ली हुई कि अब बाढ़ से उनकी रक्षा हो सकेगी और इस कारण स करीब ४० हजार लोग आज उसके आसपास आकर बस गये। इन ४० हजार लोगों का जीवन आज खतरे में पड़ा हुआ है। बरसात आने वाली है, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इससे भयंकर तबाही आ जायगी। चीफ इंजीनियर मित्रा साहब भी उसको देख आये हैं, कमेटी जो बनी थी वह भी इसको देख आयी है। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। मगर उन लोगों की हिफाजत के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दें, नहीं तो एक भयंकर घटना घटने वाली है।

हमारे जले में सिंचाई की बहुत खराब व्यवस्था है। नहरें निकाली गयी हैं, मगर उनमें पानी एक बूंद नहीं है। सैकड़ों बीघे जमीन में नहरें निकाली गयी हैं, मगर पानी का नाम नहीं है। इसी तरह नलकूपों के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन में नालियां निकाली गयी हैं, मगर वे बनी नहीं हैं। अगर सरकार उनमें पानी नहीं दे सकती है तो उनको खेत में मिला देना चाहिए ताकि उसमें खेती हो सके। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम उसे खेत में शामिल कर लेंगे।

मान्यवर, सरकार का आडिट विभाग है। उसकी यह रिपोर्ट है कि इस विभाग में १० लाख रुपए सालाना का गबन है। १९६३–६४ में आडिट रिपोर्ट में इसका जिक्र है। जब भी हम आफिसरों से कहते हैं यहां नलकूप बना दो, वे कहते हैं यह नियमों में नहीं है। जो इंजिन खरीदे गये, उनके बारे में भी आडिट रिपोर्ट में है कि वे कितने खराब थे। पचासों इंजिन खराब खरीद लिये गये। इन शब्दों के साथ मैं सरकार की भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीति का विरोध करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन––

(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा का नाम पुकारे जाने पर) अधिष्ठाता महोदय, मुझे ३ मिनट का मौका अवश्य दें, मन्त्री जी के बोलने के पहले। (व्यवधान)

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

श्रीमन्, जो यह मांग है कि हम अधिक से अधिक पानी का इन्तजाम करें, बात बिलकुल सही है। पानी के बिना खेती नहीं हो सकती। पानी के बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता। पानी का इन्तजाम तीन तरीके से हो सकता है। पानी हम नहर से लेते हैं, नदियों के ऊपर कभी-कभी हम बांध बनाते हैं और पानी ट्यूबवेल से लेते हैं। आज हमने इस बात का प्रयास किया कि बड़े बांधों को बनायें क्योंकि नदियों में तो पानी बढ़ नहीं सकता। कई बांध बनायें भी और उनके बांधने से फायदा भी हुआ। नदियों को भी हमने बांधा है और उसके पानी से भी लाभ उठाया है। तीसरा उपाय पानी प्राप्त करने है, ट्यूबवेल। यह भी होने चाहिए,

*वक्तव्य का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक मांग यह की गयी कि इस विभाग के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, माननीय उग्रसेन जी के शब्दों में वह चीज भी सही है। जितनी ज्यादा तनख्वाह बढ़ाई जा सके उतना ही अच्छा है यह भी मांग की कि जो बांध बने हुए हैं, छितौनी और हाहा आदि उनकी मरम्मत होनी चाहिए और यह जल्दी से जल्दी होनी चाहिए नहीं तो बहुत सा इलाका खतरे में पड़ जायगा। यह भी मानता हूं कि ट्यूबवेल लगने चाहिए, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए रुपए की आवश्यकता है। बिना रुपए के एक भी काम नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं कि रुपए का कुछ इन्तजाम करिये जो दो तरह से ही हो सकता है। एक तो कहीं से कर्जा लेकर और दूसरा कुछ टैक्स बढ़ा कर। अगर हम इर्रीगेशन रेट बढ़ाने की बात कहते हैं तो आप कहते हैं, नहीं साहब।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारा कहना तो यह है कि कोई ऐसा टैक्स न लीजिए बल्कि मुफ्त पानी दीजिए।

श्री उग्रसेन--

हमारा तो नारा है मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उन्होंने एक आरोप लगाया कि पहले साढ़े सात रुपए या प्रति एकड़ गेहूं की सिंचाई थी, वह अब १२ रुपया कर दी गई है। मैं उन से अगर वह होते तो एक ही बात पूछता कि जब साढ़े सात रुपया प्रति एकड़ गेहूं की सिंचाई थी तब गेहूं के दाम बाजार में क्या थे? मैं खुद खेती करता हूं और मैं जब साढ़े सात रुपए की सिंचाई थी तब २ रुपया मन गेहूं बेचता था और आज गेहूं का दाम ३० रुपया मन है। दूसरी चीज जाने दीजिए, जितने भी खेती से सम्बन्धित चीजों के रेट हैं, मजदूरी हो या औजार हो सब के दाम बढ़े हैं आप सोचें कि उस हिसाब से क्या यह १२ रुपया कर के सिंचाई का रेट बढ़ा है? अगर ऐसा नहीं तो सोचना होगा कि क्या गलत है।

वह कहते हैं कि पानी का इन्तजाम मुफ्त में किया जाय। अगर वह हमें कोई तरकीब बता दें कि बिजली, कुओं की खुदाई, मशीन, नहर की खुदाई, सब मुफ्त में हो जाय तो हम फौरन ऐसा करने को तैयार हूं। वह तो बहुत पापुलर सदस्य हैं (श्री उग्रसेन) उन्होंने कभी अपने क्षेत्र में लोगों को यह सजेस्ट किया कि श्रमदान से नहर खोदो, अगर वह कभी पूरी मिट्टी कहीं श्रमदान से खुदवा दें तो यह किसी हद तक मुमकिन हो सकता है लेकिन वह होता नहीं। तो इस तरह से कहने से मुफ्त काम तो नहीं होते।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)--

एक प्रार्थना मैं मन्त्री जी से करना चाहता हूं ....

श्री अधिष्ठाता--

वह बैठ नहीं रहे हैं, आप बैठ जायं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

माननीय बसन्त जी ने अपने भाषण में एक बात यह कही बड़े जोर से कि रामगंगा बांध में एक टनेल गिर गई। कौन सी ऐसी यह कोई बड़ी बात हो गई। सब जगह गिरती रहती हैं, अमरीका में जो भी बड़े एक्सपर्ट बनाने वाले हैं वहां भी टनेल गिरती हैं, ऐसी स्थिति आई कि ऊपर का पानी आ गया, वह एक एक्सपेरिमेन्टल चीज होती है, जमीन के अन्दर का कोई हाल नहीं जानता और अगर वह गिर गई तो उस में कोई नई और बड़ी बात नहीं हुई।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

एक शिकायत यह की गई कि हमारे जो यह नलकूप हैं वे ठीक तरह से काम नहीं करते। कुछ सदस्यों ने इस की शिकायत की कि वह काम वक्त पर नहीं करते। मैं भी इस बात को जानता हूं कि बहुत से नलकूप ऐसे हैं जो अच्छी तरह से काम नहीं करते। उनके कारण अलग-अलग होते हैं कहीं पानी नहीं होता, कहीं पानी लेने का रिवाज नहीं है, कहीं बिजली नहीं पहुंच पाती, कहीं मशीन की खराबी होती है। लेकिन कोशिश हमारी है कि इन नलकूपों से अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक काम लें। इस साल हमारे नलकूपों ने कैसा काम किया इसके आंकड़े हमारे पास हैं जिस प्रकार वह घंटे के हिसाब से चलते थे इस साल उन्होंने पहले से तिगुनी सिचाई की है। यह भी शिकायत रही कि हमारी नालियां बहुत अच्छी नहीं रहतीं। हमने आदेश दिया कि नालियों की मरम्मत कर के काम करें लेकिन मौका नहीं मिला और जो पुरानी नालियां थीं उन्हीं में टीन वगैरा लगाकर काम चलाया। हम ने प्रयास किया है कि नालियों की हालत को सुधारा जाय और हम चाहते हैं कि हमारे नलकूप अधिक से अधिक नीचे के पानी को ऊपर लाकर सिचाई के लिये दें। यही नहीं हमारे इलाहाबाद में पानी की इतनी कमी है कि पीने तक का पानी नहीं है। हम पानी को सिचाई के लिये ही नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। अपितु हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि पाइप लाइनें बिछाकर हम वहां की जनता को भी पीने के लिये पानी दे सकें।

जहां तक नहर विभाग का काम है हमारा निरन्तर यह प्रयत्न रहा है कि अपनी कमियों को देखकर, उसमें सुधार करें और यह प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी हम दे सकें।

अधिष्ठाता महोदय, जो चीज ये मांग करते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है और वह है रुपया। अगर आप कहेंगे कि तनख्वाह भी बढ़ा दें, बांध भी बना दें, ट्यूबवेल भी लगा दें बिजली के लिए पावर हाउस भी तैयार कर दें और रुपये का इन्तजाम न करें तो यह तो हो नहीं सकता है।

श्री उग्रसेन—

हम तो कहते हैं कि रुपये के लिये आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिए ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर हम राष्ट्रीयकरण भी कर देंगे तो भी हमारे यहां पर नहर विभाग को रुपया नहीं मिलेगा। यह आपकी भूल है।

श्री उग्रसेन—

म्योर मिल को ले लीजिये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इससे भी काम नहीं चलने वाला है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

पंजाब में नहर और ट्यूबवेल के पानी का एक रेट है, तो हमारे यहां पर यह क्यों एक नहीं हो सकता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे यहां पर भी मांट शाखा में ट्यूववेल और नहर के पानी का एक रेट है। जहां की जैसी परिस्थिति है वहां पर वैसा किया जाता है।

(श्री बसन्त सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन--

श्रीमन् हमको भी ३ मिनट का समय दे दीजिये। यदि यह सम्भव नहीं है तो कम से कम दो मिनट बोलने की आज्ञा दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा आप केवल २ मिनट बोल लीजिये।

श्री उग्रसेन--

अधिष्ठाता महोदय, सदन में जो बहस हुई है उसको सुनने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार ने इन १८ वर्षों में जो पानी देने, कटाव रोकने, बाढ़ को रोकने आदि की जो व्यवस्था की है वह बिलकुल बेकार रही है। सरकार को सोचना चाहिये था कि कोई कमेटी बिठा देती लेकिन उसमें भी सफेद कालर वाले बैठ जायेंगे और उससे भी कोई काम नहीं चलने वाला है। आज सरकार के पास न कोई पानी की और न कोई सिंचाई की नीति है आसमान, हवा और पानी जो हमें प्रकृति देती है, और जिनके उत्पादन का कुछ भी खर्चा नहीं है उसके लिये यह कोई नीति नहीं बना सकती है। मैं तो कोई रुड़की से नहीं आया हूं। मैं कोई तकनीकी आदमी नहीं हूं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां पर एक प्रति संवाद करावें तो हमारे साथी, इधर के और उधर बैठने वाले, उसमें भाग लेंगे और हम उसमें मंत्री जी को परास्त कर सकते हैं। वे तो यहां पर बैठे बैठे कनकइयां उड़ाते रहते हैं। आपके पास बाढ़ का कोई इंजीनियर नहीं है। आपको अपने सारे विश्वविद्यालयों में फ्लड टैक्नीक को शुरू कर देना चाहिये। अगर सरकार प्रदेश की बाढ़ को न रोक सकी तो मैं उनको आह्वाहन करूंगा कि वे इस सरकार को लौट दें, और इस सरकार को हटावें तभी यह देश और प्रदश बच सकता है।

श्री बसन्तसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, सदन के जितने भी माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया, लगभग सभी ने मेरी बातों की पुष्टि की है। मैंने कहा था कि सिंचन क्षमता तो बढ़ी, लेकिन सिंचाई का क्षेत्रफल घटा है। उप मंत्री जो कुछ उत्तर देने के लिये खड़े हुए थे, बीच में व्यवधान होने से बैठ गये, लेकिन वे दूसरी बात की तरफ चले गये और उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

दूसरी बात मैंने कही थी कि आज जितनी सिंचन क्षमता उपलब्ध है, जो भी हमारे साधन हैं नलकूप, नहरें या तालाब हैं, उनके द्वारा हम उस सब का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिये विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार हैं। जो कि कृषकों को पानी नहीं देते जब तक कि उनको रिश्वत नहीं मिल जाती। मंत्री जो यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूं और मैं ऐलान करता हू कि इस तथ्य को अगर मंत्री जी स्वीकार नहीं करते तो वे अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करना चाहते। ये ऐसी बातें नहीं हैं जो झुठलायी जा सकें। मंत्री जी भी जनता से आते हैं बहरहाल जितने आदमियों से पूछेंगे उन्हें यही बात सुनने को मिलेंगी कि सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों का रवैया किसान को पानी देने का नहीं है बल्कि जबरदस्ती उसकी जेब से पैसा अपने लिये और सरकार क लिये निकालने का है। इस स्थिति को बदलना होगा। अगर सरकार नीति नहीं बदलती तो पूरी सिंचन क्षमता जो उपलब्ध है उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा और मैं चाहूगा कि मंत्री जी इस तथ्य को माने वरना जितनी योजनायें होंगी उनका कोई फल नहीं मिलेगा। सरकार के पास क्षमता होते हुए भी सिंचाई घटी है उसका यही कारण है।

[श्री बसन्तसिंह]

मंत्री जी ने यह बात कही कि छोटे कर्मचारियों का सवाल जो हाउस में आया कि उनका वेतन बढ़ाया जाय इसके लिये उनके पास रुपया नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्हें बहुत ऊंचा वेतन मिलता है उनका वेतन क्यों बढ़ाया जाता है? मैं कहता हूं कि १,००० रु० से ऊपर सरकार किसी को वेतन न दे यदि सरकार ऐसा करती है तब मैं मान लूंगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन जितना छोटे कर्मचारियों का वेतन है उससे कई गुना ऊपर के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया जाता है। इसके लिये सरकार के पास कहां से पैसा आता है? मैं कहना चाहता हू कि यह केवल बहानेबाजी है वास्तविक कठिनाई की बात नहीं है। सरकार के दिमाग में उस तरह का परिवर्तन नहीं आया है, जो विषमता को दूर करे, केवल नारा ही लगाया जाता है। सरकार अगर छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दे तो आज जो घोर असमानता है वह कुछ दूर हो जायेगी।

दूसरी बात मैंने कही थी कि क्या आडिट रिपोर्ट यह साबित नहीं करती कि लाखों और करोड़ों रुपये का सामान जंग खा जाता है लाखों रुपये का सीमेन्ट पत्थर बन जाता है, आखिर यह रुपया बर्बाद करने के लिये कहां से आता है? क्या आपने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की? यदि ये घटनायें होती हैं तो सरकार को जनता से वसूल किये हुए रुपये से मोह नहीं है, दर्द नहीं है। यह बरबादी न की जाती तो मैं समझता कि वास्तव में सरकार के पास रुपये की कमी है। क्या यह मालूम नहीं कि इजीनियर फर्जी बिल बनाते हैं, पुरानी मशीन की जगह नई मशीन दिखा कर चार्ज कर लेते हैं, ६ आने के पुर्जे के लिये २ रुपये चार्ज कर लेते हैं? अगर इन चीजों के लिये पैसा है तो फिर छोटे कर्मचारियों के लिये वेतन बढ़ाने के लिये पैसा क्यों नहीं है? हमें अपने दिलोदिमाग को बदलना होगा। सरकारी अधिकारी मंत्रियों पर हावी हो गये हैं इस स्थिति को हमें बदलना होगा। हम भी इसमें सरकार का साथ देंगे क्योंकि हम चाहते है कि यह देश उठे। अगर इस स्थिति को आप दूर नहीं करेंगे और अधिकारियों की बातों पर लीपापोती करेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे विरोध करने का उद्देश्य यही होता है कि वास्तविक स्थिति को सरकार समझे। शत्रुता की भावना से यहां सुझाव नहीं दिये जाते हैं। सुझाव इसलिये दिये जाते हैं कि सरकार उन पर बिचार करें और जो अच्छी बातें हो उनको सरकार ग्रहण करें। हमारा और सरकार का दोनों का दायित्व इस देश को आगे बढ़ाने का है।

मेरा कहना है कि सरकार ने वेतन अभिनयीकरण की सिफारिश के अनुसार छोटे कर्मचारियों के वेतन में एक मामूली वृद्धि की है, काफी महगाई होते हुए भी। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके वेतन में नाम मात्र की वृद्धि हुई है जिससे काफी असन्तोष पैदा हो गया है। उदाहरण के लिये मैं बतलाता हूं कि हाई स्कूल पास रोटोन ग्रेड के क्लर्क की स्थिति माडल एसस्टेंट के समान होती थी जो कि इंटरमीडिएट होता था किन्तु रोटोन ग्रेड के क्लर्क का वेतन तो बढ़ा दिया गया है जब कि माडल एस्टिंट जो इंटरमीडिएट पास होता है उसका कम कर दिया गया है।

म यह भी निवेदन करूंगा कि किसान को सुविधा देने के लिये जो फर्जी आबपाशी भरी जाती है उसे दूर करना चाहिये। नहरों से पानी नहीं दिया जाता। जो आपरेटर होता है वह कई दिन बाद जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं किसी के भी नाम भर देता है। जो गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता है वह फायदे में रहता है और जो गरीब होता है उसके नाम आबपाशी डाल दी जाती है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये प्रबन्ध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि वह रोज अपनी रिपोर्ट भेजे तो यह प्रबन्ध ठीक हो सकता है वर्ना १०, १५ दिन के बाद वह गलत इन्दराज कर देता है। नलकूपों के ठीक से चलाने का उत्तरदायित्व आपरेटर पर ही न होकर मिस्त्री, सुपरवाइजर और असिस्टेन्ट इंजिनियर पर अधिक होता है। सरकार ने आपरटरों की गड़बड़ी को रोकने के लिये एक कूप रक्षक योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार २५ रुपये के चार आदमी प्रत्येक कूप पर रखे हैं और उन चार के ऊपर एक आपरेटर होगा। जिन अधिकारी महोदय की यह योजना है उन्होंने मंत्री जी को खुश करने के लिये कुछ बचत दिखाने के लिये,

यह योजना बनाई है बाकी इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। जो कुयें खराब पड़े हुए हैं वे मशीन की खराबी की वजह से है। हमारे सामने प्रश्न मशीन के ठीक इस्तेमाल करने का, अच्छी मशीन लगाने का है। उसी से पानी की समस्या हल हो सकती है इस योजना से नहीं। मेरा कहना है कि फर्जी आबपाशी का इन्दराज रोकने के लिये एक कुयें पर एक आपरेटर की जरूरत होगी। सरकार का योजना शेखचिल्ली वाली योजना है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाय। नालियों की ओर ध्यान नहीं दिया है। क्या जितनी सीमेन्ट विभाग ठेकेदार को देता है उतना सीमेन्ट लगा दिया जाता है। इसकी सत्यता को कोई असिस्टेन्ट इंजीनियर या ओवरसियर बतायें। उसकी देखभाल के लिये सरकार क्या कर रही हैं। निर्माण कार्यों में थर्ड क्लास की ईंट लगती है लेकिन फर्स्ट क्लास का चार्ज किया जाता है। यह दोष तो हम लोग सीधे तरीके से देखते हैं। मैं कहता हूं कि जो चीज सत्य है उसको छिपाने से काम नहीं चलेगा। उसमें सुधार करना चाहिए। अन्त में मैं सब माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

(सिंचाई मंत्री के पुकारे जाने पर और उनके खड़े होने पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

श्रीमन्, मैं आपसे जरा यह निवेदन करूंगा कि....

श्री अधिष्ठाता---

अगर मंत्री जी बैठ जायं तो आप कह सकते हैं।

(मंत्री जी के बैठ जाने पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करुंगा कि छितौनी बांध, हाहा नाला, गायघाट और चांदपुर इन चारों स्थानों पर गंडक, घाघरा और गंगा नदी का कटाव हो रहा है। अगर बांध कट गया तो नतीजा यह होगा कि ४-५ लाख आदमी उस पानी की डूब में आ जायेंगे, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट होगी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि वहां की जनता रिटायर बांध नहीं बांधने देगी। लाखों रुपया सरकार को बेकार बहाने नहीं देगी। यही नहीं वहां की जनता मालगुजारी भी नहीं देगी।

श्री गिरधारीलाल---

अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह से अब तक अपने तमाम दोस्तों के खयालात सुने, उनसे काफी प्रकाश पड़ा। बहुत सी बातें आम सुधार की हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम देखना चाहिये और जिनका कुछ सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। मैं इस समय केवल २-३ चीजों के लिये कहना चाहता हूं। हरदोई के लिये कहा गया कि इसमें केवल ९ परसेन्ट इर्रीगेशन है। मैंने मालूम किया कि वहां पर शारदा कैनाल से ७ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी हुई है और ४० ट्यूबवैल हैं। इस तरीके से २१ परसेन्ट आबपाशी है।

दूसरी बात मथुरा के बारे में कही गई। मैं माननीय शर्मा जी के खयाल से सहमत हूं। वहां गर्की का इलाका है और जहां तक गवर्नमेन्ट रहो की बात ही है वह तो कर ही रही है।

[श्री गिरधारीलाल]

यह ठीक है कि राजस्थान और गोवर्द्धन से होते हुए इधर पानी काफी कट आया। इसके विषय में हमारे सूबे में काफी काम हुआ है। हमने बहुत सी फिगर्स बनाई हैं उससे यह चीज ठीक हो जायगी। एक आर्टीयल २० मील लम्बा बनाया है जिससे २० हजार एकड़ जमीन की रक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार सजग नहीं है। लेकिन जितने साधन हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। अभी मित्रा जी की बात कर रहे थे, पाण्डेय जी आजमगढ़ की बात कर रहे थे और कोई साहब गोरखपुर की बात कर रहे थे, अब सब चीजों को देखना है कि कहां कहां आर्जी तौर पर इन्तजाम किया जा सकता है। जब धन होगा उस समय उसका इन्तजाम किया जा सकता है। इस तरह सब चीजें चलेंगी। जहां तक उन्नाव की बात है कहां पर शारदा नहर से २२ परसेन्ट आबपाशी हो रही है। हमारे दोस्त शिवराज सिंह जी ने कहा कि गंगा और जमुना पर रिजरवायर नहीं है। या तो बरसात का पानी आता है या फिर बर्फ पिघल कर आती है जिससे हम नहर से पानी लेते हैं और आबपाशी की जाती है। लेकिन उसकी योजनाएं जो हैं टिहरी प्रोजेक्ट है, कई लाख एकड़ जमीन को वह सींचेगी उससे बिजली भी पैदा होगी। ई० सी० आई० योजना भी है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट भी है। लेकिन यह सब चीजें एक दम से नहीं हो पायेंगी। ये बहुत बड़ी स्कीमें हैं। इनसे कुल ३०–४० लाख एकड़ जमीन की आबपाशी हो सकती है। इनके अभाव के कारण जो लोग पीड़ित हैं उनके बारे में जैसी तकलीफ माननीय सदस्य विरोधी दलों को है वैसे हमें भी तकलीफ है। हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन पैसे और साधन हमारे बंधे हुए हैं। हमारे सीमित साधनों से जितना काम हो सकता है, उससे पूरा पूरा लोगों को लाभ पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है।

यहां पर ट्यूबवेल और नहर के फासले के सिलसिले में हमारे दोस्त विजयपाल सिंह या चन्दन सिंह ने बहुत बातें कहीं हैं। मैं समझता हूं इस संबंध में पहले कभी भी इस प्रकार का प्रकार का सवाल नहीं उठा। अब हम लोग एक्सटेन्सिव से इन्टेन्सिव इर्रीगेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें आमतौर पर यह करना पड़ेगा सरकार को कि सूबे के अन्दर एक जाल बिछाये नहरों और ट्यूब वेल का और जो इंटेन्सिव एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वह अपने अपने साधनों से करें। उनकी जो मंशा है और उनकी जो अड़चनें लगती हैं वैसी अड़चनें हमें भी मालूम पड़ती हैं और मुझको भी किसी भी प्रकार की बंदिश अच्छी नहीं लगती है। ८ हजार ट्यूबवेल्स हमारे सूबे में है, २५–३० हजार मील नहरें हमारे सूबे में हैं, जिन सब की जिम्मेदारी आपके हाथ में है।

कहा गया कि मोनोपाली है और भी कई बातें कही गयीं। तो मैं ज्यादा एप्रिशिएट करता लेकिन विजयपाल सिंह जी ने जो कहा स्टेट की तरफ से जो पानी दिया जाता है, इसमें टेक्निकल बात जो है, उसके साथ साथ कार्मशियल आस्पेक्ट भी उसका है। यह तो हो सकता है कि हम उसका कमान्ड एरिया कम कर दें, कुछ लेकिन बिलकुल ही यह प्रतिबन्ध हटा दें, यह बात अभी मेरी समझ में नहीं आ पाती है। अब आम तौर पर इस तरह की मांग आयी है–३ फर्लांग के जनरल इन्सट्रक्शन्स हर जिले में चले गये हैं। यहां पर हमारे जो साथी इस तरह की चीजें हमारे सामने लाते हैं, तो ३ फर्लांग तक हम उसके अन्दर लोगों को एक्जेम्पशन दे रहे हैं। लेकिन अब हम उसको नये सिरे से सोच रहे हैं कि जो बन्दिशें, रेस्ट्रिक्शन्नस हैं, वे दूर की जाएं। इनके जरिये से हमें भी बड़ी परेशानी है, हमें तो पूरे सूबे के लोगों की शिकायतें और परेशानियां सुननी पड़ती हैं।

मैं एक चीज और इसके सिलसिले में बताना चाहता हूं। हमारे सूबे के अन्दर हम बहुत दिनों से इस बात को सोच रहे थे—कि अब हमारे सूबे में जितना पानी है, बर्फ के अन्दर से भी बहुत सारा पानी पिघल कर नीचे आता है, जमीन के अन्दर भी लोगों का कहना है ३ मीलियन टन पानी है, नदियों में भी पानी है, तो इन सारे पानी के श्रोतों को असेस करने के हिसाब से,

और सर्वे कराने के हिसाब से कि कैसे उसको बाढ से बचाकर उसका हम समुचित फायदा उठावें। इस खयाल से हम अपने सूबे के अन्दर एक 'वाटर' कमीशन, उसे रीवर कमीशन कहो या इर्रीगेशन कमीशन बनाने का बिचार कर रहे हैं। उसके मातहत फिर हम चल रहे हैं उसका पूरा एक प्लान बना कर जिसके अन्दर प्राइवेट और स्टेट इर्रीगेशन के जो तरीके हैं, उसके आधार पर उसकी रोशनी में हम उस काम को आगे चलायेंगे। इन शब्दों के साथ इस वक्त अब मैं आपके सामने कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा।

श्री उग्रसेन---

जो कमीशन बनेगा वह क्या नीति निर्धारण वगैरह का काम भी करेगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

वह तो बाद की बात है, अभी आप बैठें।

श्री गिरधारीलाल---

एक बात माननीय बसन्त सिंह ने और कही कि एक हजार रुपये से ऊपर के जितने कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह न बढ़ाई जाय। उस सिलसिले में मैं आपको बतला दूं और आपको जान कर खुशी होगी कि गवर्नमेन्ट ने यह तय किया है कि एक हजार रु० से कम पाने वाले जितने कर्मचारी हैं उन्हीं के विषय में इस संबंध में विचार किया जा सकता है। जो इससे ऊपर के कर्मचारी हैं उनके सिलसिले में तनख्वाह बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इन अनुदानों को पास करेंगे।

श्री उग्रसेन---

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत कालागढ़ में जो मजदूर मर रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ कहिये। साथ ही इस बात का भी आप खयाल रखेंगे कि कमीशन के चेयरमैन श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा न होने पावें।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत १८,९३,३८,४०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ७,८१,३७,२०० रु० की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २७,७२,७८,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२५ मार्च, १९६६ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२)के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५९ पर]

संख्या घ१/२४२४/१५–१८।६४

प्रेषक,

श्री ललित प्रसाद सिंह,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

दिनांक: लखनऊ, ९ जून, १९६४

विषय--गैर सरकारी जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को मंहगाई भत्ता ।

महोदय,

शिक्षा (घ) विभाग

राजाज्ञा संख्या घ१।७३।१५–३१६।६०, दिनांक ९ मार्च, १९६१ के क्रम में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि स्थिति पर पुनर्विचार करके शासन ने गैर सरकारी जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान तथा सहायक अध्यापकों के मंहगाई भत्ते की दरों में १ अप्रैल, १९६४ से ५ रु० प्रति मास की वृद्धि देने का निश्चय किया है। तदनुसार १ अप्रैल, १९६४ से मंहगाई भत्ते की निम्नलिखित दरें स्वीकृत की गई हैं--

वेतन	मंहगाई भत्ता
(१) ४६ रु० प्रति मास तक	२४ रु०
(२) ४७ रु० से ५० रु० प्रति मास तक	.. २५ रु०
(३) ५१ रु० से ५२ रु० प्रति मास तक	.. ७५ रु० प्रति मास से जितना कम हो ।
(४) ५३ रु० से ७० रु० प्रति मास तक	.. २२ रु०
(५) ७१ रु० से ८५ रु० प्रति मास तक	.. २४.५० पैसे ।
(६) ८६ रु० से ९३ रु० प्रति मास तक	.. ११० रु० प्रति मास से जितना कम हो ।
(७) ९४ रु० से १०० रु० प्रतिमास तक	.. २२ रु०
(८) १०१ रु० से १०४ रु० प्रति मास तक	.. १२२ रु० प्रति मास से जितना कम हो ।
(९) १०५ रु० प्रति मास तथा इसके ऊपर	.. १७ रु०

२--उपर्युक्त दरें निम्नलिखित पर लागू होंगी--

(१) गैर सरकारी जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के वे सभी अध्यापक जिनके मंहगाई भत्ते का पूर्ण या आंशिक व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है ।

(२) स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के सभी अध्यापक ।

(३) विभाग की अनुदानिक सूची पर लाये गये जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के सभी अध्यापक ।

३—मान्यता प्राप्त जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल, जो असहायता प्राप्त हैं, भी अपने अध्यापकों को उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित दरों पर मंहगाई भत्ता दे सकते हैं बशर्ते कि इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय वह स्वयं वहन करें ।

४—उपर्युक्त अनुच्छेद १ में निर्धारित दरें न्यूनतम दरें हैं । जिन अध्यापकों को इस राजाज्ञा में निर्धारित दरों से उच्च दरों पर मंहगाई भत्ता मिल रहा है वे न केवल उक्त उच्च दरों पर मंहगाई भत्ता पाते रहेंगे बल्कि इस राजाज्ञा में स्वीकृत वृद्धि भी उन्हें देय होगी ।

५—उपर्युक्त अनुच्छेद २ में उल्लिखित अध्यापकों को इस राजाज्ञा में स्वीकृत बढ़ी हुई दरों पर देय मंहगाई भत्ते पर होने वाला अतिरिक्त व्यय सहायक अनुदान के रूप में शासन द्वारा वहन किया जायेगा । अतः इस निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६४-६५) में देय धनराशि का विवरण तथा इसका शीर्षकवार विभाजन शासन को सूचित किया जाये ।

भवदीय,
ललित प्रसाद सिंह,
अनुसचिव ।

संख्या घ१।२४२४(१)।१५-१८।६४
वित्तविभाग

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
हरीकृष्ण
सहायक सचिव ।

संख्या घ१।२४२४(२)।१५-१८।६४
शिक्षा (घ) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

१—उत्तर प्रदेश की समस्त कमिश्नरियों के आयुक्त ।

२—उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधीश ।

३—उत्तर प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के अध्यक्ष ।

४—नगर पालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं के समस्त अध्यक्ष (प्रशासक)

५—मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा बालिका विद्यालयों की मंडलीय निरीक्षकायें, उत्तर प्रदेश ।

६—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

७—परीक्षक, स्थानीय लेखा निधि, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

८—सचिवालय के वित्त (व्यय-१) तथा (सामान्य-१) विभाग ।

आज्ञा से,
ललित प्रसाद सिंह,
अनु सचिव ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१ पर]

प्रश्न सं० २९ के उत्तर में उल्लिखित

तालिका

बलिया जिला परिषद् को गत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग की योजना संख्या २८ के अन्तर्गत बालिका विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन हेतु दी गई धनराशि का विवरण।

क्रम-संख्या	जिला	संस्था का नाम	स्कूल खोलने की तिथि	जिसके द्वारा संचालित होती है	वर्ष	अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता	भवन अनुदान	काष्टोपकरण एवं सज्जा अनुदान	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	बलिया	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल पिपरा कलां	१०-१०-६१	जिला परिषद्	६१-६२	१,५२४	..	१५,०००	१,१२५	
					६२-६३	२,७८४	..	..	५६२	
					६३-६४	२,५६८	..	..	५६३	
					६४-६५	२,५६८	२४०	..	..	
२	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल बरौली	१-२-६४	,,	६३-६४	२६४	..	१५,०००	१,१२५	
					६४-६५	१,५१२	२४०	..	५६२	
३	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल गोठावली	१-२-६४	,,	६३-६४	२६४	..	१५,०००	१,१२५	
					६४-६५	१,८७२	२४०	..	५६२	

अतारांकित प्रश्न

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, बेल्हारी	६-३-६४	,,	६३-६४	..	..	१५,०००	१,१२५
					६४-६५	१,५६०	१२०	..	५६२
५	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, करमानपुर	१-१०-६४	,,	६४-६५	३७२	२५	१५,०००	१,१२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३६(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६२ पर]

बदायूं जिले के विकास खण्ड, दहगवां के वित्तीय वर्ष १६६१–६२ से १६६४–६५ तक बालकों के प्राइमरी स्कूल तथा कन्या पाठशालाओं के स्वीकृत भवन की सूची।

तालिका 'अ'

१––बालक प्राइमरी स्कूल––बागवाला
बाजपुरा
शेखपुरा
भवानीपुरखैरू
सिरासौल
सुजावली
चमरपुरा
मुहम्मदपुर कुड़ई
टांटपुर करसरी
अांतर
खुनअानगला
भाजीपुरपावई
वेरपुर मानपुर

२––कन्या पाठशाला–– नदायल
रसूलपुर कलां
दहगवां
जरीफनगर
मालपुरततैरा
भवानीपुर खिल्ली
नाघा
करेईसरेई

बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां के वित्तीय वर्ष १६६२–६३ से १६६४–६५ तक स्वीकृत भवनों की प्रगति।

तालिका––ब

१––भवन जिनका निर्माण हो गया है––
(अ) बालक प्राइमरी पाठशाला स्कूल––१––बागवाला
२––शुखपुरा
३––सुजावली
४––महम्मूदपुर कुड़ई
५––वेरपुरमानपुर
(ब) कन्या पाठशाला १––रसूलपुरकलां
२––भवन जिसका निर्माण अधूरा है––
(अ) बालक प्राइमरी स्कूल––१––बाजपुर
२––भवानीपुर
३––सिरासौल
४––चमरपुरा

(ब) कन्या पाठशाला—१—नवाबगंज
२—जरीफनगर
३—भवन जिसका निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है—
(अ) बालक प्राइमरी स्कूल—१—टांटपुरकलरी
२—धांतर
३—खनुआनगला
४—भाजीपुर
(ब) कन्या पाठशाला—१—दहगवां
२—मालपुरतं तैरा
२—भवानीपुरखिल्ली
४—नाघा
५—करेईसरई

परिशिष्ट 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६३ पर)

उत्तर संख्या २ की तालिका

१—गोंडा
२—फतेहपुर
३—बहराइच
४—मुरादाबाद
५—नैनीताल
६—सीतापुर
७—रामपुर
८—आगरा
९—बरेली
१०—बदायूं
११—मिर्जापुर
१२—हरदोई
१३—झांसी
१४—लखनऊ
१५—पीलीभीत
१६—इलाहाबाद
१७—आजमगढ़
१८—रायबरेली
१९—बलिया
२०—खीरी
२१—सुल्तानपुर
२२—बस्ती
२३—प्रतापगढ़
२४—बाराबंकी
२५—फैजाबाद
२६—शाहजहांपुर
२७—जौनपुर
२८—गाजीपुर
२९—वाराणसी
३०—बांदा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७१ पर।

प्रश्न संख्या २७ के उत्तर में उल्लिखित योजना का संक्षिप्त विवरण।

जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा में व्यापक सुधार के दृष्टिकोण से यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी पुस्तक की रचना की जाय जिसमें विद्यालय के काम के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक ज्ञान का समावेश हो तथा जिसके अध्ययन से इन श्रेणी के अध्यापकों को शिक्षण विधियों का ज्ञान हो सके। यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई थी तथा इस पर ०.१९ लाख रुपये के व्यय होने का अनुमान लगाया गया था।

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७६ पर)

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	गबन के मामलों की संख्या	गबन की धनराशि रु०
१	२	३	४
१—पुवायां	..	२	२४४.००
२—तिलहर	..	३	३३१४.९३
३—जलालाबाद	..	४	५९६.०२
४—सदर	..	५	२५३२.९६

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९६६ के ७ वें शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री मुहम्मदरफी खां द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ६१ के उत्तर से सम्बन्धित सूचना ।

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	गबन करने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद	कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
१	२	३	४
१	पुवायां	श्री खुशीराम अमीन	अदालत से २०० रु० जुर्माना या ३ माह की सजा का आदेश हुआ ।
२	पुवायां	श्री दामोदर सहाय अमीन	मुकदमा चलाया गया जिसमें कर्मचारी छूट गया ।
३	तिलहर	श्री फिरंगी लाल अमीन	तीन साल की सजा हुई ।
४	तिलहर	श्री रामचन्द्र सहाय अमीन	मुकदमा चलाया गया जिसमें कर्मचारी छूट गया ।
५	तिलहर	श्री गया प्रसाद अमीन	पुलिस द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है ।
६	जलालाबाद	श्री मेवाराम, अमीन	मुकदमा चलाया गया जिसमें कर्मचारी छूट गया ।
७	जलालाबाद	श्री हरीश चन्द्र	मामले की जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी ।
८	जलालाबाद	श्री हर सोवरन लाल	गबन की कुछ धनराशि कर्मचारी से वसूल कर ली गई है, शेष का बीमा कम्पनी देने के लिये राजी हो गई है ।

१	२	३	४
९	जलालाबाद	श्री कन्हैया लाल	पुलिस द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है ।
१०	सदर	श्री सूरज सिंह	कर्मचारी पर मुकदमा चलाया गया जिसमें वह छूट गया ।
११	सदर	श्री नरसिंह	" "
१२	सदर	श्री गया सिंह	कर्मचारी फरार है ।
१३	सदर	श्री विमल चन्द्र	कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया किन्तु वह छूट गया ।
१४	सदर	श्री श्याम लाल यादव	मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है ।

प्रेस अकादमी

पी० एस० यू० पी० ए०—पी० ३० एल ए०—१९६६—८६२ ।